तृतीय माला, खण्ड ३—अंक ३०

शुक्रवार, २५ मई, १९६२
४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

PARLIAMENT LIBRARY
A 74
8.8.62

लोक-सभा वाद-विवाद

(पहला सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय–सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १०३८ से १०४०, १०४२, १०४३, १०४५, १०४७ से १०५०, १०५२ से १०५६ और १०५८ ३११५—३८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ ३१३८–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४१, १०४४, १०४६, १०५१, १०५७ और १०५९ से १०६६ ३१४०—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९४९, १९५१ से १९५६, १९५८ से १९८१ और १९८३ से २०२५ . . . ३१४७–८७

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में ३१८८–८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३१८९—९१

शिवरामपुरम में रेलगाड़ी की टक्कर।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३१९१–९२

वित्तीय समितियां (१९६१–६२)

'एक समीक्षा'

सभा का कार्य . ३१९२

समितियों के लिये निर्वाचन . ३१९२–९३

१. भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति

२. भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति

अनुदानों की मांगें . . . . . ३१९३—३२२६

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . ३१९३—३२१०

श्री कृ० चं० शर्मा . . ३१९३

श्री शिवमूर्ति स्वामी . ३१९३

श्री हेम बरुआ . ३१९५–९६

श्री हुमायून् कबिर . . ३१९६—३२१०

स्वास्थ्य मंत्रालय . ३२१०—२६

श्रीमती विमला देवी . ३२११—१४

डा० श्रीनिवासन . . ३२१४–१५

श्री मोहन नायक . . . ३२१५—१७

श्री रामसिंह . ३२२४–२५

श्री अ० सिं० सहगल . ३२२५–२६

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, २५ मई, १९६२

४ जेष्ठ १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पश्चिमी बंगाल में सार्वजनिक टेलीफोन

†*१०३८. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि रोलिंग स्टाक, नयी लाइनें और तार के साजसामान की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन नहीं स्थापित किए जा सके ;

(ख) यदि हां, तो यह कमी दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यह कमी दूर करने में कितना समय लगेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). १९ सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है और वे लगाये जाने वाले हैं । साजसामान की सप्लाई में कुछ विलम्ब हो रहा है क्योंकि मांग तेजी से बढ रही है और संसाधन सीमित है । इन टेलीफोनों के लिए डाक और तार के साजसामान के लिए आर्डर दिये जा चुके हैं ।

†श्री सुबोध हंसदा : फिलहाल इन टेलीफोनों के सामान की कितनी कमी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : वर्तमान स्थिति बहुत कठिन है लेकिन पहले से आर्डर्स देने की कोशिश की हो रही है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री कहते हैं कि यह सब सामान प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह सामान विदेशों से मंगाया जायेगा या यहां तैयार किया जायगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : दोनों ओर से कोशिश की जा रही है, देश के संसाधनों से यथासंभव और आयात करके सामान प्राप्त करने का प्रयत्न हो रहा है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि माननीय मंत्री ने पिछले दिसम्बर में पोस्ट-मास्टर जेनरलों का एक सम्मेलन आयोजित किया था और उन्हें यह आदेश दिया था कि "निर्वाचन के लिये अत्यावश्यक" सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जायें ? इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : कुछ टेलीफोन लगाये जा चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये १९ सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का निश्चय किया गया है, लेकिन भंडार और साजसामान प्राप्त करने की कठिनाइयों के कारण उसमें शीघ्रता नहीं की जा सकी ।

†**श्री चं० का० भट्टाचार्य** : क्या हर जिले में, उप खंड और थाना मुख्यकार्यालय में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की कोई योजना है ?

†**श्री जगजीवन राम** : योजना यह है कि प्रत्येक जिला मुख्यकार्यालय में टेलीफोन एक्सचेन्ज और सभी तहसील या सब-डिविजन हेडक्वार्टर्स में कम से कम सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की योजना है। अधिकांश जिला और तहसील हेडक्वार्टर्स में यह हो चुका है। केवल कुछ थोड़े जगहों में बाकी है। इन १९ में भी केवल दो या तीन ऐसे हैं, जो इस योजना के अन्तर्गत आते हैं, दूसरे अन्य स्थानों पर हैं ।

श्री विभूति मिश्र : जो ब्लाक आफिसेज हैं उनमें काल आफिसेज देने की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये सरकार के पास कोई योजना है और उसको कितने दिनों में पूरा किया जा सकेगा ?

श्री जगजीवन राम : सभी ब्लाक आफिसेज में न तो काल आफिसेज की आवश्यकता होगी सेऔर न सब में काल आफिसेज देना आवश्यक होगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आयी है कि स्टोर की कमी केवल पश्चिमी बंगाल में ही नहीं है बल्कि सारे देश में है, और यह स्थिति कई वर्षों से चली आ रही है। इस स्थिति को सुधारने के लिये कौन से ठोस कदम इस बीच में ठाए गए या उठाए जा रहे से रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : अभाव का जब जिक्र किया जाता है तो किसी खास हलके के लिये नहीं किया जाता बल्कि सारे देश के लिये किया जाता है। अभाव तो है । इसका एक धारण तो यह है कि कुछ चीजें अपने मुल्क में नहीं बनतीं हैं और दूसरा कारण यह भी है कि जितना धन हमको मिलना चाहिये उतनी धनराशि हमको नहीं मिलती। तो इस अभाव को दूर करने के लिये यही

---

†मूल अंग्रेजी में

कदम उठाया जा सकता है कि कुछ चीजें अपने मुल्क में बनायी गाएं और बाहर से मंगाने के लिये अधिक धनराशि महकमें को मिले ।

†**श्री ब० कु० दास :** क्या सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का कोई वार्षिक कार्यक्रम है और यदि हां, तो इस वर्ष अर्थात् १९६२–६३ में कितने लगाये जायेंगे ?

†**श्री जगजीवन राम :** एक वार्षिक कार्यक्रम है और यदि माननीय सदस्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट देखें तो उन्हें मालूम होगा कि प्रगति हो रही है ।

†**श्री ब० कु० दास :** मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में कितने खोले जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति, अगला प्रश्न ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर पुल

+

†*१०३९. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर बनाए जाने वाले बड़े बड़े पुलों की एक पूरी सूची प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से हैं ; और

(ग) इस बजट वर्ष में उन में से कौन कौन से पुल बनाने का काम शुरू किया जायेगा?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१. नींदाकारा पुल
२. कारीपुजा नहर पर पुल
३. चलाकुडी पुल
४. एम० सी० रोड के १५२/४ मील पर पुल
५. पालघाट कोचीन फ्रंटियर रोड के १३/२ मील पर पुल
६. पालघाट कोचीन फ्रंटियर रोड पर के ६/२ मील पर पुल

(ग) इस बजट वर्ष में कारीपुजा नहर पर सिर्फ एक पुल बनाने का काम शुरू किया जायगा ।

†**श्री वारियर :** जब कि दूसरे पुल भी उतने ही महत्व के हैं तब क्या कारण है कि उस नहर पर इस विशिष्ट पुल को प्राथमिकता दी जा रही है ? क्या यह राज्य सरकारों की प्रार्थना के अनुसार है या परिवहन मंत्रालय के चुनाव के अनुसार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** जी नहीं, वह राज्य सरकार के सुझाव पर है।

†**श्री वारियर :** इस पुल के निर्माण के लिये कुल कितनी रकम रखी गई है और क्या ऐसे कोई दूसरे पुल हैं जो तीसरी योजना में अगर पूरे नहीं तो कम से कम शूरू किये जायेंगे।

†**श्री जगजीवन राम :** राज्य सरकार की सलाह से दूसरे पुलों का काम आरंभ करने की कोशिश की जायगी। इस पुल की अनुमानित लागत २.२१ लाख रुपये है।

†**श्री प० कुन्हन :** क्या तीसरी योजना में नीलाकारा पुल शामिल करने की सरकार की कोई योजना है ?

†**श्री जगजीवन राम :** जी हां। वह तीसरी योजना की सूची में शामिल किया जायेगा।

हुगली में नौवहन

†*१०४०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह किया है कि वह हुगली नदी में नौवहन सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने का खर्च खुद उठाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) जी हां।

(ख) इस सुझाव की छानबीन की जा रही है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हुं कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने किन-किन खास बातों की डीमांड सेंट्रलगवर्नमेंट से की थी जिनके करने से कि हुगली की हालत अच्छी हो जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : यह बहुत बड़ा उत्तर होगा। बात यह है कि उन के जितने सुझाव आय हैं उन की जांच की जा रही है और जांच करने के बाद शायद कुछ बतलाया जा सके।

†**श्री प्रभात कार :** अनेक महत्वपूर्ण पहलु है।

†**अध्यक्ष महोदय :** सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि खर्च कौन उठायेगा, केन्द्रीय सरकार को उठाना चाहिये।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि राष्ट्रीय आर्थिक महत्व की दृष्टि से हुगली नदी को राष्ट्रीय राजपथ के तौर पर माना जाय क्योंकि यह एक समुद्र-मार्ग है जिसमे २० लाख टन कोयला और कई लाख टन दूसरा सामान आना जाता है।

†**श्री जगजीवन राम :** किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग मानने का प्रश्न इस बात पर निर्भर होता है कि उसे उस प्रकार का जलमार्ग घोषित किया जाय बशर्ते कि वह एक से अधिक

†मूल अंग्रेजी में

राज्य से होकर गुजरता हो। सामान्यतया जलमार्ग राज्य सूची में होते हैं। हुगली को राष्ट्रीय जलमार्ग मानने के संबंध में अभी निश्चय नहीं किया गया है। उसके लिये राज्य सरकार से परामर्श करना होगा। राज्य सरकार की क्या राय होगी यह मुझे मालूम नहीं।

†श्री प्रभात कार : जहां तक नौवहन की कठिनाई का संबंध है, यह बहुत पुरानी शिकायत है और हालत प्रति दिन और बिगड़ती जा रही है। इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये वास्तव में क्या कार्यवाही करनी होगी इस बारे में केन्द्रीय सरकार को निश्चय करने में कितना समय लगेगा ?

†श्री जगजीवन राम : मैं ने केवल पश्चिम बँगाल की अर्थ व्यवस्था के लिये बल्कि सम्पूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिये हुगली नदी का महत्व कम नहीं करना चाहता। अभी हाल में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उस पहलू से उसकी छानबीन की जायेगी। वह न केवल पश्चिम बँगाल के लिये बल्कि उससे अधिक महत्व की बात है।

हुगली नदी द्वारा कटाव

†*१०४२. { डा० सारादीश राय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ते के पास हुगली नदी के किनारों के गहरे कटाव के कारण औद्योगिक उपनगरों तथा उनके निवासियों की सुरक्षा खतरे में है ;

(ख) क्या कटाव को रोकने की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या पश्चिम बँगाल सरकार ने संरक्षणात्मक तटबन्ध बनाने और अन्य कटाव-निरोधक काय करने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कलकत्ते के पास हुगली नदी के किनारों के गहरे कटाव का कोई समाचार राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी कुछ जगहों पर कटाव के मामले हैं।

(ख) जी हां।

(ग) योजनाओं के ब्यौरे बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६]।

(घ) जी हां।

†डा० सारादीश राय : विवरण से यह पता चलता है कि अधिकतर योजनाओं की छानबीन हो रही है। ये योजनायें कब तक अन्तिम रूप से तैयार हो जायेंगी ?

†श्री सं० अ० मेहदी : करीब २७ योजनायें हैं। उनमें से कुछ योजनायें आरम्भ हो चुकी हैं। बाकी योजनायें तीसरी पंचवर्षीय योजना में और उसके बाद भी शुरू की जायेंगी। तीसरी योजना में १७.८७ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

†मूल अंग्रेजी में

डा० सारादीश राय : क्या यह धन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जायगा या केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मिलजुलकर दिया जायगा ?

श्री अलगेशन : यह धन कुछ शर्तों पर राज्य सरकार द्वारा ऋण के तौर पर दिया जायगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह बताया गया है कि कटाव का कोई गम्भीर मामला सामने नहीं आया है । क्या सरकार ने ग्रैंडट्रंक रोड की ओर जो नदी के पश्चिमी किनारे पर मीलों तक नदी के समानान्तर जाती है, विशेष ध्यान दिया है क्योंकि थोड़े से कटाव से भी सम्पूर्ण ग्रैंडट्रंक रोड को खतरा हो सकता है ?

†**श्री अलगेशन** : वह हो सकता है । हमें राज्य सरकार से कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली है लेकिन इस प्रश्न का विवेचन करना और उचित अनुमान तैयार करना राज्य सरकार का काम है और जब इन परियोजनाओं की लागत १ करोड़ रुपये से कम हो तो वह स्वतः उन्हें कार्यान्वित कर सकती है और हमने उसके लिये पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की है ।

†**श्री प्रभात कार** : क्या चन्दरनगर संबंधी जांच के झा आयोग की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि चन्दरनगर में कटाव रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये ? क्या चन्दरनगर निगम की प्रार्थना के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं बता चुका हूँ कि इन प्रश्नों का विवेचन करना पहले राज्य सरकार का काम है ।

†**श्री प्रभात कार** : मैंने झा आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि यह केन्द्रीय सरकार का काम है ।

†**अध्यक्ष महोदय** माननीय मंत्री ने बताया है कि यह राज्य सरकार को आरम्भ करना चाहिये और केन्द्रीय सरकार को भेजना चाहिये और तब उसे आरम्भ किया जा सकता है ।

†**श्री प्रभात कार** : चन्दरनगर विलय विधेयक के समय लोक-सभा में यह बताया गया था कि उन सब सिफारिशों को कार्यान्वित करना केन्द्रीय सरकार का काम या उत्तरदायित्व है । इसलिये माननीय मंत्री उस का निर्देश करें और यह न कहें कि वह राज्य सरकार का काम है ।

†**श्री अलगेशन** : मुझे उसके लिये अलग नोटिस चाहिये ।

†**श्री श्याम लाल सर फ** : चूंकि देश में प्रायः सभी नदियों में कटाव हो रहा है क्या सरकार कटाव रोकने के लिये नदियों को नियंत्रित करने के बारे में जैसा कि दुनिया में और जगह सफलता-पूर्वक किया गया है, विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत व्यापक प्रश्न है । कटाव का सम्पूर्ण प्रश्न इस विशिष्ट प्रश्न के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता ।

†**श्री श्याम लाल सर फ** : मेरा निवेदन यह था कि नदियों का नियंत्रण इसका उचित उत्तर हो सकता है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने नदियों को नियंत्रित करने के प्रश्न पर विचार किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** वह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो इरोजन हो रहा है यह कितनी लम्बाई में हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो उन्होंने कह दिया कि कहीं कहीं है । बहुत मेजर नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुये कि हुगली में बालू की रुकावटें (सैन्ड बार्स) हैं और हुगली में जहाज चलाना दुनिया में सबसे कठिन है, सरकार ने इस संबंध में क्या किया है, और क्या स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

†**श्री अलगेशन** : पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार को १६० लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था । दूसरी योजना के दौरान और अधिक रकम दी गयी है । तीसरी योजना में भी पांच कटाव विरोधी योजनाय शुरू करने का राज्य सरकार का विचार है ।

†**श्री प्रभात कार** : विवरण से ये दिखायी पड़ता है कि मद सँख्या ११ की अनमानित लागत ४,८०,७०० रुपया है । क्या सरकार जानती है कि अनेक मकान नदी में डूब गये हैं और चन्दरनगर से चिनसुरानक की मुख्य सड़क को कटाव के कारण मोड़ना पड़ा था ? माननीय मंत्री कहते हैं कि कोई गहरा कटाव नहीं हुआ है । क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार को इस बारे में जानकारी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह प्रश्न राज्य सरकार से नहीं पूछा जा सकता कि वह इस विषय में बहुत गम्भीरता से विचार करे ?

कृषि फार्म के लिये जापानी सहायता

†*१०४३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहारनपुर में जापानी सरकार की सहायता से एक कृषि फार्म खोला गया था ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ग) फार्म कहां तक सफल रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी नहीं । फिर भी, १९५९ में चार जापानी किसानों ने सहारनपुर जिले में सरोना गांव में एक गैर-सरकारी किसान से पट्टे पर ३ एकड़ जमीन लेकर खेती की थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) साधारणतया साल में स्थानीय किसानों द्वारा पैदा की गयी धान की एक फसल के मुकाबले में जापानी किसान उस जमीन में जहां धान पहले कभी नहीं बोया गया था, एक साल में

†मूल अंग्रेजी में

धान की दो फसलें और गेहूं की एक फसल उगा सके । खेती की आधुनिक शैली अपनाने और ठीक ठीक मिट्टी और पानी के प्रबन्ध के कारण उन्होंने १९६०–६१ के वर्ष के पहले मौसम में प्रति एकड़ ४१० रुपये के वास्तविक लाभ के साथ प्रति एकड़ ५१·९ मन धान और दूसरे मौसम में प्रति एकड़ ६६७·५० रुपये के वास्तविक लाभ के साथ प्रति एकड़ ४९·५ मन धान पैदा किया । स्थानीय किसानों द्वारा प्राप्त औसत पैदावार केवल २० मन प्रति एकड़ थी ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : जापानी किसानों की भारी सफलता को देखते हुये क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है जिससे स्थानीय अथवा भारतीय किसान खेती की वही शैली अपना सकें ?

†**डा० रामसुभग सिंह** : सरोना के आसपास के गांवों के किसान वह शैली अपना सकते हैं । इसके अलावा उन जापानी किसानों को पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और उड़ीसा में चार सरकारी प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन खेतों में फिर नियुक्त किया जाने वाला है । यह इसी उद्देश्य से किया जा रहा है कि उनके खेती के उन्नत तरीकों का प्रचार किया जाये ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या यह खेती गहरी खेती है या विस्तृत खेती है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह बहुत गहरी है ।

†**श्री कृष्ण पाल सिंह** : उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े क्षेत्र में धान की खेती होती है । तब प्रदर्शन-फार्म स्थापित करने के लिये उसे क्यों नहीं शामिल किया गया है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शायद माननीय सदस्य को वह मालूम नहीं है ।

†**श्री कृष्ण पाल सिंह** : मेरा मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से था ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और गुजरात की सरकारों ने प्रदर्शन फार्म स्थापित करने की इच्छा प्रकट की थी । ज्यों ही उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा प्रस्ताव रखेगी, वहां भी प्रदशन फार्म खोला जा सकता है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : ये फार्म स्थापित करने में केन्द्रीय सरकार का क्या हिस्सा होगा, कितने लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा और ये फार्म अन्तिम रूप से कब स्थापित किये जा रहे हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में यह करार २३ अप्रैल, १९६२ को किया गया था । जापान सरकार खेती के औजारों के चार सेट सप्लाई कर रही है । बाकी का हिस्सा संबंधित राज्य सरकार देगी ।

†**श्री त्यागी** : क्या सहारनपुर में यह फार्म जापानियों ने सरकार की ओर से या अपनी व्यक्तिगत हैसियत से स्थापित किया था ? क्या उससे कोई मुनाफा हो रहा था ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में बिहार सरकार ने पहले उन जापानी किसानों को बुलाया था । बाद में अर्थात ढाई साल तक बिहार सरकार के अफसरों के साथ काम करने के बाद, वे खुद ही उत्तर प्रदेश गये । वहां उन्होंने ३ एकड़ जमीन खरीदी और अपना निजी फार्म चालू किया ।

†**श्री त्यागी** : क्या उससे मुनाफा हो रहा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह :** उससे बहुत मुनाफा था । वह १९५९ में स्थापित किया गया था । १९५९-६० में उन्होंने तीन फसलें उगायीं, पहली दो धान की और तीसरी गेहूँ की । १९६०-६१ में भी तीन फसलें पैदा की गयीं । पहले साल में उपज इस प्रकार थी । पहली फसल में प्रति एकड़ ३३ मन ९ सेर दूसरी फसल में प्रति एकड़ ४० मन २३ सेर ।

श्री ज० ब० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब जापानियों की मदद से की जाने वाली खेती से पैदावार ज्यादा हो रही है, तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी स्कीम है कि जो पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, जहां पैदावार कम हो रही है चूंकि प्रश्न में सहारनपुर का ज़िक्र किया गया है, इसलिये मैं खास तौर पर यू० पी० के बारे में पूछ रहा हूं ---उन में इस तरह के फ़ार्म खोले जायें ।

डा० राम सुभग सिंह : अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से इस प्रकार की कोई योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में आयगी, तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री सरजू पाण्डेय : इस फ़ार्म के ऊपर जापान सरकार ने कितना रुपया लगाया है और यू० पी० गवर्नमेंट ने कितना ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में सहारनपुर के सरौना गांव में जापानियों ने जिस फ़ार्म की स्थापना की थी, उस पर केवल उन्हीं का खर्च हुआ, सरकार का नहीं । वह तीन एकड़ का फ़ार्म उन्हीं का है । फ़र्टीलाइज़र पर कुछ रुपया खर्च हुआ, लेकिन और किसी चीज़ पर नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : अखबारों के पढ़ने से मालूम होता है कि जो जन्तर-मन्तर जापानी खेती में ज़रूरी है, उस तरह का जन्तर-मन्तर हमारे यहां का किसान नहीं कर सकता । इस लिये इस बारे में सरकार जो कुछ कर रही है, उस का फ़ायदा बड़े बड़े फ़ार्म ही उठायेंगे या छोटे छोटे किसान भी उस का कुछ फ़ायदा उठा सकेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय प्रश्नकर्ता को विदित है कि भारत में भी बहुतेरे छोटे छोटे किसान हैं जो इस प्रकार के जंदर-मंतर के प्रयोग से इतना उत्पादन कर लेते हैं और रुपये की मात्रा में कहीं कहीं इससे ज्यादा भी आय की जाती है ।

विद्युत् परियोजनायें

†***१०४५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् परियोजनाओं की कार्यान्विति में बताई गई कठिनाइयों तथा रुकावटों को ध्यान में रख कर योजना आयोग से मामले की जांच कराई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) मंत्रालय के विद्युत् उपभाग (विंग) को बढ़ाने के लिये, विशेष कर इस बात को ध्यान में रखकर कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परियोजनायें और आवंटन बहुत अधिक हैं क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे विद्युत् परियोजनाओं की कार्यान्विति की प्रगति के मूल्यांकन का कार्य एक ऐसे स्वतंत्र अभिकरण को सौंप दें जो उन परियोजनाओं की कार्यान्विति से सम्बद्ध न हो, और वे समय समय पर प्रगति की समीक्षा करती रहें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग के विद्युत् उपभाग में सदस्य का एक अतिरिक्त पद मंजूर किया जा चुका है और मंत्रालय को तथा उस आयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रश्न की छानबीन हो रही है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या इन परियोजनाओं की कार्यान्विति में अनेक कठिनाइयों और गत्यवरोध के जो केन्द्रीय स्तर पर हल किये गये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**श्री अलगेशन :** योजना आयोग, मंत्रालय और केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग के अफसरों के एक दल ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया था और उसने इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अपनी कठिनाइयों की चर्चा उनसे की थी। वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान उन दो अग्रलेखों की ओर दिलाया गया है जो मांगों पर चर्चा के ठीक बाद, एक हिन्दुस्तान टाइम्स में और दूसरा टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है, और क्या वह केन्द्रीय स्तर पर कुछ कार्यवाही करने की अत्यावश्यकता समझते हैं ?

†**श्री अलगेशन :** जी हां । मैंने दोनों अग्रलेख पढ़े हैं । लेकिन वे अग्रलेख लिखे जाने से पहले भी हमने जरूरत समझी थी और संसद् के सामने सारी बातें रखी थीं । हमने यह भी कहा था कि हमें और तेजी से आगे बढ़ना होगा तथा और अधिक विदेशी मुद्रा आवश्यक होने के कारण हम तब तक योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक कि कुछ कार्यवाही न की जाये । हम इस मामले में पूरी तौर से जागरुक हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** माननीय मंत्री ने यह उल्लेख किया था कि राज्यों को इन विद्युत् परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन करने की सलाह दी गई थी । क्या मैं जान सकता हूं कि वह स्वतंत्र मूल्यांकन किस प्रकार का होगा और 'स्वतंत्र' का क्या अर्थ है ?

†**श्री अलगेशन :** परियोजना से बाहर का कोई अभिकरण मूल्यांकन का काम करेगी और कठिनाइयां बतायेगी और किस तरह अधिक तेजी से उन्नति होगी आदि ।

†**डा० क० ल० राव :** क्या मुख्य इंजीनियर या संचालक जैसे वरिष्ठ पदों के लिये जिनके वगैर नीचे के कर्मचारी कोई जिम्मेदार नकशे वगैरह नहीं बना सकते, सरकार ने कोई मंजूरी दी है या देने का विचार है ?

†**श्री अलगेशन :** इस पर हम विचार कर रहे हैं ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** क्या ये विद्युत् परियोजनाएं एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा ले लिये जाने के बाद से रेलवे प्रशासन ने अपने बिजलीघर बंद कर दिये हैं या उनकी स्थापित क्षमता कम कर दी है और अभी फिलहाल बिजली की सप्लाई कम है जिस कारण सरदीहार, कटिहार और दूसरी जगहों में लोगों को कठिनाई हो रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** रेलवे स्टेशनों पर बिजली की कमी है क्योंकि वह कम कर दी गई है ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** ये परियोजनाएं तैं किये जाने के बाद या तो रेलवे बिजली घर बंद किये जाने या उनकी स्थापित क्षमता कम कर देने के कारण कमी हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : क्या इस का उत्तर रेलवे मंत्री या यह मंत्री दें ?

†श्री प्रिय गुप्त : यह इसी मंत्री के लिये है क्योंकि इससे सप्लाई कम हो गई है ।

†श्री अलगेशन : मैं एकाएक नहीं बता सकता ।

†श्री रा० बरुआ : अपने निजी जेनरेटर प्राप्त करने के लिये कब तक गैर-सरकारी एककों को कितने लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं ।

†श्री अलगेशन : लाइसेंस राज्यों द्वारा जारी किये जाते हैं ।

†श्री रा० बरुआ : ऐसे कार्यों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है ?

†अध्यक्ष महोदय : वह वित्त मंत्री से पूछा जाये ।

†श्री दाजी : इन विद्युत परियोजनाओं के लिए कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अब प्राप्त की जा चुकी है ।

†श्री अलगेशन : विदेशी मुद्रा नियत की गई है । मांगों पर चर्चा के दौरान मैंने सभा को बताया था कि उसमें से अधिकतर मुद्रा नियत हो चुकी है । विभिन्न परियोजनाओं के लिये ऋण की व्यवस्था की जा चुकी है । अभी तक जितनी रकम की व्यवस्था की गई है या की जायगी वह लगभग २८० करोड़ रुपये है ।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि विद्युत् परियोजनाओं के लिये विदेशों से आयात किये गये उपकरण की भारी कमी है ? सप्लाई बढ़ाने और कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†श्री अलगेशन : वह योजना का एक अंग है ।

गेहूं संम्बंधी समझौता

+

†*१०४७. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती मैमूना सुल्तान : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च में जैनेवा में हुये गेहूं सम्बन्धी नये करार में शामिल होने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) इस करार की क्या विशेषतायें हैं; और

(ग) इसका भविष्य में हमारी खरीद पर क्या असर पड़ेगा ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार में शामिल हो गया है । १४ मई, १९६२ को करार पर भारत की ओर से हस्ताक्षर किये गये थे ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) करार मोटे तौर पर वर्ष १९५९ के करार का अनुकरण है सिवाये इसके कि अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों में १२॥ प्रतिशत प्रति कुशल वृद्धि हो गई है ।

(ग) हमारी खरीद पर इस का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस में शामिल हो कर भारत किन दायित्वों को पूरा करने के लिये सहमत हो गया है ?

†**श्री शिन्दे :** करार में कोई नये दायित्व नहीं रखे गये हैं । यह उसी नमूने का है जैसा भारत पहिले चार बार कर चुका है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** भारत को क्या लाभ होगा ?

†**श्री शिन्दे :** जब भी भारत को वाणिज्यक खरीद करने की आवश्यकता होगी, तब भारत इन देशों से गेहूं खरीद सकता है । इस करार से हमें एक यह मुख्य लाभ है ।

श्री विभूति मिश्र : कल माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया उससे पता चलता है कि हिन्दुस्तान में गल्ले की कमी नहीं है, लेकिन अमरीका के साथ हमारा कंट्रैक्ट जितने जितने गल्ले का हुआ है उतना हम मांगते हैं । तब फिर इस ऐग्रीमेन्ट की क्या जरूरत थी ?

†**श्री शिन्दे :** नये करार के अनुसार हमारे लिए यह जरूरी नहीं है कि हम किसी विशेष वर्ष में किसी विशेष देश से खरीदें ।

सतपुरा तापीय विद्युत् केन्द्र से राजस्थान को विद्युत् का संभरण

†*१०४८. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है कि कि वह राजस्थान को विद्युत् देने के लिये सतपुरा तापीय विद्युत् केन्द्र के सहायक के रूप में अधिक बिजली 'जेनरेटिंग यूनिट' स्थापित करे;

(ख) परियोजना का क्या ब्योरा है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी) :** (क) से (घ) एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) मध्य प्रदेश की तीसरी योजना में सतपुरा में एक तापीय बिजली घर बनाने का उपबन्ध है जिसमें तीन बिजली बनाने के यन्त्र होंगे और उनमें से प्रत्येक ५०।६२.५ मेगावाट का है । राजस्थान की योजना में भी ५०।६२·५ मेगावाट के एक तापीय सेट और एक ३० मेगावाट के सेट की स्थापना का उपबन्ध है । कार्य की आसानी के लिए मितव्ययता का विचार, और अधिक दूरी से कोयला लाना दूर करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारें संयुक्त रूप में सतपुरा में पांच विद्युत् जनक यंत्र लाने

†मूल अंग्रेजी में

पर सहमत हो गई हैं जिनमें से प्रत्येक ५०/६२.५ मेगावाट का होगा इनमें से तीन यंत्र मध्य प्रदेश के और दो यंत्र राजस्थान के होंगे। अनुमान है कि योजना पर ३०.३८ करोड़ रु० व्यय होंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारें ६०.४० के अनुपात में व्यय उठायेंगी।

(घ) परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है।

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह** : परियोजना रिपोर्ट कौन तैयार करता है और यह कब तक तैयार हो जायेगी ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : अभी यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी अभी जांच हो रही है। परन्तु इसके शीघ्र प्राप्त होने की आशा है

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह** : रिपोर्ट कौन तैयार करता है—मध्य प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : मध्य प्रदेश के विद्युत् बोर्ड से केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने की प्रार्थना की है।

†**श्री अ० सिं० सहगल** : मध्य प्रदेश सरकार तीन तापीय विद्युत जनक यंत्र और राजस्थान सरकार दो यंत्र लगायेगी। व्यय का क्या अनुपात है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : यंत्रों की संख्या के अनुसार अनुपात ६०:४० होगा।

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह** : इस योजना में जबकि केन्द्रीय सरकार इतनी दिलचस्पी लेती है, तो उसका अंश क्या होगा?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : व्यय में केन्द्रीय सरकार के हाथ बटाने का प्रश्न ही नहीं है। यह दो राज्यों के लाभ के लिए बनाया जा रहा है। दो बिजली घर बनाने के बजाये, उनका काम एक बिजली घर से पूरा हो जायेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : स्टेटमेंट में बतलाया गया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जायेगी।

श्री सै० अ० मेहदी : जैसा मैंने अभी कहा, वह स्टेट गवर्नमेंट तैयार कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी यह रिपोर्ट तैयार हो कर दाखिल हो जायेगी। लेकिन तारीख अभी नहीं बतलाई जा सकती।

†**डा० क० ल० राव** : क्या सरकार ने देश में विभिन्न कोयला क्षेत्रों से कोयला लाने और बिजली ले जाने की तुलनात्मक अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन किया है ? यदि उन्होंने नहीं किया है तो क्या उनका विचार अध्ययन करने का है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न सीधा इस प्रश्न से पैदा होता है। परन्तु आशा है कि इस परियोजना विशेष के एकीकरण से पर्याप्त बचत होगी। पूंजी-व्यय में लगभग ३ करोड़ रु० की बचत होगी और वार्षिक आवर्तक व्यय में राजस्थान को लगभग ४४ लाख रु० की बचत होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

टिसुआ रेलवे स्टेशन पर डकैती

*१०४९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ डकैतों ने टिसुआ रेलवे स्टेशन (बरेली—लखनऊ लाइन उत्तर रेलवे) पर ३० अप्रैल की रात में हमला किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितना सामान लूटा;

(ग) रेलवे पुलिस ने इस मामले में क्या कार्यवाही की; और

(घ) इस सम्बन्ध में कितनी गिरफ्तारियां की गईं?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । लेकिन घटना २८ और २९ अप्रैल, १९६२ के बीच रात में हुई ।

(ख) डाकुओं ने जो सामान लूटा उसमें २१ रुपये ४५ नये पैसे नकद, २ घड़ियां, एक जोड़ा धूपी चश्मा, २ साड़ियां, एक जोड़ा पायल और पहनने के कुछ कपड़े थे । इन सबकी कीमत कुल ३७१ रुपये ४५ नये पैसे है ।

(ग) और (घ) बरेली की रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अभी उसकी जांच हो रही है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहत हूं कि जो इस तरह की घटनाएं हुआ करती हैं उनसे मुसाफिरों की रक्षा करने के लिए क्या रेलवे विभाग अपनी प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा कुछ काम करना चाहती है?

श्री शाहनवाज खां : रेलवे स्टेशनों और मुसाफिर गाड़ियों के बीच में अमन और सुरक्षा रखने की जिम्मेवारी स्टेट पुलिस की है । जहां कोई ऐसी घटना हो जाती है तो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है और जो मुलजिम होते हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है ।

श्री विभूति मिश्र : पिछले आठ दस साल से देखा जाता है कि अक्सर रेल में लूटमार हो जाती है । रेलवे सरकार का कमर्शियल डिपार्टमेंट है । मैं चाहता हूं कि सरकार कोई योजना बनाए कि जिससे जो मुसाफिर जाते हैं उनका पूरी तरह से प्रोटेक्शन हो सके ।

श्री शाहनवाज खां : इस मामले पर कई बार विचार किया गया है । हमारे रेलवे मंत्री साहब ने इस बारे में राज्यों के चीफ मिनिस्टरों से बातचीत की है और राज्यों के इंस्पेक्टर्स जनरल आफ पुलिस से भी मशविरा किया है और जो भी मुनासिब और मुमकिन इन्तिजामात हैं वे किए जा रहे हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : अभी माननीय मंत्री ने कहा कि जो कुछ सम्भव है किया जा रहा है । इस बात को ध्यान में रखकर कि रेलों में डकैतियों और लूट की संख्या बढ़ रही है, इस संबंध में क्या पग उठाये गय हैं?

†**श्री ज्वाला प्र० ज्योतिषी** : पिछले वर्ष ऐसी कितनी घटनायें हुई?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सरजू पाण्डेय: जब यह प्रश्न किया जाता है तो कहा जाता है कि मुसाफिरों की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। आपने बतलाया कि तमाम राज्यों के मुख्य मंत्रियों और आई० जी० पुलिस से इस बारे में वार्तालाप हुआ। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस वार्तालाप के फलस्वरूप कोई ऐसी योजना बनायी गयी जिससे मुसाफिरों की सुरक्षा हो सके?

श्री शाहनवाज खां: जी हां। राज्य सरकारें इन्तिजाम कर रही हैं और मुझे माननीय सदस्य को यह बताने में खुशी है कि जो ये बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं इनके मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उम्मीद है कि उनको कड़ी सजाएं मिलेंगी।

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह**: ऐसी कार्यवाही करने में या ऐसे व्यक्तियों को पकड़ने में रेलवे सुरक्षा पुलिस बल और राज्य पुलिस बल में कैसे ताल मेल होता है?

†**श्री शाहनवाज खां**: यदि रेलवे सुरक्षा बल को कोई जानकारी मिलती है तो सरकारी रेलवे पुलिस को देता है। रेलवे सुरक्षा बल का मुख्य कार्य रेलवे सम्पति की देख भाल करना है जो उनकी रक्षा में रखी गई है। यात्रियों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना सरकारी पुलिस बल का काम है

श्री भक्त दर्शन: श्रीमान् आम तौर पर इस तरह की जो घटना है वे चलती हुई रेलगाड़ी में होती। हैं यह घटना स्टेशन पर हुई है। अतः क्या इस सम्बन्ध में आगे से कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि रेलवे कर्मचारियों की और जो मुसाफिर स्टेशनों पर आते हैं उनकी सुरक्षा हो सके?

अध्यक्ष महोदय: यही तो बार बार पूछा जा रहा है।

श्री बृ० बि० मेहरोत्रा: क्या माननीय मत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह रेलों में लूट-मार और डकैती में लोगों का माल चला जाता है क्या उसका कोई कम्पेन्सेशन देने की भी योजना है?

†**श्री शाहनवाज खां**: उस माल ले को तलाश करने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री विभूति मिश्र: जो माल रेलवे द्वारा भेजा जाता है अगर वह गुम हो जाता तो उस के लिए रेलवे कम्पेन्सेशन देती है। मैं जानना चाहता हूं कि रेलों में जो इस प्रकार की घटनाओं के फलस्वरूप लोगों का माल चला जाता है उस के लिये रेलवे जिम्मेवार नहीं?

अध्यक्ष महोदय: यह तो कानूनी बात है।

†**श्री प्रिय गुप्त**: क्या रेलवे सुरक्षा बल का अधिकार इतना बढ़ाने का कभी प्रयास किया जाता है कि राज्य पुलिस का बल अधिकार उन्हें दिया जा सके? जिसके न होने पर इसे समाप्त कर दिया जाये और केवल एक बल रहे? मामलों को राज्य पुलिस को भेजना आवश्यक नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय**: यह बहुत बड़ा प्रश्न है। (**(अन्तर्बाधा)**

श्री ज० ब० सिंह: क्या केन्द्रीय सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम बनाई जा रही है कि रेलवे पुलिस के साथ ट्रेन में जो यह डिटेक्टिव्स आपने दिल्ली और कलकत्ते में रक्खे हैं, इन डिटेक्टिव्स का कोई ग्रुप भी उन के साथ जोड़ना चाहते हैं। ताकि ऐसे जो

---

†मूल अंग्रेजी में

वाण्ययात हों उन की जांच कर सकें और उन का पता लगा सकें ताकि सरकार उन पर कोई ऐक्शन ले ?

श्री शाहनवाज़ खां : प्लेन क्लोद्स सी० आई० डी० अभी भी जिस तरीके से माननीय सदस्य ने कहा है, उसी तरीके से काम कर रही है। माननीय सदस्य ने इस में कोई नया सुझाव नहीं दिया है। काम उसी तरीके से हो रहा है ।

रेलवे क्रासिंगज़ की मंजूरी

†*१०५०. **श्री कोया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों द्वारा नये रेलवे क्रासिंगज के लिये मंजूरी देने में देर करने के कारण जनता को जो असुविधा तथा कठिनाइयां होती है उसे सरकार जानती है ; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काफी अधिक संख्या में गांवों में सड़कें बनायी जा रही हैं और इस देर के कारण उन के काम में रुकावट होती है, क्या सरकार प्रक्रिया को सरल बनाने के विषय पर विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) जहां कहीं आवश्यक हो वहां नये रेलवे फाटक बनाने में न्यूनतम समय लेने के लिए वर्ष १९५६ में एक सरल विधि निकाली गई थी और सभी राज्य सरकारों को बता दिया गया था। वहां कार्य करने में रेलवे की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है और जहां तक सरकारें प्रक्रिया का पालन करती हैं और वित्तीय दायित्व स्वीकार करती हैं।

अधिकतर मामलों में देर इस कारण हुई कि राज्य सरकारों या संबंधित सड़क प्राधिकारियों ने ऐसे जो रेलवे फाटकों के लिए नियमान्तर्गत अपेक्षित दायित्व तत्काल स्वीकार नहीं किया है ।

†**श्री कोया :** क्या सरकार का विचार इस मामले का विकेन्द्रीकरण करने और जिले में अधिकारियों को अधिकार देने का है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** प्रक्रिया यह है कि जब कभी राज्य सरकार के लोकनिर्माण कार्य का एग्जीक्योटिव इंजीनियर यह समझता है कि किसी क्षेत्र विशेष में रेलवे फाटक होना चाहिये , तो उसे केवल क्षेत्र के डिवीज़नल सुपरिटेन्डेन्ट को लिखना और प्रकाशन प्राक्कलन तथा योजना आदि तैयार कराने के लिए २००० रु० जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद डिविजनल सुप्रीटेन्डेंट या संबंधित इंजीनियर प्राक्कलन तथा योजना प्रशासन को भेज देगा और प्रशासन संबंधित राज्य के लोकनिर्माण विभाग के सचिव से पत्र-व्यवहार करेगा। यदि वे उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तो मामले में तत्काल आगे कार्यवाही की जाती है ।

†**श्री हेडा :** जहां रेलगाड़ियां नगरों में हो कर जाती हैं, वहां यात्रियों के लिए ऊपरी पुल का क्या प्रबन्ध है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वह भी निर्धारित किया गया है । रेलवे का दायित्व केवल रेलवे सम्पत्ति पर है। मिलने वाली सड़क का बनाने का कार्य या तो संघ के परिवहन

†मूल अंग्रेजी में

तथा संचार मंत्रालय पर डाला जाता है यदि राष्ट्रीय राज पथ हो तो राज्य सरकार पर डाला जाता है . यदि वह राज पथ हो । मिलाने वाली सड़कों को पुल द्वारा रेलवे मार्ग के ऊपर मिलाना रेलवे का कार्य है ।

†**श्री हेडा** : मैं गाड़ियों के ऊपरी पुल का उल्लेख नहीं कर रहा। मैं तो यात्रियों के ऊपरी पुल की बात कर रहा हूं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पैदल यात्रियों के लिए ऊपरी पुल बनाना रेलवे का दायित्व है ।

†**श्री राम सेवक यादव** : यह जो आये दिन लेविल क्रौसिंग पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं तो क्या रेल मंत्रालय अपना यह कर्त्तव्य नहीं समझता कि राज्य सरकारों को लिखे कि इस तरह की व्यवस्था वहां पर कराई जाये ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम ने उन्हें लिखा है ।

†**श्री वारियर** : क्या रेलवे मंत्रालय ने परिवहन तथा संचार मंत्रालय को राष्ट्रीय राजपथों पर ऊपरी पुलों के निर्माण के बारे में लिखा है और इस मामले में उस मंत्रालय से सहायता भी मांगी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वस्तुतः परिवहन तथा संचार मंत्रालय परिपत्र जारी करता है । जो कि राष्ट्रीय राज-पथों के लिए जिम्मेदार है ।

†**श्री प्रभात कार** : क्या यह सच है कि बहुत से मामलों में, आबादी के निवासियों द्वारा रेलवे फाटक की प्रार्थना किये जाने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया र यद्यपि पैदल यात्रियों के लिए ऊपरी पुल के लिए यह रेलवे प्राधिक रियों की जिम्मेदारी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : रेलवे क्षेत्र में पैदल योत्रि के उपरी पुल, यदि जनता की मांग उचित हो, आवश्यकतानुसार बनाये जा येंगे। क्षेत्र के बाहर उपरी पुलों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं ।

मद्रास नगर की को कावेरी नदी का पानी

+

†*१०५२. **डा० श्रीनिवासन** :
श्री परमशिवन :
श्री राजा राम :
श्री मनोहरन :
श्री सर्मलिंगम :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास नगर में पीने के पानी की भारी कमी को पूरा करने के लिये वहां पर कावेरी नदी का पानी ले जाने के लिये सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्राक्कलित लागत क्या है और यह कब कार्यान्वित की जायेगी ;

(ग) क्या उक्त विचाराधीन प्रस्ताव के अतिरिक्त भी कोई अन्य प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका स्वरूप, क्षेत्र और विस्तार क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) से (घ) जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी ।

†**डा० श्रीनिवासन** : क्या इस योजना के बारे में मद्रास सरकार ने प्रस्ताव भेजे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। अगला प्रश्न ।

ग्राम्य क्षेत्रों में पीने का पानी का संभरण

+

†*१०५३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने गांव हैं जहां पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने गांव हैं जहां व्यक्ति पानी पीने योग्य न होने के कारण कष्ट उठा रहे हैं ;

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में इस समस्या को सुलझाने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ; और

(घ) क्या सरकार इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) और (ख) मामले की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि समूचे देश में ग्रामीण जल संभरण की स्थिति का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) तीसरी योजना में गांवों में पानी की व्यवस्था को बहुत ऊंची प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता प्रोग्राम स्थानीय विकास कार्य प्रोग्राम सामुदायिक विकास प्रोग्राम और पिछड़े वर्गों का कल्याण प्रोग्राम में उपबन्ध किया गया है । तीसरी योजना काल में ग्रामीण जल संभरण पर कुल लग भग १०० करोड़ रु० व्यय होंगे जिसमें राज्यों और ग्रामवासियों के अंश भी शामिल हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय उपमंत्री कहते हैं कि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के बारे में उनके पास पूरी जानकारी नहीं है । परन्तु उनके पास कितनी जानकारी है? क्या कम से कम कुछ राज्यों ने भी जानकारी नहीं दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० द० स० राजू** : हां, श्रीमान् । हमें चार राज्यों से, अर्थात्, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, और मध्य प्रदेश से, जानकारी प्राप्त हो गई है । चार योजनायें चल रही हैं । अनुमान है कि राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता प्रोग्राम में १५,००० गांवों तथा १४० लाख व्यक्तियों को लाभ होगा । सामुदायिक विकास प्रोग्राम में दूसरी योजना में लगभग ५ लाख कुंओं का नवीकरण किया गया है या खोदे गये हैं । स्थानीय विकास कार्य की तीसरी योजना में लगभग १,३२,००० कुएं खोदे गये हैं या उनका नवीकरण किया गया है । पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रोग्राम के अन्तर्गत २०,००० कुएं खोदे गये हैं या उनका नवीकरण किया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या हम यह समझें कि कम से कम उन गांवों में, जहां आजकल पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और जहां ग्रामवासी सहयोग करने को तैयार हैं, माननीय मंत्री आश्वासन दे सकते हैं कि कम से कम धन के अभाव के कारण उन गांवों की जल संभरण की योजनाओं को पिछड़ा नहीं रहने दिया जायेगा और उन्हें आरम्भ किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : माननीय सदस्य विश्वास रखें कि जैसा कि उपमंत्री जी ने कहा है कि ग्रामीण जल संभरण योजना को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है । अभी तक इस मंत्रालय को कोई ऐसी योजना प्राप्त नहीं हुई है जिसे टेक्निकल कर्मचारियों ने मना कर दिया हो ।

†**श्री राम सेवक यादव** : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि चार राज्यों से सूचनायें प्राप्त हुई हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन राज्यों में अलग अलग कितने गांव हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है ।

†**डा० सुशीला नायर** : यदि माननीय सदस्य विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वह हमारे पास आ सकते हैं या वह जानकारी मांग सकते हैं जबकि हमें उनसे जानकारी मिल जाये ।

†**श्री यशपाल सिंह**: क्या सरकार को पता है कि साउथ एवेन्यू में जहां ला-मेकर्ज रहते हैं, सिर्फ पचास परसेंट जरूरत का आधा पानी मिलता है ?

†**श्री वारियर**: : क्या अन्य राज्य सरकारों से आवश्यक जानकारी प्राप्त हो गई है और केवल कुछ राज्यों से जानकारी प्राप्त होने में देर हुई है ।

†**डा० सुशीला नायर**: : हां, श्रीमान् । हमने जानकारी मांगी है परन्तु सभी राज्यों ने अभी तक विस्तृत सर्वेक्षण और निर्धारण नहीं दिया है ।

†**श्री शा० ना० चतुर्वेदी** : क्या प्रत्येक योजना का अधिकतम व्यय निर्धारित किया गया है और स्थानीय व्यक्तियों से बहुत धन मांगा जाता है जिससे ये विभिन्न गांवों में लागू नहीं हो रही है ?

†**डा० द० स० राजू** : केन्द्रीय मंत्रालय ग्रामीण जल-व्यवस्था के लिये लगभग ५० प्रतिशत सहायता अनुदान दे रही है और बाकी ५० प्रतिशत की व्यवस्था ग्रामवासियों तथा राज्यों को करनी है ।

श्री वृ० वि० मेहरोत्रा : बहुत से गांवों में जहां कुंओं का पानी खारी होता जा रहा है, वहां परीक्षण करके कोई व्यवस्था करेंगे कि मीठा पानी मिल सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर : स्टेट गवर्नमेंट्स ये स्कीम्ज बनाती हैं । रूरल वाटर सप्लाई की और जहां के कुओं का पानी खारी है, वहां के लिये कोई दूसरी योजना बना कर जब स्टेट्स भेजती है तो सैंटर से उसके लिये उपयुक्त सहायता जैसे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा, मिल सकती है ।

श्री बड़े : रूरल वाटर सप्लाई को यदि गांवों में स्टेट्स में बढ़ाना है, तो क्या इस काम को पंचायतों को दे दिया गया है और पंचायतें जब पैसा डिपाजिट करती हैं तो ही वहां कुएं खोदे जाते हैं यदि नहीं तो कुएं नहीं खोदे जाते ?

डा० सुशीला नायर : जो कुएं खोदने का काम है यह अधिकतर तो कम्युनिटी डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री के मातहत है या लोकल वर्क्स के नीचे होता है और उनकी कुएं खोदने के लिये पैसा देने की अलग अलग स्कीम्ज हैं जो माननीय सदस्य जानते हैं ।

श्री बड़े : पैसे डिपाजिट करने का नियम है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं ।

डा० सुशीला नायर: मैंने अर्ज किया है कि जो नियम हैं पैसा देने के या डिपाजिट करने के, ये कम्युनिटी डिवेलेपमेंट मिनिस्ट्री ने और लोकल वर्क्स को जो देखते हैं,उन लोगों ने बनाये हुये हैं । हैल्थ मिनिस्ट्री के तहत यह कुएं खोदने का काम नहीं आता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** राजस्थान सरकार ने, विशेषकर अपने शुष्क क्षेत्र संबंधी एक नील मुद्र तैयार किया है और अपनी ग्राम जल-व्यवस्था की आवश्यकता का निर्धारण किया है । क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई प्रति उपलब्ध है ? उन्हें कितना धन दिया गया है ताकि वे यह प्रोग्राम पूरा कर सकें और तीसरी योजना में अपनी आवश्यकता पूर्ति कर सकें ?

†**डा० सुशीला नायर :** माननीय सदस्य को बता दिया गया है कि भारत सरकार क्या सहायता देती है । ग्रामीण जल व्यवस्था के लिये भारत सरकार का कुल उपबन्ध लगभग १६ करोड़ रु० का है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ:** इस बात को ध्यान में रखकर कि यह कहा गया है कि ये कुएं खोदे जायें, क्या इनमें नल कूप भी शामिल हैं क्योंकि कुछ स्थानों पर में पानी बहुत गहराई पर मिलता है ?

†**डा० सुशीला नायर :** अब तक स्वास्थ्य मंत्रालय का हाथ उन योजनाओं में आया है जिनमें किसी प्रकार की विशेष इंजीनियर बुद्धि या नल-जल संभरण की व्यवस्था करना आवश्यक हुआ है । मेरा अनुमान है कि गहरे नल कूप इस श्रेणी में आयेंगे ।

†**श्री त्यागी :** मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में जल-व्यवस्था की अपनी आवश्यकता के बारे में कोई सूची या जानकारी नहीं दी है । क्या उत्तर प्रदेश सरकार की असावधानी के कारण व्यक्तियों को पानी की कमी की कठिनाई होगी या उनकी आवश्यकताओं की भी जांच की जायेगी ।

†**डा० सुशीला नायर :** उत्तर प्रदेश सरकार सहित सभी राज्य सरकारों ने कुछ विशेष योजनायें भेजी हैं जिनके लिये उन्हें सहायता दे दी गई है । अनेक राज्यों ने समस्या का समूचा निर्धारण नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिये बिजली का संयुक्त "पूल"

†*१०५४. **श्री दी०चं० शर्मा:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिये बिजली का एक संयुक्त 'पूल' बनाने का प्रस्ताव है ताकि किसी आपात का सामना किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) तीनों प्रणालियों के सम्भव अन्तर्सम्बधों तथा सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिये पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत् बोर्डों, दिल्ली विद्युत् सम्भरण उपक्रम और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के प्रतिनिधियों की एक उपसमिति बनाई गई है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या अभी तक इस समिति की कोई बैठक हुई है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : अभी तक नहीं हुई। एक बैठक जल्दी ही होगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस उपसमिति में कौन कौन विशेष समस्यायें भेजी गई हैं ? क्या इस समिति को कोई निर्देश पद दिये गये हैं, या उन्हें कोई सामान्य बात कही गई है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : समिति से आशा है कि वह भाखड़ा-व्यवस्था और उसकी विद्युत् क्षमता का विस्तृत विश्लेषण तथा अध्ययन करेगी। उनकी रिपोर्ट पर पूरी तरह विचार किये जाने तक, कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि बिजली के वितरण के बारे में जो यह पूल बनाया जा रहा है उसमें सारे उत्तर प्रदेश को शामिल किया जा रहा है या केवल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को लिया जा रहा है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : इसमें सारा उत्तर प्रदेश शामिल होगा।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच हो रहे लम्बे विचार विमर्श का ध्यान रख कर क्या मध्य प्रदेश को भी इस पूल में शामिल किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो केवल पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिये है, इसमें मध्य प्रदेश कहां से आ गया ?

†**श्री श्याम लाल सर्राफ:** इस बात का ध्यान रख कर कि जम्मू तथा काश्मीर पंजाब से विद्युत् खरीदता है, क्या यह भी इस पूल में शामिल किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : प्राप्त होने वाले लाभों की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है। यदि सम्भव हुआ, तो इसे शामिल किया जायेगा अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त, मैं सभा को बता दूं कि समूचे भारत के लिये इस प्रकार के ग्रिड बनाये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोठागुडियम तापीय केन्द्र

†*१०५५. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी के बारे में ३० अप्रैल, १९६२ को सभा में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडियम तापीय केन्द्र से बारे में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने क्या जांच की ;

(ख) क्या यह सच है कि बैंक के पदाधिकारियों और विशेषज्ञों ने कोठागुडियम का हाल ही में दौरा किया और बताया कि वहां पर २० लाख किलोवाट के विद्युत् केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने बैंक के विशेषज्ञों की उपपत्तियों का परीक्षण किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) तथा (ख) बैंक ने यूनिटों के आकार, उनके स्थान और रामगुण्डम यूनिट को कोठागुडम तापीय संयंत्र से मिलाने के प्रश्न तथा अन्य टैक्निकल बातों के बारे में पूछताछ की थी। बैंक के अधिकारी और विशेषज्ञ कार्य स्थान पर परियोजना के टैक्निकल पहलुओं का अध्ययन करने के लिये पिछले दिनों कार्य-स्थान पर गये थे। फिर भी, विशेषज्ञों ने विशेष रूप से कोठागुडम में १० लाख किलोवाट का बिजली घर बनाने की सम्भावना के बारे में कुंछ नहीं कहा है, हालांकि यह स्वीकार किया गया है कि ऐसी सम्भावना है।

(ग) बैंक के विशेषज्ञों के निष्कर्ष बैंक को प्रस्तुत किये जायेंगे और अभी तक हमें मालूम नहीं है।

†**श्री हेडा** : कोठागुडम के आसपास कोयला खानों और उद्योगों की बिजली की कितनी आवश्यकता है ?

†**श्री अलगेशन** : उसके बारे में ४५ मेगावाट बिजली का अनुमान लगाया गया है और कोठागुडम में ५०–६० मेगावाट के दो यूनिट लगाने का विचार है ?

ढिलवां में इमारती लकड़ी के डिपो में आग

†*१०५६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री ७ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जालन्धर के समीप ढिलवां के इमारती लकड़ी के डिपो में लगी आग के कारणों की जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और उनकी उपपत्तियों के अनुसार यह आज आकस्मिक है।

†**श्री स० मो बनर्जी** : क्या हानि की लगभग राशि अथवा सही राशि का अनुमान लगा लिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह १.३७ करोड़ रुपये हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि रेलवे अधिकारियों तथा पुलिस की रिपोर्ट में अन्तर है और यदि ऐसा है तो क्या इस कारण मामले की न्यायिक जांच कराई जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** यह सच है कि दोनों में कुछ अन्तर है । रेलवे की उच्च शक्ति वाली समिति का सन्देह कुछ तोड़ फोड़ की कार्यवाही का है जबकि पुलिस जांच का यह कहना है कि यह एक आकस्मिक घटना है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ:** रेलवे अधिकारियों द्वारा की गई जांच के प्रतिवेदन में क्या यह दिया गया है कि घटिया किस्म की लकड़ी पठानकोट में स्वीकार की गई थी इसलिये आग लगी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया ।

†**श्री दलजीत सिंह :** इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के बयान लिये गये और उसके क्या परिणाम निकले ।

†**अध्यक्ष महोदय :** व्यक्तियों की संख्या से हमें क्या लाभ होगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जांच पुलिस ने की थी अतः मैं नहीं बता सकता ।

श्री अचल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह टिम्बर **इंश्योर** की गई थी या नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : कोई इंश्योर नहीं किया गया था ।

कलकत्ता के 'चालू लाइन' कर्मचारियों का बिलासपुर को स्थानान्तरण

+

†*१०५८. { **श्री प्रिय गुप्त :**
श्री नाथ पाई : }

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते के 'चालू लाइन' कर्मचारियों को निर्माण कार्य के लिये बिलासपुर स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) क्या स्थानान्तरण से पूर्व उन कर्मचारियों की राय पूछी गई थी अथवा क्या उनको कोई विकल्प दिया गया था ;

(ग) क्या सरकार ने बिलासपुर में उनके लिये निवास स्थान उपलब्ध करने और निर्माण भत्ता देने की कोई व्यवस्था की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन कर्मचारियों को निवास स्थान देने और निर्माण भत्ता देने के बारे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** क्या यह कर्मचारी निर्माण कार्य के लिये नियुक्त किये गये हैं और क्या उनको निर्माण भता दिया जायेगा । माननीय मन्त्री ने यह नहीं बताया । मैं जानना चाहता हूं कि उनको काम पर जबर्दस्ती भेजा गया था अथवा उनको उनकी मर्जी से भेजा गया था । यह स्पष्ट प्रश्न है क्योंकि उत्तर रेलवे के कर्मचारियों को पूर्व रेलवे अन्यथा अन्य किसी स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं।

†**श्री प्रिय गुप्त :** श्रीमान् उन्होंने टालने का उत्तर दे दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि वह प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछें।

†**श्री प्रिय गुप्त :** क्या बिलासपुर में काम कर रहे कर्मचारियों को उनके काम करने के मूल स्थानों से अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने से पहले उनकी इच्छा जान ली थी ?

†**श्री सें० वें०रामस्वामी :** स्थिति यह है कि कुछ कर्मचारियों का मुख्य कार्यालय में धारणाधिकार है तथा शेष का धारणाधिकार नहीं है और उनको जिलों में काम करना होता है । हमने उन्हीं कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जिनका मुख्य कार्यालय में धार-णाधिकार नहीं था। कुछ कर्मचारी निर्माण कार्य समाप्त होने तक मुख्य कार्यालय में काम कर रहे हैं। काम समाप्त हो जाने पर उनको कलकता तो छोड़ना ही पड़ता। हमने ऐसे ही कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया है। ४८ कर्मचारियों में से ३६ का गार्डन रोच हैडक्वार्टर में धारणाधिकार नहीं था। पांच कर्मचारियों ने बिलासपुर जाना चाहा था और सात को पुन: नियुक्त किया गया था। यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

†**श्री प्रिय गुप्त :** कर्मचारियों को वरिष्ठता के अनुसार भेजा गया था अथवा ऐसे ही छांट कर?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

दिल्ली में पानी की दरें बढ़ाना

अल्प सूचना प्रश्न-संख्या ११. श्री भक्त दर्शन: क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने १ जून, १९६२ से पानी की दरों में बढ़ोतरी करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान दरों में कहां तक बढ़ोतरी की जा रही है ; और

(ग) इस बढ़ोत्तरी का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० व० सा० राजू): (क) और (ख). नई दिल्ली नगरपालिका ने घरेलू उपयोग के लिए दिये जाने वाले पानी की दर को १ जून, १९६२ से ५० न० पै० प्रति हजार गैलन से बढ़ा कर ७५ न० पै० प्रति हजार गैलन करने का निश्चय किया है।

(ग) इस वृद्धि का कारण यह है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा दिये गये पानी की थोक दर प्रति वर्ष बढ़ रही है और वितरण का मूल्य तथा लाइनों पर होने वाली हानियां भी अधिक हो गई हैं जिसके फलस्वरूप समिति पिछले कई वर्षों से बहुत हानि उठा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शनः : श्रीमान् क्या माननीया मन्त्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि नई दिल्ली में अभी भी पानी का इस कदर कमी है जैसा कि मेरे मित्र ने अभी बतलाया कि साउथ एवेन्यू में नल टूटते रहते हैं और ऊपर की मंजिल में पानी नहीं पहुंचता, ऐसी दशा में क्या यह न्यायपूर्ण होगा कि जब तक उसमें सुधार न हो तब तक इसका रेट बढ़ा दिया जाये ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : श्रीमन्, पानी की मिकदार बढ़ाने का सवाल एक अलहिदा सवाल है और वह सवाल तो लिया नहीं जा रहा है। कई बार यहां पर उसका जवाब दिया जा चुका है। अब सवाल यह है कि यह जो पानी की दर ८ आने या ५० नये पैसे पर तय हुई थी यह सन् १९४०–४१ में तय हुई थी। उस वक्त बुल्क सप्लाई का दाम १.९३ आनाज पर थाउजैंड गैलन था। आज ४४.८३ नया पैसा पर थाउजैंड गैलन उस की दर है, करीब-करीब ८ आना आज उसकी बुल्क सप्लाई की दर है। इस चीज को देखते हुए और उसके साथ ही साथ यह देखते हुए कि इस्टेब्लिशमेंट की कौस्ट भी बहुत बढ़ गयी है। म्युनिसिपलिटी को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। जो दर म्युनिसिपल्टी ने बढ़ायी है उससे कोई १०, १२ लाख रुपये की ज्यादा आमदनी होगी लेकिन घाटा सब का सब पूरा इससे भी नहीं होगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में स्वीकार किया कि दर में इस बढ़ातरी के बाद भी घाटा पूरा नहीं होगा तो जब कि केन्द्रीय सरकार से उन्हें अनुदान लेना ही है तो क्यों नहीं इस पर पुनर्विचार करने की कृपा की जाये ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, लाखों लाख का घाटा पूरा करना एक बात होती है और थोड़ा सा घाटा पूरा करने की दूसरी बात होती है। माननीय सदस्य जानते हैं कि एक अमुक धनराशि जिससे कि इस हिन्दुस्तान की सभी जगह की जो वाटर सप्लाई स्कीम्स आयेंगी उनको अनुदान देना है। अब अगर यहां दिल्ली में ज्यादा दे दिया जायेगा तो दूसरी जगह के लिये कम रह जायेगा।

†**श्री अन्सार हरवानीः** : दिल्ली में पानी की दरें बढ़ने के साथ-साथ क्या पानी का दबाव घट रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : म यह जानना चाहता हूं कि यह दरें इतनी कम क्यों बढ़ायी गयी हैं और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ायी जा रही हैं जबकि कम्परेटिवली दूसरे शहरों में दिल्ली से पानी की बहुत ज्यादा दरें हैं ? कम रेट रख कर नई दिल्ली म्युनिसिपल्टी नुकसान क्यों सफर कर रही है ?

अध्यक्ष महोदयः : अब यह तो आप आर्गुमेंट देने लग गये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : आखिर कोई रीजंस तो होंगे। जब पानी की दर बढ़ाने के रीजंस हैं तो यह दर कम क्यों बढ़ायी गयी है ? यह तो हम लोगों ने इनक्वायर किया, सपोर्ट किया। सब जगहों के मुकाबले में यहां दिल्ली में जो कि कैपीटल है वाटर रेट कम है और इसको लेकर कम्लेंट्स की जा रही हैं कि यहां पानी की दर बहुत कम है। अब ऐसी तो कोई बात उठती नहीं है कि वाटर रेट कम होना चाहिए तो फिर यह रेट कम क्यों बढ़ाया गया है ?

डा० सुशीला नायर : माननीय सदस्यों को बहुत ज्यादा तकलीफ न हो इसलिये रेट जरा कम बढ़ाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसेवक यादव : पानी की दरों के बढ़ जाने से नई दिल्ली के रहने वाले लोगों को अपने पानी के खर्चे का कम करना पड़ेगा और वह प्यासे भी मरें तो क्या मन्त्रिणी महोदया इस पर विचार करेंगी कि पानी का रेट न बढ़ाया जाये ?

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : माननीय मन्त्री ने अभी यह स्वीकार किया है कि पानी पर्याप्त सम्भरण होने की शिकायतें बहुत सी मिलती हैं। क्या यह ठीक नहीं था कि सेवा ठीक करके दरें बढ़ाई जाती ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, पानी के लिये जो सर्विसेज लगती हैं वह टेंड टैकनकल स्टाफ है। वाटर वर्क्स के स्टाफ वाले एजुकेटेड न हो यह नहीं हो सकता। वह तो हाईली टैक्निकली ट्रेड लोग हैं जो कि पानी तैयार करते हैं लेकिन जो पानी इस्तैमाल करने वाले लोग हैं वह एजुकेटेड भी हैं और अन-एजुकेटेड भी हैं और बहुत सा पानी वेस्ट भी होता है। नल चलते रहते हैं और शायद माननीय सदस्यों के घरों में भी नल इस तौर पर चलते हों तो कोई आश्चर्य न होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सड़क द्वारा माल का परिवहन

†*१०४१. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों और अन्तर्राज्यीय सड़कों पर माल का परिवहन शुरू करने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ताकि रेल परिवहन की कमी के कारण उत्पन्न कठिनाइयां दूर की जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). तृतीय चवर्षीय योजना में यह दिखाया गया है कि रेलवे परिवहन पर अत्यधिक दबाव के कारण तथा तीसरी योजना के विभिन्न प्रकार के परिवहन का समन्वित विकास करने की आवश्यकता के कारण सरकारी क्षेत्र के लिये आवश्यक हो जाता है कि माल का परिवहन सड़क द्वारा करे। परन्तु इस सुझाव के विभिन्न पहलू जैसे संगठन का रूप तथा कार्यक्रम की व्याप्ति आदि की अभी जांच की जानी है।

कलकत्ता के स्थानिक हैजा क्षेत्र में जल संभरण

†*१०४४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री ३० अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार २४-परगना की नगरपालिकाओं सहित वृहत् कलकत्ता के स्थानिक हैजा क्षेत्रों में अधिक जल सम्भरण के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में वित्तीय सहायता देगी ;

(ख) यदि हां, तो धन किस परियोजना के लिये मंजूर किया गया है ; और

(ग) क्या कोई कार्य आरम्भ हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों की क्रियान्विति के वित्तीय पहलुओं को अभी नहीं बनाया गया है। वृहद् कलकत्ता के जल सम्भरण साधनों के इंजीनियरिंग अध्ययन के प्रारूप की क्रियान्विति के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष का कार्यपालिका अभिकरण है अभी विचार कर रहा है। इंजीनियरिंग अध्ययन होने के बाद परियोजना के लागत से आकलन का परियोजना के वित्तीय तरीकों के प्रश्न पर विचार होगा।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) के आधार पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पशु

१०४६. श्री बाल्मीकि: : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९६२ के अन्त तक पिछले १० वर्षों में गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़े तथा सूअरों आदि जानवरों की संख्या प्रत्येक राज्य में बढ़ी है ;

(ख) क्या इनकी बढ़ती हुई संख्या एक समस्या नहीं बन गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस समस्या को किस प्रकार हल करना चाहती है ?

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) एक विवरण, जो कि अखिल भारतीय पशु-गणना १९५१ और १९६१ पर आधारित है, सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १७]**

(ख) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८]**

स्वचालित ट्रंक पद्धति

†***१०५१. श्री धर्मलिंगम** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास को स्वचालित ट्रंक व्यवस्था द्वारा बंगलौर, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम और कोयम्बटुर से मिलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां, अन्ततः पहले आपरेटर द्वारा डायल करना लागू किया जायेगा।

(ख) मद्रास और बंगलौर तथा मद्रास और कोयम्बटूर में आपरेटर द्वारा डायल करना लागू कर दिया गया है। मद्रास और हैदराबाद के बीच आपरेटर द्वारा डायल करने की योजना लागू की जा रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि जन्य वस्तुओं संबंधी मंत्रणा समिति

†*१०५७. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि जन्य वस्तुओं सम्बन्धी मन्त्रणा समिति के साथ सम्बन्ध रखने वाली किसानों की एक सलाहकार तालिका स्थापित करने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो मन्त्रणा समिति के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख). अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

बेपुर पत्तन

†*१०५९. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री कोया :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद ने यह कहा है कि केरल में कालीकट के समीप बेपुर में एक सर्व ऋतु गहरा समुद्र पत्तन का विकास करना युक्तियुक्त नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बेपुर में सर्व ऋतु समुद्र पत्तन का विकास करने की प्रस्थापना को छोड़ देने का है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी मंगाई गई है तथा मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिवेन्द्रम् हवाई अड्डा

†*१०६०. **श्री वारियर:**
श्री वासुदेवन नायर:
श्री मे० क० कुमारन:
श्री रवीन्द्र वर्मा:

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास केरल सरकार से त्रिवेन्द्रम के हवाई अड्डे को कोलम्बो के साथ मिला कर इस को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या इस मामले में कोई अनुसंधान किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). जी हां। त्रिवेन्द्रम् और कोलम्बो के बीच सीधी विमान सेवा बनाने के प्रश्न की जांच की जा रही है तथा यातायात पर्याप्त न होने के कारण मामला निलम्बित कर दिया गया है।

नैनीताल जिले में ग्राम विश्वविद्यालय कालिज

†*१०६१. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जिला नैनीताल की तराई में स्थित राज्य फार्म में ग्राम्य विश्वविद्यालय के तत्वावधान में स्थापित किये जाने वाले कालिजों में काम आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की पूर्ण योजना में निम्न कालिज भी स्थापित होंगे।

१. कृषि कालिज

२. पशु चिकित्सा कालिज

३. कृषि इंजीनियरिंग तथा प्रोद्योगिकीय कालिज

४. गृहविज्ञान कालिज

५. स्नातकोत्तर अध्ययन कालिज

ये कालिज प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के अनुसार स्थापित होंगे। धन की कमी के कारण उपरोक्त क्रम संख्या (१), (२), तथा (३) के कालिजों के लिए धन स्वीकार किया गया है। इन तीन कालिजों में से कृषि कालिज, पशु चिकित्सा कालिज सन् १९६० से चालू हो गये हैं तथा कृषि इंजीनियरिंग तथा प्रोद्योगिकीय कालिज जुलाई, १९६१ से चालू हो जायेगा। विश्वविद्यालय को अन्य दो कालिजों को आरंभ करने की योजनायें देनी हैं परन्तु संभव है कि यह दोनों तीसरी योजनावधि में स्थापित हो जायें।

रेलवे जोन पद्धति

†*१०६२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जोनों में रेलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था तथा क्या यह आधार अभी भी कायम है ;

(ख) जब रेलों का पुनर्गठन किया गया था उस समय काम का भार क्या था तथा प्रत्येक जोन का काम का भार आजकल कितना है ; और

(ग) इस वृद्धि का उनके कार्यवहन तथा क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था

†*१०६३. **श्री सुबोध हंसदा:**
श्री श० ना० चतुर्वेदी:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागीय भोजन व्यवस्था में अभी भी नुक्सान हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कुल कितना नुक्सान रहा है ;

(ग) इस नुक्सान के क्या कारण है;

(घ) क्या खराब खाना तथा बुरी सेवा की शिकायतें आम हो गई हैं; और

(ङ) क्या इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें रामस्वामी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ख) और (ङ). भोजन और सेवा के संबंध में शिकायतें मिली हैं तथा प्रत्येक मामले में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही की गई है ।

विवरण

वर्ष	**(हानि हजार रुपयों में)**
१९५८–५९ . .	१०,९२ रुपये
१९५९–६० .	३,७८ रुपये
१९६०–६१	४,४३ रुपये
१९६१–६२ . .	६,५४ रुपये (अनुमानित)

विभागीय भोजन व्यवस्था में हानि के मुख्य कारण निम्न है।

१. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेवा की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते पर व्यय;

२. अच्छे किस्म के खाद्य पदार्थों का संभरण ;

३. अच्छी सेवाओं का प्रबन्ध ।

रेलवे के लेवल क्रासिंग्स पर दुर्घटनायें

†*१०६४. **श्री रघुनाथ सिंह:**
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६१ से अब तक रेलों की लेवल क्राग्सि पर कितनी दुर्घटनायें हुईं ; और

(ख) इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जनवरी, १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक लैवल क्रासिंग्स पर २४० दुर्घटनायें हुईं थीं

(ख) (१) जिन मामलों में रेलवे कर्मचारियों का दोष पाया गया उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई है ।

(२) जिन लैवल क्रासिंगों पर आदमी नहीं रहते हैं उन पर सीटी के बोर्ड लगाये गये हैं और ड्राइवर सीटी बजा कर गाड़ियों आदि को चेतावनी दे देते हैं । जिन लेवल क्रासिंगों पर आदमी नहीं रहते हैं उन पर सड़क यातायात को चेतावनी देने के लिए सड़क प्राधिकारी ने नोटिस बोर्ड लगाये हैं ।

(३) आदमी वाली लेवल क्रासिंगों पर प्रायः अफसरों तथा अन्य अधीकरण कर्मचारियों द्वारा दौरा किया जाता है कि यंत्र ठीक लगे हैं और गेटमैन अपने काम पर मुस्तैद हैं ।

भारतीय मालवाही जहाज में आग

†*१०६५. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री विश्वनाथ राय:
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री वी० चं० शर्मा:
श्री राम हरख यादव:

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ मई, १९६२ को स्वेज में एक भारतीय मालवाही जहाज में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ ; और

(ग) इस से जन तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) ६ मई, १९६२ को जब 'इंडियन शिपर भारतीय मालवाही जहाज स्वेज नदी के निकट पहुंच रहा था उस समय उसके हैच नं० ४ में आग लग गई थी ।

(ख) और (ग). आग लगने के कारणों तथा जहाज पर माल के हुई हानि की इस समय जानकारी नहीं है । कोई व्यक्ति नहीं मरा था । जहाज को समुद्र में चलने योग्य घोषित कर दिया था और वह पश्चिम की ओर अपनी चलन पर चला गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहले दर्ज के नये डिब्बे

†*१०६६. डा० श्रीनिवासन:
श्री परमशिवन:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि इंटीग्रल कोच फैक्टरी द्वारा निर्मित पहले दर्जे के नये डिब्बे बहुत ही असुविधाजनक है तथा यात्रियों ने इस सम्बन्ध में शिकायतें दर्ज की हैं ; और

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार का विचार इन डिब्बों का डिजाइन पुनः बनाने का है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) इंटीग्रल कोच फैक्टरी में बने नये प्रथम श्रेणी के डिब्बों में असुविधाओं की कुछ शिकायतें सरकार को मिली हैं ।

(ख) जी नहीं । इन शिकायतों की जांच की जा रही है और आवश्यक होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

कलकत्ता पोस्टल जोन

†*१०६७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर दमदम नगरपालिका को पत्रों तथा पोस्टकार्डों को भेजने तथा बांटने के लिये कलकत्ता पोस्टल क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र के रूप में शामिल कर दिया गया है ;

(ख) क्या उत्तर दमदम नगरपालिका में नीमता सब-पोस्ट आफिस को अभी कलकत्ता जोनल नम्बर नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या इसी नगरपालिका का बिराती क्षेत्र कलकता क्षेत्र के पोस्टल जोन नम्बर में ही आता है ;

(घ) यदि हा, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ङ) नीमता को कलकत्ता जोन नम्बर कब दिया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी नहीं । कलकत्ता डिलीवरी जोन में केवल वार्ड नं० ५ शामिल की गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) बिराती क्षेत्र दमदम पोस्ट आफिस के क्षेत्राधिकार में आता है और ज्यूं ही दमदम पोस्ट आफिस कलकत्ता के स्थानीय डिलीवरी क्षेत्र में शामिल किया गया था वैसे ही यह क्षेत्र स्वयंभेद नियमों के अधीन कलकत्ता स्थानीय डिलीवरी क्षेत्र में आ गया था ।

(ङ) इस बात की जांच की जा रही है कि उत्तर दमदम नगरपालिका का समस्त क्षेत्र कलकत्ता स्थानीय डिलीवरी क्षेत्र में शामिल हो जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में स्कूल के बच्चों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन

†*१०६८. श्री बी० चं० शर्मा: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई-दिल्ली नगरपालिका के स्कूलों में शिक्षा पाने वाले ३०,००० बच्चों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन देने के लिये क्या कुछ प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): यह प्रश्न शिक्षा मंत्री से पूछा जाना चाहिए।

अमरीका से डीज़ल इंजनों का क्रय

†*१०६९. श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री बी० चं० शर्मा:
श्री सुबोध हंसदा:
श्री रघुनाथ सिंह:
श्रीमती मैमूना सुल्तान:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अमरीका से ४० डीज़ल-विद्युत् इंजन खरीदने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा तथा शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में बनारस के कारखाने में बनाये जाने वाले इंजनों के लिये यह इंजन मौडल बनेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) और (ख). जी हां। नवम्बर १९६१ को १९६२ में डिलीवरी देने के लिए मैसर्स ओवरसीज़ डीज़ल कारपोरेशन, न्यूयार्क को २४८,६२७ डालर या ११.८४ लाख रुपये प्रति इंजन (जहाज पर निःशुल्क) पर ४० इंजनों का आर्डर दिया गया था। यह धन डी एल एफ ऋणों में से दिया गया था।

(ग) और (घ). यह फर्म वही है जिससे वाराणसी के डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स में डीज़ल लोकोमोटिव बनाने में सहयोग देने का समझौता हुआ था। ४० इंजन उसी प्रकार होंगे जैसे वाराणसी में बनाये जायेंगे। १९६३–६४ में १० से १५ इंजनों के पुर्जे भारत में आये थे और उनको वाराणसी में जोड़ा जायेगा। १९६४–६५ में बड़ी लाइन के ३५ इंजन तथा १९६५–६६ में बड़ी लाइन से ७० इंजन अधिकतम देशी पुर्जे से तथा जो पुर्जे अत्यधिक आवरण होंगे उसका आयात करके, बनाये जायेंगे।

बीकानेर और चूरू जिले में राष्ट्रीय राजपथ

†१९३९. श्री कर्णी सिंहजी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिलों में राष्ट्रीय राजपथ का कार्य आरंभ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य कब समाप्त होगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नाकरात्मक हो, तो यह कार्य संभवतः कब आरंभ किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) चालू योजना के दौरान आरंभ किये जाने वाले कार्य के बारे में राजस्थान सरकार से चर्चा की जा रही है । निर्णय शीघ्र किया जायेगा और स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य चालू वर्ष में आरंभ किया जायेगा ।

ऊन और भेड़ सम्बन्धी अनुसंधान संस्था

†१९४०. **श्री कर्णी सिंहजी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊन और भेड़ सम्बन्धी अनुसन्धान संस्था राजस्थान में स्थापित की गयी है ;

(ख) क्या समिति ने इस मामले में निर्णय लेने से पूर्व सभी प्रस्तावित स्थानों का भ्रमण किया था ; और

(ग) क्या समिति ने बीकानेर का, जो भेड़ पाये जाने के लिये प्रसिद्ध है, भी भ्रमण किया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । समिति ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी स्थानों का भ्रमण किया था ।

(ग) राजस्थान सरकार ने बीकानेर में किसी स्थान का सुझाव नहीं दिया । किन्तु भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के सम्पर्क अधिकारी (भेड़ और ऊन) तथा राष्ट्र संघ विशेष निधि के एक परामर्शदाता ने बीकानेर क्षेत्र का भ्रमण किया था ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की नई शटल सेवायें

†१९४१. { **श्री बालकृष्णन** :
श्री व० क० रामस्वामी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन नई शटल सेवायें चलाने का इरादा रखता है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी नई लाइनों पर यह सेवा आरंभ करने का इरादा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख) . कारपोरेशन ने सूचित किया है कि सेवाओं के विस्तार की संभावना की निरन्तर जांच की जा रही है । जहां तक उसकी प्रादेशिक सेवाओं का सम्बन्ध है, कारपोरेशन पांच फ्रेन्डशिप विमानों की संभाव्य उपलब्धि के प्रसंग में, जो नवम्बर, १९६२ से मार्च, १९६३ तक प्राप्त हो जायेंगे, इस प्रश्न की जांच कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में संचार साधनों का सुधार

†१९४२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार साधनों के सुधार के लिये केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम):** (क) मध्य प्रदेश सरकार से केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार साधनों के सुधार के लिये केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के बारे में समय समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) उस क्षेत्र की भिन्ड-इटावा सड़क पर चम्बल और यमुना नदी पर सड़क के स्थायी पुल बनाने के व्यय के एक-तिहाई भाग की पूर्ति के लिये ३७ लाख रुपये का सहाय्य-अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया है ।

केरल में कृषि विश्वविद्यालय

†१९४३. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को किस स्थान में स्थापित करने का सुझाव दिया है ; और

(ग) क्या यह सुझाव मान लिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

क्विलोन के निकट राष्ट्रीय राजपथ का मार्ग-निर्धारण

†१९४४. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ का, जो क्विलोन नगर क्षेत्र में से होकर जायेगा, मार्ग निर्धारित कर लिया गया है ; और

(ख) . यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम):** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हृदय रोग

†१९४५. { डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन ।

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है इन दिनों दिल के दौरों की संख्या बढ़ गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी रोकथाम के लिये लोगों को शिक्षा देने के लिये सरकार ने क्या उपाय अपनाये हैं ;

(ग) क्या सामान्य जांच के लिये कोई दवाखाने खोले गये हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में ऐसे कितने दवाखाने खोले गये हैं; और

(ङ) इस सुविधा का कितने लोगों ने लाभ उठाया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) विश्वस्त जानकारी उपलब्ध नहीं है । किन्तु, ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय रोग का आपात बढ़ता जा रहा है ।

(ख) कारोनरी (हृद्रोहिणी) हृदय रोगों के आपात में वृद्धि के कारणों की संसार भर में विस्तार से जांच की जा रही है । ऐसा समझा जाता है कि इस वृद्धि के कई कारण हैं जो इस प्रकार हैं :— (१) जीवन-यापन के आधुनिक तरीकों के फलस्वरूप जीवन का अधिक कष्टदायक बनना, (२) खान-पान की आदतें विशेषकर भोजन में स्निग्ध पदार्थों की बहुलता, और (३) आनुवंशिक कारण । रोगियों को उनके जीवन-यापन के तरीके और खान-पान की आदतों के सम्बन्ध में सलाह दी जाती है किन्तु ठीक-ठीक ज्ञान न होने से बड़े पैमाने पर रोकथाम के विशिष्ट उपाय करना सम्भव नहीं है ।

(ग) से (ङ). सामान्य जांच और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा की सुविधा अधिकांश जिला अस्पतालों और देश के अन्य बड़े अस्पतालों में उपलब्ध है और जो लोग इनसे लाभ उठाना चाहें वे उठाते हैं । अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत डाक्टरी जांच की विशेष सुविधा की व्यवस्था की गयी है और गत बारह महीनों में ३६६४ व्यक्तियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है ।

टेलीफोन के कनेक्शन

†१९४६. **श्री राजाराम** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य के मुख्य शहरों, नगरों और सैलम जिले के गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिये अभी कितने आवेदन लम्बित हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०**] ।

उत्तर प्रदेश में बीज फार्म

†१९४७. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश में १९५८ से अब तक जिलेवार कुल कितने बीज फार्म खोले जा चुके हैं;

(ख) ऐसे कुल कितने फार्म खोले जायेंगे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या यह सच है कि इस तरह के फार्म प्रत्येक खण्ड में खोले जायेंगे और उन से उस खण्ड के निवासी किसानों को अच्छा बीज दिया जायेगा; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस तरह के फार्मों के लिये गरीबों की जमीनें छीनी जा रही हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)। (क) से (घ). पूछी हुई जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और मिलते ही सभा की पटल पर रख दी जायेगी ।

बलिया सिकन्दरपुर सड़क पर पुल

१९४८. श्री सरजू पाण्डेय: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बलिया रेलवे स्टेशन (इलाहबाद कटिहार लाइन पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट बलिया से सिकन्दर पुर जाने वाली सड़क क्रासिंग के रेलवे फाटक पर एक पुल बनाने की योजना विचाराधीन है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में बलिया के नागरिकों की तरफ से कोई प्रार्थना-पत्र और उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई और विद्युत् योजनायें

१९४९. श्री सरजू पाण्डेय : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत् की मुख्य-मुख्य योजनायें क्या थीं;

(ख) इस अवधि में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि दी थी;

(ग) क्या वे सब योजनायें पूरी हो गईं;

(घ) यदि नहीं, तो अधूरी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत् की मुख्य-मुख्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) उनके लिये कुल कितनी धन-राशि मंजर की गई है;

(छ) उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र को किन योजनाओं का प्रारूप भेजा है; और

(ज) उनमें से कितनी योजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ज). जानकारी इकटठी की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी

राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्था, मसूरी

†१९५१. **श्री उलाका** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसूरी स्थित राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्था ने अप्रैल, १९६२ में जो सेमिनार आयोजित की थी उसमें कितने व्यक्तियों ने भाग लिया;

(ख) इन में से कितने व्यक्ति उड़ीसा के थे; और

(ग) उड़ीसा सरकार को तीसरी योजनावधि में सामुदायिक विकास और पंचायती राज की योजनाओं के सम्बन्ध में क्या केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** (क) ३१ ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये

अनुदान	. . .	७९३.०४ लाख
ऋण	. . .	५२५.३८ ,,
कुल	.	१३१८.४२ लाख

पंचायती राज सम्बन्धी निम्नलिखित प्रशिक्षण योजनाओं के लिये भी उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सहायता दी जायेगी :—

(१) पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र

(१) अनावर्तक व्यय .	प्रति केन्द्र पीछे ४७,००० रु०
(२) आवर्तक व्यय	संस्था मे प्रदत्त प्रशिक्षण के लिये प्रति व्यक्ति पीछे २.२५ रुपये और चलते-फिरते प्रशिक्षण के लिये प्रति व्यक्ति पीछे १.४० रुपये ।

राज्य सरकार को तीसरी योजना में ८ पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र दिये गये हैं । किन्तु, राज्य सरकार ने अभी योजना आरम्भ नहीं की है ।

२. पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण :

यह योजना अप्रैल, १९६० से ६ केन्द्रों मे आरम्भ की गई थी । केन्द्र द्वारा निम्नलिखित परिमाण में सहायता दी जायेगी :—

१९६१–६२—५० प्रतिशत १९६२–६३—३३ प्रतिशत १९६३–६४—२५ प्रतिशत १९६४–६५ और बाद के वर्ष—कोई नहीं	कुल आवर्तक व्यय का जो तीन महीने के प्रशिक्षण के लिये प्रति व्यक्ति पीछे २७५ रुपये से अधिक न हो ।

†मूल अंग्रेजी में

३. ऐसे व्यक्तियों के लिये, जो अधिकारी नहीं हैं, सम्मेलन

राज्य स्तर पर मार्च, १९६२ में भुवनेश्वर में ऐसे व्यक्तियों के लिये, जो अधिकारी नहीं हैं, आयोजित सम्मेलन के लिये केन्द्र के अंशदान के तौर पर ६,००० रुपये ।

उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आने-जाने वाली डाक

†१९५२. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोकामा में गंगा नदी पर एक रेल और सड़क के पुल के निर्माण के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच डाक भेजने में कोई परिवर्तन किये गये हों तो वे क्या हैं; और

(ख) क्या इस पुल के बन जाने से इन दो भागों के बीच डाक तेजी से भेजने में कोई सहायता मिली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मोकामा में गंगा पुल के बन जाने पर उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच डाक भेजने की व्यवस्था बिलकुल बदल दी गयी है । हावड़ा और कियूल के बीच काम करने वाले पी–२/पी–३८ के विभागों का क्षेत्र बढ़ा कर उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित कर दिया गया है । समस्तीपुर और मोकामा के बीच एक नया विभाग यू–२९ खोला गया ताकि मोकामा में ५ अप/६ डाउन अमृतसर मेल को मिलाया जा सके । यू–२९ विभाग के सिलसिले में समस्तीपुर और दरभंगा के बीच एक अन्य विभाग यू–३६ खोल दिया गया है । इसके अतिरिक्त कई विभागों के अर्थात् यू–२ (समस्तीपुर–जयनगर), यू–४ (समस्तीपुर–नरकटियागंज), यू–८ (मुजफ्फरपुर–नरकटियागंज), यू–९ (समस्तीपुर–नरकटियागंज), यू–१० समस्तीपुर–सोनपुर), यू–१२ (सोनपुर–बरौनी), यू–१४ (बरौनी–कटिहार), यू–३५ (समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर) और यू–४५ (कटिहार–गोरखपुर) के समय बदल दिये गये हैं ताकि दक्षिण बिहार की बड़ी लाइन की गाड़ियों से मेल हो सके । इसके अतिरिक्त डाक को तेजी से भेजने के लिये मानसी और बनमंखी में एक नया विभाग यू–६ तथा मानसी और नरकटियागंज में दो डाक कार्यालय खोले गये ।

जी, हां । उपरोक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच डाक तेजी से भेजी जाने लगी है ।

खाद्यान्न

†१९५३. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्न के स्टाक, संभरण और मांग की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार में स्टाक कम हो गये हैं और राज्य के कुछ भागों में अनाज की दुकानों में अनाज नहीं है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्थिति का सामना करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) व्यापारियों और किसानों के पास अनाज का कितना स्टाक है इसकी कोई विश्वस्त जानकारी उपलब्ध नहीं है किन्तु सरकार से पास खाद्यान्न का पर्याप्त स्टाक है और वह किसी भी स्थिति का सामना कर सकती है । फसल की संभावना, अनाज के भावों की नवीनतम प्रवृत्तियां,स्टाक की स्थिति और काफी मात्रा में आयात के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश में खाद्यान्न के संभरण की वर्तमान स्थिति पूर्ण रूप से संतोषजनक है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कृषि आयोग

१९५४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये एक कृषि आयोग की नियुक्ति के बारे में कुछ समय से विचार किया जाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस प्रश्न का कब तक निर्णय हो जाने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ग). एक कृषि आयोग की स्थापना के प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है । समस्त राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो जाने के बाद अन्तिम निर्णय किया जायेगा । दो राज्य सरकारों ने अभी तक अपने उत्तर नहीं भजे हैं ।

भाखड़ा बांध

१९५५. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध के निर्माण-कार्य में अब तक और कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह बांध कब तक पूरा बन कर तैयार हो जायेगा;

(ग) बांध के दोनों ओर जो बिजलीघर चालू होने थे क्या उनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(घ) कुल मिलाकर इस बांध के निर्माण में अब तक कितना धन व्यय हो चुका है और कितने व्यक्ति मृत्यु का ग्रास हुए; और

(ङ) भाखड़ा बांध के पूरा हो जाने पर वहां काम कर रहे व्यक्तियों को अन्यत्र काम में लगाने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अप्रैल, १९६२ के अन्त तक कन्क्रीट का ९९.४४ प्रतिशत काम हुआ था। १,६९९.५ फुट की ऊंचाई तक बांध बना, जो कि निचली-से-निचली नींव से ७३९.५ फुट की ऊंचाई है, जबकि बांध की कुल ऊंचाई ७४० फुट है।

(ख) अक्तूबर, १९६२ के अन्त तक।

(ग) बांध के दाए बाजू का बिजली घर बन चुका है। बाएं बाजू का बिजली घर अभी बनना शुरू हुआ है।

(घ) फरवरी १९६२ के अन्त तक बांध पर ६०.४८ करोड़ रुपये खर्च उठा। बांध को बनाने में, २४२ व्यक्तियों की जानें गईं।

(ङ) अतिरिक्त मजदूरों को, जहां तक सम्भव है, पंजाब सरकार व्यास परियोजना और दूसरे विभागों में दूसरे-दूसरे काम देती है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश और पंजाब में नई रेल लाइनें

१९५६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश और पंजाब में कुछ नई रेलवे लाइनें बिछाई जायेंगी;

(ख) क्या वहां चालू रेलवे लाइनों में किन्हीं को कुछ और बढ़ाने का प्रश्न भी विचाराधीन है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में क्या कुछ मीटरगेज और नैरोगेज रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का प्रश्न भी विचाराधीन है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) रेलवे लाइनों के निर्माण की सूचना राज्यों के अनुसार नहीं, रेलों के अनुसार संकलित की जाती है। फिर भी, तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में उत्तर रेलवे में निर्माण के लिए जो लाइनें शामिल हैं, उनमें से नीचे दी गयी दो लाइनें समूची या आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं :—

१. ग़ाज़ियाबाद–तुग़लकाबाद लाइन, जिसमें यमुना पर दूसरा पुल भी शामिल है।
२. सिंगरौली—ओबरा।

(ख) और (ग). जी नहीं।

हरद्वार में कुम्भ मेला

†**१९५८. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरद्वार में हुए कुम्भ मेले के दौरान कितने तीर्थ यात्रियों ने रेलवे की सेवा की सुविधा से लाभ उठाया?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : कुम्भ मेले के दौरान हरद्वार के लिये और हरद्वार से क्रमशः २,४४,००० और ३,६०,००० रेलवे टिकट जारी किये गये।

दिल्ली-मास्को जेट उड़ान का रिकार्ड

†**१९५९. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एयर इंडिया के धौलागिरी नामक जेट विमान ने दिल्ली से मास्को तक की दूरी ६ घंटे और ३० मिनट में तय करके उड़ान का एक नया रिकार्ड स्थापित किया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : जी, हां। जहां तक हमें जानकारी है एयर इंडिया इन्टरनेशनल का बोइंग जेट विमान वी टी–डी एन ज़ेड पहला व्यापारिक जेट विमान है जिसने ६ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली से मास्को तक की ३९३० किलोमीटर की दूरी बिना कहीं रुके ६ घंटे ३० मिनट में तय की है और एक नया रिकार्ड कायम किया है।

उत्तर रेलवे के कर्मचारी (बीकानेर डिवीजन)

१९६०. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे विभाग के बीकानेर डिवीजन के कर्मचारियों को ३० दिसम्बर, १९६१ तक सर्दी के बचाव के लिये गर्म कपड़े नहीं दिये गये थे;

(ख) उक्त डिवीजन में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास अभी तक रेलवे क्वार्टर नहीं हैं;

(ग) ऐसे लोगों को जिन्हें अभी तक क्वार्टर नहीं दिये गये हैं और जो प्राइवेट व्यक्तियों के मकानों में रहते हैं उनमें से प्रत्येक को कितना मकान किराया भत्ता दिया जाता है; और

(घ) कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको मकान नहीं होने के बावजूद मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। जर्सी, टोपी आदि सिलेसिलाये कुछ थोड़े से कपड़ों को छोड़कर जाड़े की वर्दियां ३१-१२-१९६१ से पहले दे दी गई थीं।

(ख) ५,८१३ ।

(ग) बीकानेर डिवीज़न में केवल बीकानेर शहर में मकान-किराया भत्ता दिया जाता है। वहां नियुक्त कर्मचारियों में से जिन्हें क्वार्टर नहीं दिये गये हैं, उन्हें निम्न-लिखित दरों पर मकान-किराया-भत्ता दिया जाता है :—

रेल कर्मचारियों का वेतन रुपये	मकान-किराया-भत्ता रुपये
७५ से कम .	. ५.००
७५ और इससे अधिक लेकिन १५० से कम .	७.५०
१५० और इससे अधिक	. वेतन १५६ रुपये ५० नये पैसे से जितना कम हो।

(घ) २,७६० ।

†मूल अंग्रेजी में

चावल का निर्यात

†१६६१. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पजाब सरकार ने २००० टन सेला चावल अन्य राज्यों को निर्यात करने के लिये कुछ चुने हुए व्यापारियों को ही लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विभेद के परिणामस्वरूप राज्य के व्यापारियों मे असन्तोष फैल गया है; और

(ग) इस विभेद को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। पंजाब सरकार को राज्य के उन क्षेत्रों से सेला चावल भेजने की अनुमति दी गई थी जहां घटिया किस्म का धान पैदा होता है और जिसे सेला चावल बनाना लाभप्रद होता है।

(ख) और (ग). अन्य क्षेत्रों के मिल वालों से इस प्रस्ताव के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिन पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

त्रिपुरा में मेडिकल अफसर

†१६६२. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८–५६, १६५६–६०, १६६०–६१ और १६६१–६२ में त्रिपुरा के अस्पतालों और डिस्पैंसरियों में कितने मेडिकल अफसरों ने पद त्याग किया;

(ख) उनके पद त्याग के क्या कारण थे; और

(ग) मेडिकल अफसरों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क)

१६५८–५६ .	४
१६५६–६० .	३
१६६०–६१ .	१०
१६६१–६२ .	६
कुल .	२६

(ख) (१) घरेलू कारणों से १३

(२) अस्वस्थता के कारण ६; और

(३) अपना भविष्य उन्नत करने के लिये ७

(ग) भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि से सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा की रैयत

†१९६३. **श्री दशरथ देब** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त ने हाल ही में किसी प्रतिनिधिमंडल के सामने कोई मौखिक घोषणा की है कि त्रिपुरा की रैयत को उन की जोत भूमि की वन उपज पर पूरा अधिकार होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उस घोषणा की कोई विधिगत मान्यता है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी मौखिक घोषणा करने का क्या प्रयोजन था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) फरवरी १९६२ में, जब मुख्य आयुक्त उदयपुर में दौरे पर गया था, कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात की और जोत भूमि में वृक्ष काटने के अधिकार के बारे में अपनी शिकायतें पेश कीं। मुख्य आयुक्त ने उन से बताया कि ज्योंही सर्वेक्षण और बन्दोबस्त का काम पूरा हो जाएगा, उनके पूरे अधिकार होंगे और इस बीच, यह जांच की जाएगी कि आया कुछ प्रबन्ध किये जा सकेंगे जिनके द्वारा वे राजस्व/वन पदाधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ वृक्ष काट सकते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) अभ्यावेदन देने वालों को आश्वासन देने के लिये कि प्रशासन जो कुछ कर सकता है कर रहा है।

गोलन्थारा के पान व्यापारी

†१९६४. **श्री अ० त्रि० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि एक स्थाई आदेश है कि गोंडा और रायपुर को पान भेजने के लिये दक्षिण पूर्व रेलवे में गोलन्थारा के पान व्यापारियों को दो लकड़ी के फर्श वाले माल डिब्बे दिये जाया जाया करें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे माल डिब्बे नहीं दिये जाते बल्कि इसके बजाए दो लोहे के फर्श वाले माल डिब्बे दिये जा रहे हैं जो पान भेजने के लिये बिल्कुल उपयोगी नहीं है अपितु हानिकारक हैं ; और

(ग) क्या यह सही है कि ऐसे माल डिब्बों के संभरण के कारण पान व्यापारी पान नहीं भेज सकते और उनको वित्तीय हानि उठानी पड़ती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) की दृष्टि से सवाल पैदा नहीं होता।

इलाहाबाद में स्टेशन की नई इमारत

†१९६५. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह तथ्य मालूम है कि इलाहाबाद की नये स्टेशन की इमारत में दरार पड़ गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस दरार पड़ने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् प्राधिकारियों को इसका पता लगा ; और

(घ) इसके पता लगने के पश्चात् सरकार ने क्या कदम उठाये ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं। इलाहाबाद को नये स्टेशन की इमारत में कोई दरार नहीं पड़ी।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होते।

उत्तर प्रदेश में बिजली शुल्क

१९६६. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में बिजली शुल्क अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है ;

(ख) क्या औद्योगिक इकाइयों को इस कारण हानि पहुंच रही है ; और

(ग) क्या सब राज्यों में समान देर करने के लिये कार्यवाई की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) सब राज्यों में समान दरें लागू करना वर्तमान परिस्थितियों में व्यवहार्य नहीं है।

जम्मू तथा काश्मीर में आलू अनुसंधान उप-केन्द्र

†१९६७. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री गोपाल दत्त :
बख्शी अब्दुल रशीद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और काश्मीर राज्य में, केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था, शिमला का एक आलू अनुसन्धान उप-केन्द्र स्थापित करने की अपनी योजना अन्तिम रूप में बना ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

दिल्ली में परिवहन

†१९६८. **श्री भगवत झा आजाद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करने का विचार करती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार दिल्ली के ऐसे मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार करती है जिन पर गैर सरकारी परिवहन समवायों की बसें आदि चलती हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा समय समय पर यात्रा करने वाली जनता की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को आंकने की दृष्टि से, यातायात सर्वेक्षण किये जाते हैं।

(ख) जी हां, क्रमित कार्यक्रम के अनुसार धीरे धीरे।

दिल्ली जल संभरण

†**१९६९. श्री भागवत झा आजाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भाखड़ा नहर की नरवाना शाखा के अन्तिम किनारे को पश्चिम जमना नहर के साथ मिलाने के लिये एक नाली बनाने का विचार करती है ताकि स्थायी तौर पर दिल्ली को जल का संभरण बढ़ाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितनी लागत आएगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। पंजाब सरकार इस काम को करने का विचार करती है, न केवल दिल्ली के लिये जल संभरण को बढ़ाने के ही लिये, अपितु पंजाब और राजस्थान में क्षेत्रों की सिंचाई करने के लिये भी।

(ख) इस योजना की मूल कुल अनुमानित लागत २५६ लाख रुपये है जिस में से पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के अंश क्रमशः १६१ लाख, ६५ लाख और ३० लाख रुपये हैं। शोधित अनुमानित लागत अभी पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गई है।

दिल्ली में पानी का रुकाव

१९७०. श्री बाल्मीकी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य में ऐसी कितनी जमीन है जहां पानी खड़ा रहता है ;

(ख) उसको बहाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह जमीन खेती के योग्य है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसको खेती के योग्य बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग ५४,००० एकड़।

(ख) दिल्ली प्रदेश में पानी की इकट्ठे और पानी-निकासी समस्या को निपटाने के लिये तीन पानी-निकासी स्कीमों का काम शुरू कर दिया गया है जिनका नाम यह है :

(१) नजफगढ़ पानी-निकासी स्कीम,

(२) कंझावाला ब्लाक पानी-निकासी स्कीम ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) अलीपुर ब्लाक पानी-निकासी स्कीम ।

(ग) पानी के इकट्ठा होने से ५४,००० एकड़ जमीन का नुकसान पहुंचता है । इसमें से खेती-लायक जमीन ३८,००० एकड़ है ।

(घ) सवाल ही नहीं पैदा होता ।

दिल्ली में विकास मेले

१९७१. श्री बाल्मीकी : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में कितने विकास मेले लगाये गये और कहां-कहां ;

(ख) इनका जन-जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ;

(ग) सरकार को इन मेलों पर कितना व्यय करना पड़ा ; और

(घ) इसमें किन-किन गैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त हुआ ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) पिछले दो वर्षों में नीचे दिये गये नौ विकास मेले लगाए गए :—

१. नजफगढ़ (नजफगढ़ ब्लाक)	२
२. महरौली (महरौली ब्लाक)	१
३. गांव टिग्री (महरौली ब्लाक)	१
४. नांगलोई (नांगलोई ब्लाक)	१
५. गांव खुरेजी खास (शाहदरा ब्लाक)	१
६. गांव शेरपुर (शाहदरा ब्लाक)	१
७. अलीपुर (अलीपुर ब्लाक)	२
योग	९

(ख) विकास मेलों से कृषि के सुधरे तरीकों से सम्बन्धित जानकारी का प्रसार करने तथा दूसरे क्षेत्रों में सहायता मिली है । इसके अतिरिक्त इनसे लोगों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना भर गई है जो कि उन्हें विकास कार्यक्रम में सक्रिय तथा रज़ामन्दी से भाग लेने के लिये प्रेरित करती है ।

(ग) सरकारी निधि में से सभी नौ विकास मेलों पर कुल ८३०० रुपये खर्च किये गये ।

(घ) सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१ ।]**

चीनी का उत्पादन

†१९७२. **श्री म० ह० चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में गन्ना के उत्पादन की मात्रा एवं गुण प्रकार के अन्तर होने के कारण क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों को मंत्रणा दी थी कि वे उत्पादन को बढ़ाने के लिये महाराष्ट्र में अपनाये जाने वाले तरीके को अपनायें ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) बिहार और उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र की तुलना में गन्ने के उत्पादन की मात्रा तथा गुण प्रकार में अन्तर का मुख्य कारण यह है कि इन राज्यों में हालात भिन्न हैं। महाराष्ट्र में गन्ने की खेती निम्न कारणों से बहुत सफल रही है :—

(१) उष्ण कटिबन्ध की जलवायु में गन्ने की फसल बहुत उत्तम उगती है।

(२) सुव्यवस्थित बड़े पैमाने की खेती ।

(३) लगभग १% क्षेत्र अदसाली खेती में है, जिसमें अधिक फसल होती है और अधिक चीनी निकलती है ;

(४) प्रायः गन्ने के समूचे क्षेत्र में सिंचाई की जाती है ; और

(५) खेती के उत्तम तरीके ।

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की फसल को अधिकतर अनिश्चित मौनसून पवनों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि सिंचित क्षेत्र कम हैं। भूमि की जोत छोटी होने के कारण, अधिक मात्रा तक खेती अल्प साधन सम्पन्न किसान द्वारा की जाती है जो न तो पूरी सिंचाई का प्रबन्ध कर सकता है और न ही खाद और उर्वरक की उचित मात्रा डाल सकता है।

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को उन तत्वों का पता है जिनके कारण गन्ने की उत्तम उपज होती है और फैक्टरी क्षेत्रों में गन्ना विकास योजनाएँ चला रही है जिनके अन्तर्गत गन्ने की खेती को सुधारने के लिये किसानों को आवश्यक सामग्री देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। बिहार ने भी अदसाली खेती आरम्भ की है किन्तु वह क्षेत्र अभी बहुत अपर्याप्त है। उत्तर में दक्षिण के कुछ खेती करने के तरीकों को अपनाने के प्रश्न पर भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति सक्रिय रूप से ध्यान दे रही है ।

कोयला ढोने के लिये माल डिब्बे

†१९७३. **श्री पु० र० चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला उद्योग की शिकायतों का पता है कि परिवहन की कमी के कारण कोयला उत्पादन की गति कम हो गई ;

(ख) आसनसोल, ओंडाला, गोमोह, भोजुडी, पथारडी और धनबाद में अपनी खपत के लिये अपेक्षित कोयला ढोने के लिये रेलवे द्वारा प्रतिदिन कितने माल डिब्बों का प्रयोग किया जाता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस काम के लिये मोटर परिवहन का उपयोग करना और ईंटों के भट्टों तथा अन्य कामों के लिये रानीगंज-झरिया क्षेत्र से घटिया किस्म का कोयला ढोने के लिये माल डिब्बे देना उचित समझती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) कोयले की ढुलाई रेल, सड़क और रेल एवं समुद्र के द्वारा होती है । कोयले के परिवहन के लिये रेल-वहनक्षमता की व्यवस्था, पूर्व-निर्धारित स्वरूप के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र से आयोजित वहन लक्ष्यों के आधार पर की जाती है । कोयले की ढुलाई के लिये रेल परिवहन की वास्तविक उपलब्धि आयोजित व्यवस्था के अनुसार रही है ।

(ख) इन शैडों के लिये ८२ माल डिब्बे प्रति दिन भरे जाते हैं ।

(ग) मोटर परिवहन द्वारा लोको शैडों तक कोयला ले जाना व्यवहार्य नहीं समझा जाता और अधिकांश लोकोयार्ड में जाने के लिये सड़कें नहीं होतीं इसलिये कोयला जमा रखने के स्थान तक कोयला सीधा नहीं ले जाया जा सकता ।

कल्कालीघाट से धर्मनगर तक रेलवे लाइन

†१६७४. **श्री दशरथ देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्कालीघाट से धर्मनगर (त्रिपुरा) तक रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य रुके पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) यदि कोई कठिनाइयां हैं तो उनको हटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी हां । केवल धर्मनगर में और आसाम में तिलभूम रक्षित वन क्षेत्र में ।

(ख) और (ग). चूंकि त्रिपुरा राज्य में धर्मनगर में भूमि, पारस्परिक समझौते के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा १७(४) के अधीन, धारा ६ के अधीन अधिसूचना जारी करने के पश्चात्, कार्रवाई की जा रही है । धारा ४ और ६ के अधीन अधिसूचना राज्य में सब क्षेत्रों के लिये जारी की जा चुकी है और धारा ६ के अधीन अधिसूचनाएँ जारी की जा रही हैं । आसाम के बारे में यद्यपि धारा ४ के अधीन अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, आसाम राज्य के क्षेत्रों में आने वाली भूमि, केवल तिलभूम रक्षित वन क्षेत्र को छोड़ कर, जहां काम, वन परिरक्षक, आसाम से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण रुका है, और जिसके साथ मामला पहले ही उठाया गया है, पारस्परिक समझौते से भूमि ले ली गई है ।

शिक्षित डाक्टरों के बिना डिसपेंसरियां

†१६७५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षित डाक्टरों के बिना देश में इस समय कितनी डिस्पेंसरियां हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गन्ना

१९७६. श्री विभूति मिश्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को यह निदेश दिया है कि चीनी मिलों को नेपाल के गन्ना उत्पादकों का गन्ना पेरना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के क्या नाम हैं और उनमें नेपाली कृषकों का कितना गन्ना पेरा गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इसके फलस्वरूप बिहार और उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों का गन्ना पेरने में देर हो गयी ;

(घ) सरकार नेपाली गन्ने से उत्पन्न चीनी दस प्रतिशत कटौती को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मिलों द्वारा उत्पादित चीनी से उसका समायोजन किस प्रकार करेगी ; और

(ङ) सरकार की इस कार्यवाही से नेपालली गन्ना उत्पादकों पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों का मंत्रणा दी गई थी कि नेपाल सीमा स्थित चीनी फैक्ट्रियों का, गत वर्षों के समान, उस देश में उत्पन्न गन्ना खरीदने की अनुमति दे दें ।

(ख) उत्तर प्रदेश में आनन्दनगर और घुघली स्थित फैक्ट्रियों ने ९ मई तक नेपाल क्षेत्र से क्रमश: १,२७,४३८ मन और ४,१८५ मन गन्ना खरीदा । बिहार की चीनी फैक्ट्रियों के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त नहीं हैं ।

(ग) इसका कोई महत्वपूण प्रभाव नहीं है ।

(घ) फैक्ट्रियों को अतिरिक्त कोटा दे दिया गया है ।

(ङ) प्रतिक्रिया अच्छी प्रतीत होती है ।

रेलवे में कोयले की चोरी

१९७७. श्री बाल्मीकी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में कोयले की चोरी बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) अप्रैल, १९५८ से अप्रैल, १९६२ तक कितने आदमियों पर केस चले हैं और कितनों को सजा हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता । इसकी रोक-थाम के लिये इस समय रेलों में जो उपाय बरते जा रहे हैं, उनका ब्योरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

१. चोरियों के लिए बदनाम खण्डों में कोयला ढोने वाली गाड़ियों की विशेष जांच की जाती है ।

२. जिन खण्डों में चोरियां होती हैं, उनका पता लगाने और इस तरह के स्थानों पर लगातार निगरानी रखने के लिए रेलवे सुरक्षा दल और सतर्कता संगठन आपस में मिल-जुल कर काम करते हैं ।

३. कोयले के जो डिब्बे यार्ड में खड़े रहते हैं, उन पर आम तौर पर निगरानी रखी जाती है ।

४. कुछ स्थानों को बाड़ लगाकर घेर दिया गया है ।

५. स्थानीय अपराधियों के गिरोहों का पता लगाने और उनके बारे में खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए समय-समय पर सादी वर्दी में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं ।

६. कोयले के चिट्टों के पास यथा-संभव काफ़ी रोशनी की व्यवस्था की गई है ।

७. कोयले के ठेकेदारों और मजदूरों के पूर्ववृत्त की जांच की जाती है ।

८. रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी इंजन-शेड, यार्ड आदि में अक्सर अचानक जांच करते रहते हैं ।

९. जहां कोयला रखा जाता है, वहां अनधिकृत लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी जाती है ।

(ग) इस अवधि में २१३०८ लोगों पर मुकदमा चलाया गया और १७६४५ को सजा दी गई । इस सूचना में उत्तर और दक्षिण पूर्व रेलों में जितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया और जितने लोगों को सजा दी गयी, उनके आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

ग्राम जल संभरण

१९७८. श्री बाल्मीकी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) किन राज्यों में यह योजना सबसे अधिक सफल हुई है ;

(ग) क्या तीसरी योजना के अन्त तक इसमें पूर्ण सफलता मिल सकेगी ; और

(घ) अब तक इस पर कितना धन व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (घ). अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२]**

(ख) चार या पांच राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट प्रगति हुई है ।

(ग) तृतीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय बजट में ग्राम जल-प्रदाय के लिये लगभग ६७ करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध होगी । देश के प्रत्येक गांव में यथा संभव कम से कम समय में सुरक्षित पेय जल की उपलब्धि के लिये उचित उपाय आरम्भ करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व नार्थ वेस्टर्न रेलवे की रेलवे उधार समितियां

१९७९. श्री बाल्मीकी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान बनने से पहले कौन-कौन सी रेलवे उधार समितियां नार्थ वेस्टर्न रेलवे में कार्य कर रही थीं ;

(ख) इन संस्थाओं द्वारा कितना धन कर्ज के रूप में दिया गया था ;

(ग) क्या यह धन उन कर्जदारों से पाकिस्तान बनने के बाद वसूल किया गया ;

(घ) इन संस्थाओं के नाम और स्थान में क्या परिवर्तन किया गया ; और

(ङ) क्या यह सच है कि अभी तक जिन व्यक्तियों ने संस्था को कर्ज दिया था, उनको संस्था से यह वापस नहीं मिला है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एन० डब्ल्यु० आर० एम्पलाईज कोपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, लाहौर ।

(ख) और (ग). सभी सदस्यों पर बकाया कर्ज की रकम का ब्योरा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लाहौर स्थित सोसाइटी ने इसका ब्योरा नहीं दिया है । लेकिन बंटवारे से पहले वसूली की जो सूचियां सोसायटी ने भेजी थीं, उनमें कुछ सदस्यों के नाम बकाया कर्ज का ब्यौरा दिया गया था और उसी आधार पर रेल-प्रशासनों ने सम्बन्धित सदस्यों से कर्ज वसूल किया है ।

(घ) विस्थापित व्यक्ति (ऋण-समंजन) अधिनियम, १९५१ के अधीन एन० डब्ल्यू० आर० एम्पलाईज कोपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, लाहौर के प्रतिरूप एक सोसायटी भारत में बनायी गयी थी और उसी नाम से दिल्ली सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने उसे २५-७-१९५३ को रजिस्टर किया था । अब दिल्ली सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने सोसायटी को समाप्त करने का आदेश दिया है और एक समापक नियुक्त किया गया है ।

(ङ) जी हां ।

डाकघरों के निरीक्षकों की परीक्षा

†१९८०. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि डाक व तार महानिदेशक के पास बहुत से अभ्यावेदन आए हैं कि १९६१ में हुई डाकघरों के निरीक्षकों की परीक्षा में प्रत्येक पर्चे में और कुल अंकों दोनों में निम्नतम मानकों में कमी की जाए ;

(ख) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त परीक्षा में से सभी ११४ रिक्त स्थान अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सदस्यों के लिये रक्षित थे और इन जातियों के ९ अभ्यर्थी चुने गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो शेष १०५ रक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां, रक्षित रिक्त स्थान ११५ थे ।

(ग) जो रक्षित रिक्त स्थान नहीं भरे गये तथा वे जो व्यपगत हो गये हैं उनको आगे ले जाया जाएगा । यह भी विचार किया जा रहा है कि डाकघरों के निरीक्षक के पदों पर अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के पूरे अभ्यंश को भरने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहियें ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के डाक-तार कर्मचारी

†१९८१. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी डाक-तार मंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को स्थायी करने के लिये साम्प्रदायिक सूचियां रखी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९५८, १९५९ और १९६० और १९६१ मे डाकखाना अधीक्षक, चांदा ने कुल कितने डाक-तार लिपिकों को स्थायी किया; और

(ग) प्रत्येक वर्ष उन में से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). चान्दा पोस्टल डिवीजन नागपुर पोस्टल डिवीजन से चान्दा और भंडारा जिलों को विभाजित कर २७ फरवरी, १९६१ को बनाया गया था। वर्ष १९५८, १९५९, १९६० और १९६१ में (१ जनवरी से २६ फरवरी, १९६१) के बीच नागपुर पोस्टल डिवीजन में और वर्ष १९६१ में (२७ फरवरी से ३१ दिसम्बर, १९६१ के बीच) चान्दा पोस्टल डिवीजन में स्थायी बनाये गये लिपिकों का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३]** ।

खेती की भूमि का अर्जन

†१९८३. **श्री र० च० सौय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय और राज्य स्तर पर अनेक बड़ी और छोटी विकास परियोजनाओं के लिये बढ़ते हुए बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन कार्यवाही के कारण, खासकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा के औद्योगिक खंड में खेती की जमीन कम होती जा रही है और अनेक खेतिहर परिवारों को दूसरा रोगजगार न मिलने पर विस्थापित हो रहे हैं और वे अस्थायी भूमिहीन अकुशल मजदूर बनते जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों की जंगल लगाने की नीति के कारण खेती के विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती; और

(ग) यदि हां, तो स्थायी आधार पर उन्हें दूसरा रोजगार देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख). सरकार की सामान्य नीति कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिये खेती की अच्छी जमीन जहां तक हो सके न लेने की

---

†मूल अंग्रेजी में

है। जब विकास परियोजनाओं के लिये ऐसा अर्जन जरूरी हो जाता है तो प्रभावित व्यक्तियों को दूसरी जमीन देने के प्रयत्न किये जाते हैं और उन के पुनर्वास के लिये दूसरे उपाय भी किये जाते हैं। नयी परियोजनाओं के कारण भी उन लोगों को जो उन जमीनों से निकाले गये हों, लाभदायक रोजगार के नये अवसर मिलते हैं।

अर्जन के परिणामस्वरूप खेती के अधीन जमीन कम नहीं हुई है। १९४९-५० से खेती की जमीन बराबर बढ़ती हुई दिखाई देती है।

(ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का $\frac{1}{3}$ भाग वनों के अन्तर्गत रखा जाना चाहिये। फिर भी, परती जमीन को भी कृषि उत्पादन के लिये काम में लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कृषि तथा पशु उत्पाद

†१९८४. **श्री काशीनाथ पांडे :**
श्री मूल चन्द दुबे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि सम्बन्धी तथा पशु उत्पाद के श्रेणीकरण तथा प्रमापीकरण और बाजार तथा बाजार की प्रथाओं के विनियमन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने जो कार्यवाही की है, उस का क्या नतीजा निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) कृषि संबंधी तथा पशु उत्पाद का श्रेणीकरण और प्रमापीकरण कृषि संबंधी उत्पाद (श्रेणीकरण तथा विक्रय) अधिनियम १९३७ के उपबन्धों के अधीन १९३८ से आग्मार्क के अधीन किया जा रहा है। निर्यात के लिये कुछ वस्तुओं का अनिवार्य श्रेणीकरण समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा १९ के आधार पर चालू किया गया है।

विनियमित बाजार राज्य कृषि-उत्पाद बाजार अधिनियमों के अधीन स्थापित किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़ सभी राज्यों ने इस संबंध में आवश्यक विधान बना लिया है। बाकी राज्य भी निकट भविष्य में आवश्यक विधान पारित करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

(ख) देशी बाजार में आग्मार्क के अधीन श्रेणीकरण से उत्पादक को अपनी वस्तु की बिक्री से अधिक आमदनी प्राप्त करने और ग्राहक को गारंटीशुदा सचाई की वस्तुयें प्राप्त करने में मदद मिली है। निर्यात के क्षेत्र में श्रेणीकरण की वजह से विदेशों में बिक्री हुई है, नये बाजार पैदा हुए हैं, और देश को अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में मदद मिली है।

देश में लगभग २००० महत्वपूर्ण थोक बाजारों में से ७३० बाजार दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विनियम के अधीन लाये जा चुके हैं। अनुमान है कि बाकी बाजार भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विनियम के अधीन लाये जायेंगे। बाजारों के विनियमन से बाजार की दरों का वैज्ञानिकन शुद्ध बांट-माप, और किस्म के मामले में झगड़ों का तुरन्त निवटारा और तुरन्त भुगतान शुरू हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी श्रेणी के सोने के डिब्बों का डिजाइन तैयार करना

१९८५. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-अहमदाबाद मेल मे लगे तीसरी श्रेणी के सोने के डिब्बों में बैठा नहीं जा सकता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोई इस डिब्बे में बिस्तर ले कर प्रवेश नहीं कर सकता और अन्दर दम घुटने लगता है; और

(ग) क्या ऐसे डिब्बों में लगे सोने के तीन तख्तों में से बीच का तख्ता हटाने की कोई योजना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं । दिन में शयन-यान की केवल निचली शायिका बैठने के लिये बनायी गयी है । बीच की शायिका दिन में मोड़ कर बंद रखी जाती है ।

(ख) और (ग). जी नहीं ।

अपाहिज लोग

†**१९८६. श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार विभिन्न प्रकार के अपाहिज लोगों का शीघ्र पता लगाने लिये क्या कदम उठा रही है ताकि उन का रोग रोका जा सके और उन की शीघ्र चिकित्सा की जा सके ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : पुनर्वास केन्द्रों संबंधी समिति ने ३१-८-६१ को अपनी बैठक में यह निश्चय किया था कि आक्युपेशनल थेरापिस्ट नियुक्त करने वाले अस्पतालों को एक प्रश्न सूची भेज कर या विभाग स्थापित कर एक सर्वेक्षण किया जाये ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस प्रकार के रोगों का निदान होता है और किस प्रकार की सेवायें प्रस्तुत की जाती हैं। इस सर्वेक्षण में विभिन्न स्थानों पर विकलांगों के लिये उपलब्ध फिजियोथेरापी, आक्युपेशनल थेरापी, वोकेशनल ट्रेनिंग, सोशल सर्विसेज और पोस्थेटिक सर्विसेज शामिल होंगी ।ऐसा सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर विभिन्न प्रकार के अपंग लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी । समिति ने यह भी निश्चय किया कि मेडिकल कालिजों से संलग्न पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जायें ताकि बड़ी श्रेणियों के अपंग व्यक्तियों को चिकित्सा विषयक पुनर्वास से ले कर लाभदायक रोजगार तक व्यापक सेवायें प्रस्तुत की जा सकें। सभी मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपलों/डीनों और राज्य के ए० एम० ओ० को इस मामले में बता दिया गया है और वे इस बात से सहमत हो गये हैं मेडिकल कालिजों से संलग्न पुनर्वास केन्द्रों का विकास किया जाये । यह योजना किस प्रकार कार्यान्वित की जाये इस पर समिति अभी विचार कर रही है ।

मद्रास और मंगलौर के बीच विशेष गाड़ियों को चलाना

†**१९८७. श्री कोया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार रमजान, ओनम, बकरीद और क्रिसमस त्यौहारों पर मद्रास और मंगलौर के बीच कुछ विशेष गाड़ियां (हालिडे स्पेशल) चलाने की संभावना पर विचार करेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : सवारी डिब्बे, इंजन और वर्तमान गाड़ियों के लिये लाइन क्षमता उपलब्ध होने पर तथा माल लाने ले जाने की आवश्यकतानुसार रेलवे का

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्यतया यह प्रयत्न रहता है कि जहां तक संभव हो और यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार, वर्तमान गाड़ियों की संख्या बढ़ा कर और। अथवा विशेष गाड़ियां चला कर संतोषजनक व्यवस्था की जाये। फिर भी यह कहा जा सकता है कि पहले उपर्युक्त किसी भी त्यौहार पर मद्रास और मंगलौर के बीच कोई हालिडे स्पेशल गाड़ी नहीं चलायी गयी थी क्योंकि आने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह उचित नहीं था। ओनम और क्रिसमस त्यौहारों पर वर्तमान गाड़ियों का बोझ आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम क्षमता तक बढ़ा दिया गया था।

बेतूल (मध्य प्रदेश) में चीनी का कारखाना

१९८८. **श्री चांडक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़े हुए बेतूल जिले में गन्ना बहुतायत से पैदा होता है और वहां के गरीब लोगों की माली हालत सुधारने के लिये वहां चीनी का कारखाना स्थापित करने की नितान्त आवश्यकता है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वहां चीनी का कारखाना खोलने की सिफारिश की है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस प्रदेश के लोगों की बरसों से चली आ रही मांग पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश के उद्योग निदेशक ने फरवरी, १९६० में बेतूल जिले में सहकारी चीनी कारखाना स्थापित करने हेतु लाइसेंस के लिये आवेदन किया था और अप्रैल, १९६१ में उस आवेदन पत्र को वापिस ले लिया था।

आंध्र प्रदेश में मेडिकल कालेज

†१९८९. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न मेडिकल कालिजों को कितने आवर्तक और अनावर्तक अनुदान दिये गये; और

(ख) १९६२–६३ में इन कालेजों को कितने अनुदान दिये जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):** (क) विभिन्न केन्द्रीय सहायता प्राप्त तथा समर्थित स्वास्थ्य योजनाओं के सम्बन्ध में राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक योजना के लिये धन नियत नहीं किया जाता बल्कि योजना के स्थूल समूहों या श्रेणियों के लिये प्रत्येक वर्ष के अन्त में रकम मंजूर की जाती है। किसी वित्तीय वर्ष के लिये नियत की गयी कुल वित्तीय सहायता का तीन चौथाई हिस्सा राज्य सरकार को उस वर्ष के दौरान नौ बराबर बराबर किस्तों में अर्थोपाय अग्रिम के रूप में इकट्ठी रकम में दिया जाता है। १९६२-६३ में आन्ध्र प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के सम्बन्ध में जिन में "चिकित्सा शिक्षा" के अन्तर्गत आने वाली योजनायें भी शामिल हैं, ५३.१४ लाख रुपये का इकट्ठा अनुदान दिया गया था। इसी अवधि में मेडिकल कालेज, वारंगल और श्री रंगराया मेडिकल कालेज, काकिनाडा को जो गैर-सरकारी संस्थायें हैं पांच पांच लाख रुपये का तदर्थ अनुदान भी मंजूर किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६२-६३ में राज्य की आयोजनाओं में सम्मिलित योजनाओं के लिये राज्य सरकार को अनुदान देने के प्रश्न पर चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में विचार किया जायेगा जब कि राज्य सरकार से व्यय संबंधी आंकड़े प्राप्त हो जायेंगे ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना

†१९९०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के ढंग पर सामान्य जनता को सुविधायें देने के लिये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना बनाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नहीं हो तो उस के कारण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जब कि सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य से चिकित्सा कार्यक्रम की सुविधायें देना है, फिर भी इस संबंध में ऐसी कोई योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मध्य प्रदेश में स्कूल आफ केटरिंग

†१९९१. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को राज्य में एक स्कूल आफ केटरिंग (भोजन व्यवस्था प्रशिक्षणालय) खोलने की एक योजना को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है;

(ग) इस योजना के लिये भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देगी; और

(घ) यह स्कूल कब और कहां खोला जायगा ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (घ). मध्य प्रदेश में भोजन-व्यवस्था विज्ञान (जिस पर प्राथमिक रूप से विचार हो रहा है) समेत खाद्य विज्ञान शिल्प केन्द्र स्थापित करने के कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है । हमने केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु अन्य राज्यों में भी ऐसे केन्द्रों को हमारे अपने इंस्टीट्यूट आफ केटरिंग टैक्नालाजी और एप्लाइड न्यूट्रीशन से सम्बद्ध करने की अपनी नीति के सिद्धान्त पर ऐसे शिल्प केन्द्र स्थापित करने में रुचि दिखाई है ।

भावनगर–तारापुर रेलवे लाइन

†१९९२. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे पर भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन के निर्माण के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और सर्वेक्षण का क्या ब्यौरा है;

(ग) इस लाइन के निर्माण करने में क्या विलम्ब है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सरकार इस लाइन का निर्माण कब आरम्भ करेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). तारापुर से भावनगर तक एक बड़ी लाइन के लिये वर्ष १९५३ में यातायात सर्वेक्षण किया गया था। बाद में, वर्ष १९५६-५७ में इस लाइन के लिये एक प्राथमिक इंजीनियरिंग और नये रूप से यातायात सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार, यह लाइन ८७.५ मील लम्बी होगी और इस पर ७.५९ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस परियोजना को अलाभप्रद पाया गया और छोड़ दिया गया।

(घ) प्रस्तावित लाइन को तृतीय पंचवर्षीय योजना में नई लाइनों के निर्माण के रेलवे के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। इस के अतिरिक्त, नई लाइनों के निर्माण के लिये उपलब्ध वित्तीय संसाधन भी सीमित हैं। अतः निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण के बारे में विचार किये जाने की संभावना कम है।

लखनऊ के उत्तर रेलवे अस्पताल की दाइयां

१९९३. श्री सरजू पांडय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ के उत्तर रेलवे के अस्पताल में दाइयों के काम के घंटे आठ से बढ़ कर बारह कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) लखनऊ के अस्पताल में दाइयां नहीं रखी गयी हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

मार्ग में खोये सामान के दावे

†**१९९४. श्री महेश्वर नायक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान रेलवे में मार्ग में खोये और क्षति ग्रस्त हुए सामान के लिये क्षतिपूर्ति के लिये प्राप्त दावों की क्या संख्या है और वे कितनी धनराशि के लिये प्राप्त हुए; और

(ख) उन में से कितने और किस रूप में निपटाये गये ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क)

प्राप्त दावों की संख्या	४,७३,७४३
दावों की रकम	१५७५.३० लाख रुपये

(ख) वर्ष १९६१ में निपटाये गये दावों की संख्या निम्न प्रकार है :

भुगतान द्वारा	२,६३,०४४
अन्य प्रकार (अस्वीकृत और माल दे कर वापस लिये गये शामिल हैं)	२,२६,०९८
कुल	४,८९,१४२

इन में १-१-१९६१ को लम्बित मामले भी शामिल हैं।

†मूल अंग्रेजी में

केरल राज्य के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१९९५. श्री मणियंगाडन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के उच्च रेंज प्रदेश (देवीकुलम और पीयरमेडु तालुक) में काम करने वाले डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टर बनाये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्वार्टर बनाने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). १८ विभागीय और ८ किराये के क्वार्टरों की व्यवस्था की जा चुकी हैं।

८ पीयरमेड में और 'वेंडीपेरियार में—९ और क्वार्टर बनाने की योजनाएं मंजूर की गई हैं।

बम्बई-विजयवाड़ा जनता एक्सप्रेस

†१९९६. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हैदराबाद के रास्ते बम्बई और विजयवाड़ा के बीच जनता एक्सप्रेस चलायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब और यह गाड़ी सप्ताह में दो बार चलाई जायेगी या सप्ताह में तीन बार ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). हैदराबाद के रास्ते बम्बई और विजयवाड़ा के बीच जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। यह मामला विचाराधीन है और अभी यह नहीं कहा जा सकता कि परिणाम क्या निकलेगा ?

नंद्याल-काटपाडी रेलवे लाइन

†१९९७. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैदुकूर, पलेख और नाकाला के रास्ते नंद्याल और काटपाडी के बीच एक रेलवे लाइन के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड ने क्या निर्णय किया है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिये कोई प्राक्कलन तयार किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) इस प्रस्ताव को तृतीय पंच वर्षीय योजना में रेलवे की नई लाइनों के निर्माण-कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जब तक कुछ समय बाद इस लाइन के निर्माण पर विचार किये जाने की संभावना होगी, तैयार किया गया कोई भी प्राक्कलन पुराना पड़ जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेल्लोर से मेदुकूर तक बड़ी लाइन

†१९९८. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नेल्लोर से मेदुकूर तक एक बड़ी लाइन बिछाने की सिफारिश की है;

(ख) किये गये इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षणों के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इन रेलवे-लाइन के बनाये जाने की कोई संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस लाईन के लिये कोई इंजीनियरिंग अथवा यातायात सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं ।

समितियों और परिषदों का गठन

†१९९९. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समितियों और परिषदों के गठन के लिये कोई आदर्श विधान बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जावेगी ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों को मकानों के लिये स्थान

†२०००. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिहीन कृषि श्रमिकों को मकानों के लिये स्थान दिलाने के लिये और गलियों और नालियों को सुधारने के लिये पंचायतों को सहायता देने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) क्या राज्य सरकार से वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ के लिये ऐसी सहायता देने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना धन दिया गया है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में विशेषत: भूमिहीन कृषि श्रमिकों को मकान बनाने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

जगह दिलाने अथवा गलियों और नालियों को सुधारने के लिये पंचायतों को सहायता देने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को (अथवा किसी अन्य राज्य सरकार को) अभी तक कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। तथापि, राज्य योजनाओं में शामिल विभिन्न योजनाओं के अधीन राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के नये तरीके के अन्तर्गत, ग्रामीण आवास परियोजना योजना के अन्तर्गत आवंटित निधि का २५ प्रतिशत कुछ चुने हुए गांवों में गलियों और नालियों के सुधार के लिये अनुदान के रूप में उपलब्ध है। इस के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिये मकान बनाने की जगह प्राप्त करने में किया गया कुल व्यय उन को अनुदान के रूप में मिलेगा । तथापि, केन्द्रीय सहायता के ये तरीके, जो सामान्यतः लागू हैं, निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श कर के तैयार की गयी सहायता की विस्तृत शर्तों के अनुसार होंगे ।

(ख) और (ग). निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को वर्ष १९६१-६२ में ग्रामीण आवास परियोजना योजनाओं के अन्तर्गत ११·४३ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का आवंटन किया गया जिस में से उस वर्ष राज्य सरकार ने कुल ४० हजार रुपये निकाले। वर्ष १९६२-६३ में निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को १०·६७ लाख रुपये का आवंटन किये जाने की संभावना है।

लक्कदीव और मिनिकोय द्वीपसमूह में डाक सुविधायें

†२००१. **श्री नल्लाकोया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कदीव और मिनिकोय द्वीपसमूह में एक उप-डाकघर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार को डाक सुविधायें न होने से द्वीपवासियों को होने वाली कठिनाइयों का पता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वीपसमूह में यह सुविधा देने के लिये तत्काल कार्यवाही करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) द्वीपसमूह में एक उप-डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है बल्कि वहां पर सात सामयिक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर चल रहे हैं ।

(ख) और (ग). द्वीपसमूह में मनीआर्डर की सुविधा की व्यवस्था करने की मांग थी और इस बारे में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

विपणन समितियां[1]

†२००२. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजना-काल में, राज्य-वार, कितनी प्राथमिक विपणन समितियां स्थापित की गयीं ; और

(ख) वर्ष १९६२-६३ में, राज्य-वार, स्थापित की जाने वाली समितियों की क्या संख्या है ?

---

†तून अंग्रेजी में

[1]Marketing Societies

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार द्वितीय योजना में १८५८ प्राथमिक विपणन समितियां बनाई गयीं। मान्यता प्रदान की गयीं जिन का ब्योरा निम्न प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश	१७०
आसाम	१३३
बिहार	२२०
महाराष्ट्र और गुजरात	२६७
जम्मू तथा काश्मीर	४०
केरल	३५
मध्य प्रदेश	१६३
मद्रास	८३
मैसूर	१६१
उड़ीसा	३०
पंजाब	१३६
राजस्थान	१०३
उत्तर प्रदेश	१७०
पश्चिम बंगाल	११५
दिल्ली	४
हिमाचल प्रदेश	१७
मनीपुर	१
त्रिपुरा	६
अंडमान	१
पांडिचेरी	३
कुल	१८५८

(ख) वर्ष १९६२-६३ में, राज्य-वार, स्थापित की जाने वाली समितियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

आन्ध्र प्रदेश	३
आसाम	६
बिहार	१०
गुजरात	५
जम्मू तथा काश्मीर	४

†मूल अंग्रेजी में

केरल	४
मध्य प्रदेश	१६
मद्रास	..
महाराष्ट्र	११
मैसूर	..
उड़ीसा	४
पंजाब	३
राजस्थान	१०
उत्तर प्रदेश	२०
पश्चिम बंगाल	२०
दिल्ली	—
हिमाचल प्रदेश	..
मनीपुर	२
त्रिपुरा	२
लक्कदीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	३
कुल	१११

सहकारी खेती

†२००३. **श्री धर्मलिंगम :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में, राज्य-वार, सहकारी खेती संबंधी कितनी वृहत् परियोजनायें आरम्भ की गयीं ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में, राज्य-वार, कितनी सहकारी खेती शाखायें स्थापित की जायेंगी ; और

(ग) इस कार्य को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार की भावी योजनायें क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) वर्ष १९६१-६२ में ६४ जिलों में, जहां २५५ समितियां बनी हैं, वृहत् परियोजनायें आरम्भ की गयीं। राज्य-वार आंकड़ों सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ख) वर्ष १९६२-६३ में आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रति राज्य एक की दर से सात सहकारी खेती शाखायें स्थापित की जायेंगी।

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास राज्य के लिये प्रशिक्षण शाखा चालू हो गई है। इस के अतिरिक्त वर्ष १९६१-६२ में अन्य राज्यों में चालू की गयी सहकारी खेती शाखाओं में वर्ष १९६२-६३ में सरकारी और गैर-सरकारी श्रमिकों को प्रशिक्षण मिलता रहेगा।

(ग) सहकारी खेती को लोक-प्रिय बनाने के कार्यक्रम में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय शामिल हैं :

(१) वर्ष १९६२-६३ में ८९ जिलों में, ५४२ समितियां बनाई जायेंगी, नयी वृहत् परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी। इसके अतिरिक्त वर्ष १९६१-६२ में आरम्भ की गई वृहत् परियोजनाओं में २४४ समितियों का कार्य पूरा किया जायेगा।

(२) वृहत् परियोजनाओं में समितियों के अतिरिक्त, गैर-वृहत् क्षेत्रों में १०१५ कृषि समितियां आरम्भ की जायेंगी।

(३) नयी संगठित समितियों के सदस्यों अथवा संभावित सदस्यों के लिये सफल सहकारी खेती समितियों को अध्ययन दौरों का आयोजन किया जायेगा।

(४) कृषकों में सहकारी खेती के विचारों का प्रचार करने लिये ग्राम्य शिविरों का आयोजन किया जायेगा। प्रश्न और उत्तर समेत सहकारी खेती के विषय पर किसानों के लिये उनकी स्थानीय भाषा में लोक प्रिय पुस्तिका तैयार की जायेगी। सहकारी खेती के विभिन्न पहलुओं पर रेडियो गोष्ठि का आयोजन किया जायेगा। फ्लैश कार्डों, पोस्टरों, फिल्मों का प्रकाशन किया जायेगा। सहकारी खेती सम्बन्धी एक फिल्म तैयार वाली है।

(५) कुछ सहकारी फार्मों की सफल कहानियां प्रकाशित की जायेंगी।

(६) वित्तीय सहायता देने के तरीके का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा। खंड से प्रविधिक सहायता और अन्य कर्मचारियों की प्राथमिकता आधार पर व्यवस्था की जायेगी।

(७) पंचायती राज संस्थाओं से सहकारी खेती समितियों को भूमि देकर सहकारी खेती के विकास में सहायता करने का अनुरोध किया गया है। पंचायती राज समितियां विशेषतः तीन महीनों में एक बार पंचायत समिति और जिला परिषद् के स्तर पर सहकारी खेती के विकास का पुनर्विलोकन भी करेंगी।

तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित डिलक्स सवारी डिब्बे

†२००४. **डा० श्री निवासन :**
श्री परमशिवन् :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित डिलक्स सवारी डिब्बों में, उन का पुनर्रूपांकन करके सोने वाली बर्थ की व्यवस्था करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस

†२००५. { **डा० श्री निवासन :**
श्री परमशिवन् :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास दिल्ली जनता एकसप्रेस में सोने की अधिक व्यवस्था करने की जनता ने निरन्तर मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इस गाड़ी में तृतीय श्रेणी में सोने की अधिक व्यवस्था करने के लिये प्रार्थनायें की गयी हैं ।

(ख) इस गाड़ी में २-टायर बैठने वाली एवं सोने वाली सवारी डिब्बा सेवा, जैसे ही ये डिब्बे उपलब्ध हो जायेंगे, की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

ऊपरी पुलों का निर्माण

†२००६. **श्री राजा राम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास राज्य में निम्नलिखित रेलवे लेवल क्रासिंग, जैसे (१) शिवापेट (सैलम), (२) मोरप्पूर (सैलम) और (३) करूप्पूर (सैलम) पर ऊपरी पुल बनाने के लिये जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या वहां पर ऊपरी पुल बनाने की सरकार की कोई योजना हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां केवल शिवापेट और करूप्पूर में लेवल क्रासिंग के बारे में ।

(ख) वर्तमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर ऊपरी / निचला पुल बनाने की योजनायें राज्य सरकारों द्वारा पुरस्कृत होती हैं । मोटे तौर पर, रेलवे पुल बनाती है और उस पर चढ़ने और उतरने का मार्ग राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है । मद्रास सरकार ने अभी तक तृतीय योजना काल में वर्तमान लेवल क्रासिंगों के स्थान पर ऊपरी/निचला पुल बनाने की योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया है । तथापि, दक्षिण रेलवे प्रशासन ने अपने वर्ष १९६२-६३ के वार्षिक-कार्य कार्यक्रम में वर्तमान दो लेवल क्रासिंगों—एक सैलम मार्केट स्टेशन के पश्चिम में एफ २१८/१८–१९ मील पर और दूसरा करूप्पूर के समीप २०३/२१–२२ मील पर— के स्थान पर दो सड़क ऊपरी पुल बनाने की योजनाओं को अस्थायी रूप से शामिल किया है । जैसे ही राज्य सरकार उस वर्ष के बारे में, जिसमें वह नियमों के अनुसार निर्माण की लागत में अपने अंश के लिये धन की व्यवस्था कर सकेगी, अपना अन्तिम निर्णय भेजेगी, इन कार्यों के कार्यान्वयन की योजना बनाई जायेगी ।

सैलम में मेडिकल कालिज

†२००७. **श्री राजाराम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मद्रास राज्य में मेडिकल स्नातकों की संख्या न्यूनतम आवश्यकता से बहुत कम है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या निकट भविष्य में सैलम में एक नया मेडिकल कालिज स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) मद्रास राज्य समेत समूचे देश में डाक्टरों की कमी है। परन्तु कई अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां सेवा अच्छी है।

(ख) और (ग). मद्रास सरकार ने भारत सरकार को बताया है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में वित्तीय कठिनाई और अर्हता-प्राप्त अध्यापकों की कमी के कारण कोई नया मेडिकल कालिज खोलने की उनकी कोई योजना नहीं है।

मद्रास-दिल्ली प्रातः कालीन विमान सेवा

†२००८. **श्री राजाराम** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन मद्रास से दिल्ली तक प्रातःकालीन विमान सेवा आरम्भ करने जा रहा है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि वह नई विमान सेवा सभी दक्षिण राज्यों की चारों राजधानियों, जैसे त्रिवेन्द्रम, बंगलौर और हैदराबाद को मद्रास से मिलाने जा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) विमान सेवा की वर्तमान पद्धति में त्रिवेन्द्रम, बंगलौर और हैदराबाद का विमान द्वारा मद्रास से पहले ही संबंध है और इस समय निगम की अतिरिक्त सेवा की कोई योजना नहीं है।

पठानकोट-कुलू काजा कौशिक रोड

†२००९. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पठानकोट–कुलू काजा कौशिक रोड को राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची में शामिल करने के लिये पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी, नहीं। तथापि सड़क, जोकि राज्य की सड़क है, के एक बड़े भाग का केन्द्रीय वित्तीय सहायता द्वारा विकास किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे में अपराध

†२०१०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ मार्च १९६२ तक चलती गाड़ियों में डाकुओं ने कितने यात्रियों की हत्या की और कितने यात्रियों को घायल किया ; और

(ख) पुलिस ने इस संबंध में क्या जांच की ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). १ जनवरी से मार्च, १९६२ तक चलती गाड़ियों में डाकुओं ने ५ यात्रियों की हत्या की और १७ यात्रियों को घायल

†मूल अंग्रेजी में

किया। इस तरह के १२ मामले थे जिनमें से २ मामलों का न्यायालय में चालान पेश किया गया ६ मामलों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और १ मामले में अपराधियों का पता नहीं लगाया जा सका।

राजपुरा का ऊपरी पुल

†२०११. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे मंत्री** ४ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार राजपुरा ऊपरी पुल के निर्माण-कार्य में अपना दायित्व पूरा करने के लिये इस बीच सहमत हो गई है ; और

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री श्री (सें० वें० रामस्वामी) :** (क) पंजाब सरकार ने अन्तिम निर्णय की सूचना नहीं दी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मद्रास राज्य में मेडिकल कालेज

†२०१२. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मद्रास सरकार से राज्य में एक नया मेडिकल कालेज खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वय

†२०१३. **श्री प्रिय गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा की दशाओं के बारे में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ;

(ख) सरकार निम्नलिखित सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित करने का इरादा रखती है ;

(१) भारी मजदूरी करने वालों को बढ़ी दर से वेतन ;

(२) रेलवे के समुद्री कर्मचारियों की सेवा की दशा आदि के प्रश्न की जांच करने के लिये एक तदर्थ समिति का गठन ;

(३) कारीगर कर्मचारियों के वर्गीकरण पर विचार करने के लिये एक ट्रिब्यूनल नियुक्त करना ; और

(४) वायरलैस आपरेटर कर्मचारी भत्ते के बारे में सिफारिश को कार्यान्वित करना ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य "अनियमित रोजगार" में लगे हुये नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में जगन्नाथ दास वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय ३ में निहित सिफारिशों के बारे में जानकारी चाहते हैं। इन सिफारिशों को लागू करने के आदेश २०-३-१९६१ को जारी किये जा चुके हैं।

(२) वेतन आयोग के सुझाव के अनुसार तदर्थ समितियां गठित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(३) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(४) वेतन आयोग ने ऐसा कोई भत्ता देने की सिफारिश नहीं की।

टिड्डियों का आक्रमण

†२०१४. **श्री बी० चं शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से आनेवाली टिड्डियों का मुकाबला करने के लिये एक योजना बनाने हेतु कीटशास्त्रज्ञों और उनके परामर्शदाताओं की एक बैठक हाल में जोधपुर में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) से (ग). जोधपुर में १० मई १९६२ को पौधों के बचाव संबंधी परामर्शदाता और राजस्थान के टिड्डी आक्रमण चेतावनी संगठन के क्षेत्रीय कर्मचारियों की एक बैठक हुई थी। यह एक विभागीय बैठक थी जो राजस्थान, पंजाब और गुजरात के नियमित मरूस्थल क्षेत्र में टिड्डियों की स्थिति से संबंधित वर्तमान समस्याओं पर विचार करने के लिये आयोजित की जाती है।

इस बैठक में यह निर्णय किया गया कि आने वाले महीनों में टिड्डियों के बहुत बड़ी संख्या में संभाव्य आगमन का सामना करने के लिये मरूस्थल क्षेत्र में कई नई चौकियांखोल कर तथा कीट-नाशकों और नियंत्रण के उपकरण का अतिरिक्त संभरण सुनिश्चित कर टिड्डी आक्रमण की चेतावनी देने वाले संगठन को मजबूत बनाया जाये।

रामगुंडम में तापीय विद्युत् केन्द्र

†२०१५. **श्रीमती विमला देवी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामगुंडम तापीय विद्युत् केन्द्र में कोई अतिरिक्त बायलर न होने से बायलरों की मरम्मत के लिये नियत समय पर जांच नहीं की जा सकी ;

(ख) यदि हां, तो बायलर प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) उनके कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक बायलर प्राप्त करने के लिये आर्डर दिया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आशा है कि अक्तूबर, १९६३ तक बायलर प्राप्त हो जायेगा और काम करने लग जायेगा ।

मुकेरियां--तलवारे रेलवे लाइन

†२०१६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह ७ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मुकेरियां को रेलवे लाइन द्वारा तलवारे से जोड़ने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : मुकेरियां से तलवारे तक के रेल-मार्ग का प्रावेक्षण और प्रारंभिक इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण १९६१-६२ में किया गया था जिसका व्यय पंजाब सरकार ने वहन किया। इस सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इस लाइन के निर्माण पर अनुमानतः १.२४ करोड़ रुपये व्यय होगा। यह सूचना २०-१२-६१ को पंजाब सरकार को उसकी स्वीकृति के लिये भेज दी गई थी। मामला इस समय पंजाब सरकार के विचाराधीन है।

पहाड़ी क्षेत्रों में डाक तथा तार सुविधायें

†२०१७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में शाखा और सहायक डाकघर, जिनपर प्रतिवर्ष १००० और २५०० रुपये घाटा होगा, खोलने का हाल में निर्णय किया है ;

(ख) क्या डाक तथा तार विभाग ने होशियारपुर जिले की उना तहसील तथा कांगड़ा जिले में शाखा और सहायक डाकघर खोलने सम्बन्धी कुछ आवेदन अस्वीकार कर दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार डाकघर खोलने के निर्णय को देखते हुए इन अस्वीकृत आवेदनों पर पुनर्विचार करेगी?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवनराम)** : (क) देश के जो क्षेत्र "अत्यन्त पिछड़े घोषित किये गये हैं उनमें तीसरी योजनावधि में प्रति वर्ष २५०० रुपये का अधिकतम घाटा उठा कर २०० डाकघर खोलने का निर्णय किया गया है।

(ख) उना तहसील के बारे में कोई आवेदन अस्वीकार नहीं किया गया किन्तु १९६१-६२ में कांगड़ा जिले में ३७ नये शाखा डाकघर खोले गये और छः गांवों में शाखा डाकघर खोलने के लिये प्राप्त आवेदन अस्वीकार कर दिये गये क्योंकि स्थानीय असैनिक अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में सिफारिश नहीं की थी।

(ग) जी हां। बशर्ते कि स्थानीय असैनिक अधिकारी प्रस्तावों का समर्थन करें।

खण्ड विकास केन्द्रों मे तार और टेलीफोन सुविधायें

†२०१८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खण्ड विकास केन्द्रों का टेलीफोन और तार द्वारा शहरों से सम्पर्क स्थापित करने का निश्चय किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). ये सुविधायें उन केन्द्रों में दी जायेंगी जिनके फलस्वरूप विभाग को कोई हानि न उठानी पड़े।

वन विकास

†२०१९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की वन सम्पत्ति की रक्षा तथा उसकी अभिवृद्धि के लिये १९६२–६३ के लिये कितनी राशि का आवंटन किया गया है; और

(ख) प्रत्येक राज्य के लिये कितनी राशि रखी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों में वनों के विकासहेतु १९६२–६३ में राशि का आवंटन इस प्रकार किया गया है:—

	राज्य	(रुपये—लाख)
१.	आन्ध्र प्रदेश	२१.०००
२.	आसाम	१७.०००
३.	बिहार	४९.०००
४.	गूजरात	३५.०००
५.	केरल	४५.०००
६.	मध्य प्रदेश	१०२.०००
७.	मदरास	३३.०००
८.	महाराष्ट्र	३९.०००
९.	मैसूर	४९.०००
१०.	उड़ीसा	२६.०००
११.	पंजाब	५३.०००
१२.	राजस्थान	३७.०००
१३.	उत्तर प्रदेश	९३.०००
१४.	पश्चिम बंगाल	६९.०००
१५.	जम्मु और काश्मीर	१०.०००
	योग	६७८.०००

†मूल अंग्रेजी में

संघ राज्य-क्षेत्र		रुपये लाख
१६.	अन्डमान	१०.०००
१७.	हिमाचल प्रदेश	४१.५३८
१८.	मनीपुर	४.२२९
१९.	त्रिपुरा	*९.६३०
२०.	दिल्ली	३.६१०
२१.	नेफा	७.४०८
२२.	नागालैन्ड	२.१६०
	योग	७८.५७५
	कुल योग	७५६.५७५

मद्रास राज्य में मध्यम सिंचाई योजनायें

†२०२०. **श्री इल्यापेरुमाल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मदरास राज्य को १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में अब तक मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये अनूदान और ऋण के तौर पर कितनी राशि दी गयी?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : मद्रास सरकार को उसकी स्वीकृत विविध विकास योजनाओं के लिये जिनमें अन्य बातों के साथ साथ सिंचाई की मध्यम योजनायें भी शामिल हैं वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ के लिये क्रमशः ६६७.६६ लाख और ८८०.३६ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया। १९६२–६३ के लिये अब तक कोई ऋण मंजुर नहीं किया गया है।

मद्रास राज्य को इन वर्षों में सिंचाई की मध्यम योजनाओं के लिये कोई अनूदान नहीं दिया गया।

मद्रास राज्य के छोटे पत्तन

†२०२१. **श्री इल्यापेरुमाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के कौन से छोटे पत्तनों के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में धन दिया गया है; और

(ख) प्रत्येक पत्तन के लिये कितना धन दिया गया?

---

*इसमें भु–परिरक्षण का उपबन्ध शामिल है।

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में मद्रास राज्य के निम्नलिखित पत्तनों के विकास के लिये उपबन्ध किया गया है:—

क्रमांक	पत्तन का नाम	उपबन्ध (लाख रुपयों)
१.	कड्डलोर	५०.००
२.	नागपट्टिनम्	१०.००
३.	तुतीकोरिन	*२७.००
४.	कोलाचल	२.००
	योग	८९.००

(*इस पत्तन में वर्तमान सुविधाओं के विस्तार के लिये जो इस पत्तन का विकास कर उसे बड़ा पत्तन बनाने के लिये किये गये उपबन्ध से अलग है।)

मद्रास राज्य में परिवार नियोजन केन्द्र

†२०२२. **श्री इल्या पेरुमाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि के प्रत्येक वर्ष में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये; और

(ख) उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : उपलब्ध जानकारी के अनुसार मार्च १९६२ तक नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः १६३ और ५२५ परिवार नियोजन सेवा केन्द्र, जिनमें गर्भ-निरोधक उपकरण के वितरण केन्द्र शामिल हैं, और नियमित दवाखाने थे। विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में बसों के मार्ग

†२०२३. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर और बसों के कितने मार्गों का पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों ही प्रयोग करते हैं ;

(ख) इन मार्गों पर वाहनों को चलाने का प्रतिशत पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच किस प्रकार निर्धारित किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन औत से लूहड़ी तक कोई बसें या नहीं चलाई जा रही हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि यह मार्ग हिमाचल प्रदेश प्रशासन का है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी पंजाब सरकार और हिमाचल प्रदेश प्रशासन से मांगी जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

होशियारपुर को रेल द्वारा दसुया से मिलाना

†२०२४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होशियारपुर को रेल द्वारा दसूया से मिलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में बहुत पहले कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके कार्यान्वय में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) १९३१ में एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था जो केवल होशियारपुर से टान्डा उरमुर तक के मार्ग के बारे में था ।

(ग) यह परियोजना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाई गई। यह लाइन तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे द्वारा नई लाइनों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं की गयी है।

फिरोजपुर और दिल्ली डिवीजन में रेलवे के चौथी श्रेणी के अनसूचित जाति के कर्मचारी

†२०२५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के फिरोजपुर तथा दिल्ली के डिवीज नल सुप्रिटेंडेन्ट कार्यालयों ने १९६०–६१ और १९६१–६२ में चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारी नियुक्त किये; और

(ख) इनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों के हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** :

(क)	डिवीजन	१९६०-६१ में नियुक्त	१९६१-६२ में नियुक्त
	दिल्ली	५७३	६८९
	फिरोजपुर	७६	१४५

(ख)	डिवीजन	१९६०-६१ में नियुक्त (अनुसूचित जाति के कर्मचारी)	१९६१-६२ में नियुक्त (अनुसूचित जाति के कर्मचारी)
	दिल्ली	१५९	२६३
	फिरोजपुर	१८	६०

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** भारत में अमेरिका के राजदूत श्री वी० के० नेहरू के वक्तव्य के बारे में तीन ध्यान दिलाने की ओर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं मिली हैं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : श्री कामत के ध्यान दिलाने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । मैंने भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । मुझे विश्वास है कि आप सभी स्थगन प्रस्तावों को ध्यान दिलाने की सूचना में परिवर्तित नहीं करना चाहते । मैं ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना मंत्री का ध्यान दिलाने के लिये नहीं बल्कि सरकार की निन्दा करने के लिये था । इसलिये मेरा निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना का निपटारा पहले किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह ठीक है कि स्थगन प्रस्ताव पहले लिया जाना चाहिये, किन्तु सरकार के पास अभी कोई तथ्य या जानकारी नहीं है । जब तक यह उपलब्ध न हो जायें, कोई निर्णय नहीं किया जा सकता । माननीय सदस्यों के पास भी, समाचार पत्रों के प्रकाशनों के अलावा तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री ही ना० मुकर्जी :** जब स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी जाती है, तो निर्णय में पहले उसकी अविलम्बनीयता पर विचार किया जाता है । यदि उसके बदले में ध्यान दिलाने की सूचना ले ली जाय, तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को कोई तथ्य मालूम है ।

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** हमने भी अखबारों में समाचार पढ़े हैं, किन्तु कुछ तथ्यों में उलट फेर कर दिया गया है । इस लिए हम न्यूयार्क से पूरे वृत्तांत की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भेंट में राजदूत ने क्या कहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो ऐसी हालत में ये सूचनाएं स्थगित रखी जायें । क्या कल तक उत्तर प्राप्त हो जायेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं कह नहीं सकती । उत्तर प्राप्त होने पर ही सदन को सूचित किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब सरकार सदन को जानकारी दे देगी, तो मैं तुरन्त निर्णय कर दूंगा कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जा सकती है या नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : भेंट का पूरा वृत्तांत मंगवाया जाये ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : स्थगन प्रस्ताव विरोधी पक्ष का सब से बड़ा विशेषाधिकार है । समय प्रश्न यह है कि क्या समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी जा सकती है या नहीं । इस के बारे में आप जो निर्णय देंगे वह हमारे लिये पूर्वोदाहरण बनेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

आप ने सरकार को जानकारी इकट्ठा करने के लिये समय दे दिया है । किन्तु आप का निर्णय इस जानकारी को देख कर नहीं होगा, मामले के गुणदोष देख कर होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक कोई तथ्य सामने न हो, कोई निर्णय नहीं हो सकता । इस समय हमारे पास कोई भी तथ्य नहीं है । हम समाचार पत्रों में छपे समाचारों के आधार पर कार्यवाही नहीं कर सकते । मैं इन मामलों को निलम्बित रखूंगा । जब तक कि तथ्य मालम न हो जायें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : औचित्य प्रश्न के हेतु श्री कामत की ध्यान दिलाने की सूचना को कैसे हटाया जा सकता है ? जब सरकार ने सूचना मान ली है, तो इसका अर्थ यह है कि उसके पास जानकारी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है । सरकार के ध्यान दिलाने की सूचना का उत्तर देने का कोई प्रश्न नहीं है । यदि वह पढ़ी भी गई होती, तो सरकार का उत्तर यही होता कि अभी तथ्य उपलब्ध नहीं है और उन्हें मालूम करने का प्रयत्न किया जा रहा है । यदि ध्यान दिलाने की सूचना ले ली गई होती, तो यही कहा गया होता ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या कोई तिथि निश्चित की जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे आशा है, सोमवार तक जानकारी प्राप्त हो जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

शिवरामपुरम में रेल गाड़ी की टक्कर

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री स० मो० बनर्जी, श्री बिशन चन्द्र सेठ, श्री राम सेवक यादव और कुछ और सदस्यों की रेलवे टक्कर के बारे और सूचना है । मैं श्री बनर्जी को पढ़ने के लिये कहूंगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं रेलवे मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विशेष की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे वक्तव्य दें :—

> "दक्षिण रेलवे में शिवरामपुरम् के नजदीक २४—५—६२ को एक मिलिटरी स्पैशल माल गाड़ी और माल गाड़ी के बीच हुई सीधी टक्कर जिस से पंद्रह व्यक्तियों को सख्त चोटें आईं" ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मद्रास, गुन्टाकल सेक्शन के शिवरामपुरम् स्टेशन पर २४—५—६२ को रात में २ बज कर २४ मिनट पर माल गाड़ी नं० १५९० अप गुड्स, और एक मिलिट्री वटिकल स्पेशल संख्या ५—४१४ के बीच में टक्कर हुई ।

शिवरामपुरम् स्टेशन पर दो गाड़ियों ने एक दूसरे को पार करना था । पहले माल गाड़ी आने के लिये सिगनल नीचा किया गया । ज्योंही माल गाड़ी आ रही थी मिलिटरी वटिकल स्पेशल, जिस के लिये सिगनल नहीं नीचा किया गया था, शिवरामपुरम् स्टेशन पर खतरे पर 'डाउन आउटर'

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज़ खां]

'होम' और स्टारटर सिगनल पार कर गई और 'अप होम' और 'डाउन अववांसड स्टारटर' के बीच में टक्कर हो गई ।

टक्कर के कारण दोनों गाड़ियों के अगले इंजन रेल पटरी से उत्तर गए । मिलिट्री स्पैशल के इंजन के बाद एक 'टी० एल० आर०' भी कुछ दूर गया और पटरी से उतर गया गाड़ी पर १३ 'के० एम० एस०' भी पटरी से उतर गया ।

मिलिटरी के दस व्यक्तियों को जो गाड़ी के साथ थे चोटें आईं । इन में से एक के सख्त चोटें लगीं और दूसरों के साधारण चोटें आईं । इस के अतिरिक्त, पांच रेलवे कर्मचारियों के थोड़ी सी चोटें आईं । गूंटी और नन्दालूर से चिकित्सिक सहायता शीघ्र पहुंचाई गई । मिलिटरी के ९ व्यक्तियों के जिन्हें चोटें आई कुड्डापा सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया ।

गुजरने वाली गाड़ियों का जाना बन्द हो गया । लगभग ६ रेल लम्बाईयों तक पक्का रास्ता खराब हो गया । वहां ही मुसाफिरों को भेजने का प्रबन्ध किया गया । दूसरी लाईन डाल दी गई और २४-५-६२ को रात में ९-१० पर गुजरने वाली गाड़ियां जा सकती थीं । रेलवे अतिरिक्त आयुक्त (रक्षा) दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहा है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी:** क्या मिलिटरी की गाड़ियों को हानि नहीं पहुंची ।

†**श्री शाहनवाज़ खां :** इस विषय पर मेरे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है । परन्तु मेरा ख्याल है कि मिलिटरी गाड़ियों को अधिक हानि नहीं पहुंची ।

†**श्री स० मो० बनर्जी:** १३ डिब्बे उलट गए ।

†**श्री शाहनवाज़ खां :** नहीं । वे पटरी पर से उतर गए । दोनों में कुछ अन्तर है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी:** जैसा समाचारपत्रों में विवरण है यह वैसा ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह कोई प्रश्न पूछना चाहता है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी:** क्या कोई डिब्बा उलट गया ।

†**श्री शाहनवाज़ खां :** कोई उलटा नहीं है ।

†**श्री राम सेवक यादव:** (वाराबंकी): रोजाना रेल दुर्घटनायें घट रही हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये माननीय मंत्री जी के पास कोई प्रोग्राम है या हम समझ लें कि थोड़े समय के लिये कोई मौसम सा दुर्घटनाओं का आ गया है ? क्या इनकी कोई रोकथाम होगी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां:** जी हां । हर एक जो दुर्घटना होती है, उसके लिये कोई अलहदा वजह होती है । इस दुर्घटना के बारे में बताया गया है कि सिगनल खतरे के ऊपर था । देखते हुए कि यह डेंजर के ऊपर है, फिर भी गाड़ी आगे निकल गई . . .

†**श्री प्रियगुप्त:** (कटिहार) : क्या इनक्वायरी हो गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री प्रिय गुप्त : बिना इनक्वायरी हुए यह कैसे कहा जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति, माननीय मंत्री बोल रहे हैं ।

†**श्री शाहनवाज खां :** वह उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन के कारण यह दुर्घटना हुई अनुशासनात्मिक कार्यवाही कर सकता है । वह इधर उधर जाएगा और स्टेशन के काम करने के नियमों को देखेगा और स्टेशन स्टाफ का ध्यान सुरक्षा नियमों की ओर खींचेगा । यह चीजें हमेशा की जाती हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

ट्रंक शुल्कों के बारे में वक्तव्य

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** मैं निम्नलिखित-पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) ट्रंक कालों के लिए रियायती शुल्क और समय को बदलने के बारे में एक वक्तव्य ।

(२) ट्रंक शुल्कों के वैज्ञानिकरण के बारे में एक वक्तव्य ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल०टी० १३९/६२]

मोटरगाड़ी एक्ट के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**श्री जगजीवन राम :** श्री राज बहादुर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० अगस्त, १९६१ के अन्देमान और निकोबार गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १७३/एफ/६८/१२०/६०—पव, जिस में अन्देमान और निकोबार द्वीपसमूह (सरकारी गाड़ियों के कन्डक्टरों को लाइसेंस देना) नियम, १९६१ दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४०/६२]

(ख) दिनांक ५ सितम्बर, १९६१ के मनीपुर गजट प्रकाशित मनीपुर मोटर गाड़ी अधिनियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या, २५/२०/६०—१ परिवहन) ।

[पुस्ताकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १४१/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) मोटर गाड़ी एक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १६ नवम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ १२/५३/६०—परिवहन ।

(ख) दिनांक १४ सितम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ २१/३/६०—परिवहन ।

(ग) दिनांक १८ जनवरी, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ १२/३८/५७-६१ परिवहन ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० १४२/६२—(ग)]

वित्तीय समितियां (१९६१-६२)—एक समीक्षा

†**सचिव** : मैं "वित्तीय समितियां (१९६१-६२)—एक समीक्षा" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

सभा का कार्य

†**श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद)** : कब संसद्-कार्यमंत्री अपना वक्तव्य देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कल भी सभा की बैठक होगी ।

समितियों के लिए निर्वाचन

भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : महोदय, मैं श्री स० का० पाटिल की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि कृषि (अब खाद्य तथा कृषि) मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित दिनांक २१ मई, १९४९ के संकल्प संख्या एफ० ४३—११/४८—कम के खंड ३ (६) के अनुसरण, में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीन सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह:** , मैं स० का० पाटिल की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :–

"कि समय-समय पर सँशोधित भारतीय नारियल समिति एक्ट, १९४४ की धारा ४ के खंड (छः) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश द, भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें—जारी

वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृतिक-कार्य मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रखेगी। श्री कृ० चं० शर्मा अपना भाषण जारी रखे ।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : कल मैं ने भारतीय विचार धारा के नियमित इतिहास और विकास और भारतीय संस्कृति और विकास की विभिन्न दर्शनों को इकट्ठा करने के लिये भारतीय ज्ञान की संस्था की स्थापना की आवश्यकता के विषय में कहा था। प्रत्येक बड़ी संस्कृति में २०० और ३०० के लगभग बड़े पैगम्बर,, इत्यादि हुए हैं। किसी लोगों के एक विभाग के पास पूरी सचाई नहीं है । खुले विचार रखने चाहिएँ। इन बड़े व्यक्तियों के विचार लोगों तक पहुँचाने के लिए अनुवाद एक अच्छा किया विभाग स्थापित करना चाहिए। इस तरह से विभिन्न प्रकार की सचाईयों के विषय में जानकारी होगी और इन कोशिशों से खुले विचारों वाला आदमी बन सकेगा ?

†**श्री शिव मूर्ति स्वामी** (कोप्पल) : अध्यक्ष महोदय, जो भी वैज्ञानिक अनुसन्धान अब तक भारत में किया गया है, उस के द्वारा मैं समझता हूं कि बहुत ही कम काम किया गया है । जो भी अनुसन्धान हुए हैं उन में से आम लोगों का कोई भी फायदा नहीं हो पाया है । जहां तक पुराने मन्दिरों की सुरक्षा का प्रश्न है उस के बारे में मैं चन्द सुझाव मंत्री महोदय को देना चाहता हूँ। सब से पहली बात तो यह है कि आज से १०० या २०० वर्ष कब्ल तक के जितने बड़े-बड़े लोग हमारे भारतवर्ष में हो चुके हैं उनकी जो जो सेइँग्स या कथन हैं, और उन के अलावा जि न लोगों ने हमारे मूवमेंट्स में हिस्सा लिया है और जो हमारे ऐतिहासिक व्यक्ति हो चुके हैं, उन का जो भी लिटरेचर ताड़ के पत्तों पर, तांबे की शिलाओं पर या पत्थरों पर मुल्क के कोने कोने में पड़ा हुआ है उसको शाया किया जाय और उन की किताब बना कर दुनिया भर में उन का तेजी से प्रसार किया जाय।

इस के बाद मैं दक्षिण के उन मंदिरों की सुरक्षा के बारे में चन्द सुझाव देना चाहता हूँ जो कि मैसूर स्टेट के हम्पी और विजयनगर में हैं और बहुत मशहूर हैं। अभी केन्द्रीय सरकार ने उन को हाथ में ले कर कुछ काम शुरू किया है लेकिन वह बहुत नाकाफी है । वह जो मन्दिर नेस्त नाबूद होने वाले हैं उन को तेजी से दुरुस्त करने के लिये काफी पैसा मुहैया किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अँग्रेजी में

इसके बाद मैं मंत्री महोदय से आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत में जितने सांस्कृतिक केन्द्र हैं उन में मैसूर स्टेट में पँचाक्षरी अन्धे गवैयों का बहुत बड़ा केन्द्र है विशेषकर सितार आदि के गायकों का। पता नहीं मंत्री महोदय को पता है या नहीं, लेकिन वहां मुल्क के हर कोने से अन्धे लोग आकर गायन सीखते हैं और वहां से खास तौर पर कर्नाटक संगत का प्रसार किया जाता है। इसलिये कर्नाटक संगीत की रक्षा करना बहुत ही अहम है और जो अन्धे वगैरह नाटकों आदि से अपना गुजारा करते हैं उस के लिये आप को चाहिये कि आप कुछ ग्रान्ट्स दें।

इस के बाद मैं चन्द बातें टेकनिकल कालेजों के बारे में कहना चाहता हूँ। इंजीनियरों के बारे में कहा जाता है कि मुल्क में उन की बहुत कमी पाई जाती है लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग कालेज वगैरह हैं उन की सँख्या बहुत कम है और विद्यार्थियों को कालेजों में भरती होने में बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसलिये देश में ज्यादा से ज्यादा टेकनिकल कालेजेज खोले जायें ताकि जो लोग इंजीनिअर बनना चाहें वे किसी तरह से सफर न करने पायें।

हमारे मंत्रालय को यह भी कोशिश करनी चाहिये कि कुछ इन्वेन्शन के काम भी शुरू किये जायें साईंटिस्ट्स के द्वारा। अगर वे लोग किसानों के लिये दियों में जलाने के लिये कोई चीज तेल जैसी निकाल सकें तो उस को जल्दी से जल्दी हाथ में लेकर गवर्नमेंट को निकालने की कोशिश करनी चाहिये।

मैं मंत्रालय से यह भी बतलना चाहूंगा कि आज आम लोगों के पास और दूसरी जगहों पर लाखों किताबें पाई जाती हैं, खास तौर पर दक्षिण भारत में कन्नड़, तामिल और तेलगू आदि भाषाओं का लिटरेचर बहुत पड़ा हुआ है। हमारी सरकार को उन को जमा कर के, और अगर वहां से न मिले तो म्यूजियम आदि से लाकर जल्द से जल्द शाया करने की कोशिश करनी चाहिये। इस के लिये सरकार को लिंगरल ग्रान्ट्स देनी चाहिये। उन पुस्तकों में बहुत सी बातें हैं जो दुनियां में शांति को फैला सकती हैं और लोगों को सन्तोष प्रदान कर सकती हैं।

कल हमारे श्री प्रकाश वीर शास्त्री कह रहे थे कि भारत वर्ष की संस्कृति से सम्बन्धित चीजें दूसरे मुल्कों में पड़ी हुई हैं। लेकिन सिर्फ उन्हीं पर निर्भर न रह कर भारतीय संस्कृति को फैलाने वाले हमारे विवेकानन्द जी और उन की तरह से जो दूसरे ऋषि और मुनि हो चुके हैं उन के साहित्य के खजाने और पुरातन सँस्कृति से सम्बन्धित चीजें हमारी किताबों में पड़ी हुई हैं। गुरु नानक, वल्लभेस्वर, शँकराचार्य और दूसरे लोगों ने जो रिलिजस बातें कहीं हैं उन को छोड़ कर उन्होंने जो आध्यात्मिक या दूसरे प्रकार की बातें कहीं हैं या जो हमारे देश में सोशल रिफार्मर्स हुए हैं उन्होंने समाज की उन्नति के लिये जो कुछ कहा है या जो लिख कर छोड़ दिया है वह चीजें शायद आज हजारों की तादाद में पड़ी हैं। उन को आज कल की रोशनी में प्रकट करने की और आप की खास तौर से दिलचस्पी होनी चाहिये और उस के लिये आप को काफी पैसा भी खर्च करना चाहिये। इन चीजों का शाया होना जरूरी है। इसे मैं समझता हूँ कि दुनियां के अन्दर हमारी सँस्कृति का जल्दी से जल्दी फैलाव होगा।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : यह बहुत अच्छी बात है कि मंत्रालय लोगों की हालत को वैज्ञानिक गवेषणा और प्रविधिक गवेषणा द्वारा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है । इससे शारीरिक सुख तो हो जाएंगे, परन्तु वे काफी नहीं हैं । राष्ट्र की महत्ता से प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।

इस का सांस्कृतिक पहलू भी है । भूतकाल का गौरव महान् था, भविष्य कई सम्भावनाओं के लिए हुए हैं और वर्तमान गतिशील रहेगा । इन विभिन्न पहलुओं में से एक नमूना बनाना है । यह कठिन कार्य है । इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मंत्रालय का देश के निर्माण में बड़ा उत्तरदायित्व है ।

जहां तक विज्ञान की शिक्षा और गवेषणा का सम्बन्ध है हमें दुनिया के दूसरे देशों के साथ चलना है । गति की ओर ध्यान देते हुए गुणों की अवहेलना नहीं करनी चाहिये ।

हमारी प्रयोगशालाओं और विश्व विद्यालयों में जो वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है उसे हमारी अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं के साथ जोड़ना चाहिये ।

हमारी प्रयोगशालाओं में विचार गति को बढ़ाने वाली भावना बनानी चाहिये । आईस्टाईन जैसे वैज्ञानिकों के पैदा होने के लिये विचार और कल्पना शक्ति की आवश्यकता है । हमारी प्रयोगशालाओं के वातावरण में ऐसे बुनियादी विचार या कल्पना नहीं पैदा हो सकती । हमारी प्रयोगशालाओं में पाठचारिका ऐसी होनी चाहिए कि हमारी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के अनुसार हो ।

हमारे देश में आर्थिक प्रगति हो रही है । हमें प्रशिक्षित और विज्ञान की सेवा करने वाले वैज्ञानिकों की आवश्यकता है । हमारे वैज्ञानिक विदेशों में काम कर रहे हैं और हमें देश में वैज्ञानिकों की आवश्यकता है । प्रधान मंत्री ने इन वैज्ञानिकों को देश लौटने की प्रेरणा की, परन्तु वह निष्फल रही । इसी सुझाव पर प्रो० कुबीर ने वैज्ञानिकों का पूल बनाया, परन्तु इस पूल में वैज्ञानिक हैं जिन्हें सही काम नहीं दिया जाता । इस समस्या की ओर मंत्री जो को मानो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । फिर वैज्ञानिक वापिस आ जाएंगे । हमारे वैज्ञानिकों को अच्छे वेतन मिलने चाहियें ताकि उन्हें कोई चिन्ता न हो ।

उद्योग और वैज्ञानिक गवेषणा में सहयोग होना चाहिये । यह सहयोग इस देश में नहीं है । माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

हमारे देश में वैज्ञानिक गवेषणा विभिन्न स्थानों पर होती है और उनमें समन्वय नहीं होता है । इस का निष्कर्ष यह होता है कि कई बार एक ही गवेषणा दो स्थानों पर होती है जिस से देश के संसाधनों का नाश होता है ।

लोगों को विज्ञान का महत्व समझाना चाहिये और यह दो तरीकों से हो सकता है । पहला तरीका तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के फलों का उपयोग करना है ताकि जनसाधारण की अवस्था ठीक हो और दूसरा तरीका विज्ञान और संस्कृति को मिलाने का है ।

हमारी संस्कृति में विविधता है, परन्तु इस विविधता का नाश नहीं करना चाहिये । हमारे देश के विभिन्न भागों के लोगों को दूसरे भागों के लोगों की संस्कृति से परिचय करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टैगोर जयन्ती विशाल रूप से मनाई गई । टैगोर, बाल्मीकी, व्यास, और कालिदास की तरह बड़ा कवि था। क्या इस जयन्ती से लोगों को टैगोर के बारे कुछ पता चला ? टैगोर को आलोचना पूर्वक समझने की कोई कोशिश नहीं की गई ।

तीन अकेदिमियां हैं ? उन्हें सरकार के प्रबल प्रभाव से अपने आप को बचाना चाहिये ताकि उन की शक्ति बढ़ सके। सरकार को हम पर निगरानी रखनी चाहिये।

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी का प्रश्न बड़ी देर से चल रहा है । इस प्रश्न के विषय में हमें कुछ जानकारी दी जानी चाहिए ।

अन्त में मैं जानना चाहता हूं कि इसराईल और पूर्वी जर्मनी से सांस्कृतिक समझौते क्यों नहीं किए गए हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का बहुत धन्यवादी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है । चूंकि मेरा मंत्रालय वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्यों से सम्बन्धित है, इस लिए सब वक्तव्यों में विज्ञान और सांस्कृति का भावना और जब माननीय सदस्यों ने आलोचना भी की, तो वे आलोचनाएं या तो बहुत छोटी बातों के बारे में थीं या बड़ी मित्रता की भावना से की गई थीं। मैंने देखा है कि जब भी मेरे मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई है, तो सदस्यों ने हमेशा मेरी सहायता की है । इसके लिये मैं सदन का धन्यवाद करता हूं ।

कल कम्युनिस्ट दल के माननीय मित्र ने जिन्होंने चर्चा आरम्भ की इस मंत्रालय की प्रशंसा की, परन्तु उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रालय को दो भागों में विभक्त कर देना चाहिये। मुझे इन दो बातों में कोई तर्क दिखाई नहीं दिया ।

†**एक माननीय सदस्य** : यह अनुचित प्रशंसा थी ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : यदि आप भाषण पढ़ें तो पता चलेगा कि अनुचित प्रशंसा नहीं थी । यह प्रशंसा दिल से की गई थी ।

इस का कारण यह वहम है कि विज्ञान और संस्कृति इकट्ठी नहीं हो सकतीं । ऐसे लोग न केवल भारत में बल्कि और जगह भी हैं जिनका यह विचार है कि विज्ञान भौतिकवादी है और विज्ञान का मतलब सरकारी प्रशासन वाणिज्य और उद्योग इत्यादि में शीघ्र लाभ है और संस्कृति वायु की भांति है । इसलिए विज्ञान की आवश्यकताओं के साथ संस्कृति नहीं रह सकती ।

मैं समझता हूं कि इस विचार से लगभग चार वर्ष पूर्व इस मंत्रालय का बनना न केवल हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है परन्तु दूसरे देशों में भी इस ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है यहां विख्यात वैज्ञानिकों और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने कहा है कि ऐसा मिलाप दूसरे देशों में भी किया जा सकता है ।

हमें यह मानना होगा कि विज्ञान निश्चय ही एक गम्भीर सांस्कृतिक कार्यक्रम है । यह सचाई की ओर ले जाने वाला है । मानव मन की भ्रांतियों को दूर करने वाला है। मनुष्यों को एक सूत्र में बांधने वाला है। जब तक विज्ञान के इस महत्व को हम नहीं समझेंगे तब तक हम विज्ञान के सही अर्थों को नहीं समझ सकते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हेम बरुआ : ने टैगोर का उल्लेख किया है । टैगोर ने उपनिषेदों की व्याख्या करते हुए कहा है कि ये ऐसे विज्ञान हैं जिनको मानव ने बनाया है। ये सर्वव्यापी विवरण है और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। यह ऐसे सत्य हैं जो देश, जाति और धर्म के परे सदैव व्याप रहते हैं। हमें इस तथ्य को मान्यता देनी होगी । संस्कृति वैज्ञानिक आधार पर ही आधारित है । प्रकृति के वास्तविक प्रअध्ययन का नाम ही संस्कृति है । अब विज्ञान और सांस्कृति को अधिक से अधिक निकट लाना है । यदि हमने इन दोनों की एकता को स्वीकार कर लिया तो आधुनिक संसार की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो प्रश्न उठाये हैं और कहा है कि विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। उनका कहना है कि विभिन्न वर्गों के लोगों को भेजा जाये ताकि वे भारत की संस्कृति के विभिन्न अंगों की पूर्ति कर सकें। मैं कहना चाहूंगा कि शायद उन्होंने इस मंत्रालय के प्रतिवेदन को अच्छी तरह नहीं पढ़ा है। स्वतंत्र दल के नेता ने ऐसी बातें उठाई हैं जिनकी चर्चा गत वर्षों में हो चुकी है और उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया जा चुका है ।

हमारे मंत्रालय का काम चार बड़े बड़े भागों में बटा हुआ है अर्थात् वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, प्रविधिकशिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियां और वैज्ञानिक संस्थाओं, समितियों तथा अन्य प्रकार की सेवाओं का प्रशासन एवं उनको सहायता देना है। सन् १९५८ में जब इस मंत्रालय की स्थापना हुई थी तो १९ राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं अथवा संस्थाएं थीं जिनमें से कुछ का विकास तो प्रारम्भिक अवस्था में ही था। प्रयोगशालाओं के बारे में जैसा कि सभी जानते हैं कि वे शुरू से ही पूरा पूरा परिणाम नहीं देतीं। उनके पनपने में कुछ समय अवश्य ही लगता है । पहले ४–५ वर्ष तो सम्मान जुटाने और प्रयोग करने में ही लग जाते हैं । और ७–८ साल बीत जाने के बाद सही रूप से कार्य शुरू होता है। इसलिये इन प्रयोगशालाओं को अच्छी तरह काम करने में कुछ समय तो लगेगा ही। अतः अपने देश में जो २७ संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनको अच्छी तरह काम करने में कुछ समय लगेगा ।

कुछ उद्योगों के प्रेरणास्वरूप हमारे देश में कुछ सहकारी अनुसन्धान संस्थाओं की स्थापना हुई है। अब तक इस प्रकार की ७ संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है । तीन या चार संस्थाओं की स्थापना होने वाली है। वैज्ञाननिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की देखरेख में एक चाय अनुसन्धान केन्द्र खोला गया है । चाय विदेशी मुद्रा कमाने का एक साधन है । हम आशा करते हैं कि इस केन्द्र पर और भी अधिक ध्यान दे सकेंगे। इस केन्द्र का उद्देश्य प्रति एकड़ अधिक उत्पादन, तथा चाय का अधिक से अधिक उपयोग करना है तथा यह भी देखना है कि चाय बेकार न जाये । चाय के अन्य तत्वों का भी सदुपयोग करना है ।

यह परिषद् एक राष्ट्रीय रजिस्टर भी रख रही है और वैज्ञानिकों का एक पूल भी इसने बनाया है । इस 'पूल' में आजकल ३०० वैज्ञानिकों के नाम हैं । इस पूल में योग्य व्यक्तियों को ही लिया जाता है । अन्ततोगत्वा परिणाम यह होता है कि जैसे ही कोई वैज्ञानिक इस पूल में आता है तो उसका चयन या तो किसी संस्था में हो जाता है अथवा वह किसी विश्वविद्यालय आदि में चला जाता है । इस प्रकार उसको कही न कहीं जीविका मिल जाती है । पिछले तीन वर्षों में लगभग १२०० से १४०० वैज्ञानिक इस पूल में आये हैं। यह निरन्तर परिवर्तनीय है । हम चाहते हैं कि इस पूल के वैज्ञानिकों को

अच्छा वेतन मिले। कभी कभी उनकी योग्यता, अनुभव आयु के आधार पर अधिक धन भी देते हैं। उनको इस बात की छूट है कि वे जहां चाहे कार्य करें। अतः यदि कोई व्यक्ति यह शिकायत करता है कि उसे काम नहीं मिला तो यह उसकी भूल है। हम नवयुवक वैज्ञानिकों को ६०० रुपये तक वेतन देते हैं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय आय को ध्यान में रख कर यह राशि कोई कम राशि नहीं है। हम नवयुवकों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

यदि हमारे देश के कुछ वैज्ञानिक विदेशों में रह कर अच्छा कार्य करते हैं तो इस से हमारे देश का सम्मान ही बढ़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिक अपने देश में ही कार्य करें लेकिन किसी कारण तथा यदि वे वहां रह कर कार्य करते हैं तो हमें इस में कोई आपत्ति नहीं। बल्कि हम तो इसका स्वागत ही करेंगे।

हम चाहते हैं कि हमारा निर्यात बढ़े। हम यह भी चाहते हैं कि हमारे यहां से अधिक से अधिक व्यक्ति बाहर जायें। अदला बदली कार्यक्रम के अधीन बहुत से विशेषज्ञ विभिन्न देशों से हमारे यहां आते हैं और हमारे देश से भी बहुत से वैज्ञानिक विभिन्न देशों को जाते हैं। हमारे यहां से बल्कि अधिक संख्या में ही वैज्ञानिक बाहर जाते हैं।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने १६५८ में अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों पर साढ़े ३ करोड़ रुपये व्यय किये और १६६१–६२ में यह राशि बढ़ कर ६ करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार हमारा काम दो गुने से भी अधिक बढ़ा तथा अनुसंधान कार्य भी काफ़ी आगे बढ़ा।

प्रविधिक शिक्षा के क्षेत्र में हम ने सब से अधिक कार्य किया है। शायद ही विश्व के किसी देश ने इतना कार्य किया हो।

जब यह मंत्रालय बना था तो उसय सम ७४ संस्थाए इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलोजी में स्नातक डिग्रियां देती थीं और १२६ संस्थाएं डिप्लोमा दिया करती थीं। और ८,७०० व्यक्ति डिग्री पाठ्यक्रम में भर्ती किये जाते थे तथा १५,००० डिप्लोमा कोर्स में भर्ती किये जाते थे। १६६१ में इन डिग्री देने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़ कर १११ और डिप्लोमा वालों की २१० हो गई। और विद्यार्थियों की संख्या पहले वाले क्षेत्र में १६,००० और डिप्लोमा वाले क्षेत्र में २८,००० हो गई। इस प्रकार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ कर लगभग दुगनी हो गई। हमें इस सफलता पर निश्चय ही गर्व करना चाहिये और हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि देश की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में हम और भी उन्नति करेंगे। लेकिन साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि पढ़ाई का स्तर वही रहे उसमें कोई कमी न आने पाये। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि अध्यापक अच्छे हों।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में एक और उच्च टैक्नोलोजीकल संस्था की स्थापना करने का विचार था। पिछले चार वर्षों में ये तीनों उच्च टैक्नीकल संस्थाएं बड़ा अच्छा कार्य करती रही हैं। इंजीनियरिंग तथा टैक्नोलोजी के अवर स्नातक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। १६५७–५८ में इन स्नातकों की संख्या १०० थी जो अब बढ़ कर ५०० हो गई है। मैं समझता हूं कि यह सफलता कोई मामूली सफलता नहीं है और मंत्रालय निश्चय ही इसके लिये बधाई का पात्र है।

देश में इंजीनियरों की बहुत मांग है। परीक्षा पास करने से पहले ही औद्योगिक संस्था इन इंजीनियरों की इंटरव्यू आदि कर लेती है। हम चाहते हैं कि वे कोई नौकरी करने से पहले अनुसंधान भी करें ताकि उनका स्तर ऊंचा हो जाय।

कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया है कि मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग की अवहेलना की गई है। मैं समझता हूं कि उन सदस्यों ने मंत्रालय का प्रतिवेदन नहीं देखा है। दूसरी ओर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देते हैं इस प्रकार ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं।

अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की अदला बदली की योजना शुरू की गई है। इसके द्वारा एक राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जायेंगे और दूसरे राज्यों की संस्कृति को समझने का प्रयत्न करेंगे। यह योजना १९५९ में शुरू की गई थी। १९५९ से पहले सांस्कृतिक दल केवल विदेशों को ही जाया करते थे किन्तु उसके बाद से ये दल एक राज्य से दूसरे राज्यों को भेजे जाने लगे। इन प्रतिनिधि-मण्डलों में संगीतज्ञ, नृत्यकार एवं कवि होते हैं। इन प्रतिनिधिमंडलों के कार्यक्रमों को जनता के लिये किया जाता है। टिकट भी मामूली होती है।

सन् १९५९ में इस प्रकार के तीन प्रतिनिधिमंडल गये और १९६१–६२ में २३। मैं समझता हूं कि यह प्रगति कोई मामूली प्रगति नहीं है। एक राज्य ऐसा भी था जिस ने यह कहा कि जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाते तब तक वह इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेगा। मेरी समझ में लेकिन यह बात नहीं आई; शायद वह राज्य चुनाव के कार्यक्रम में ही अधिक व्यस्त था।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अपने क्षेत्रों से बाहर भी कई कलाकारों ने अपने प्रदर्शन किये हैं। यह कार्य १९६०–६१ में आरम्भ किया गया था और दो ही वर्षों में हम १७ इस प्रकार के प्रदर्शन कर चुके हैं। गत तीन वर्षों में विदेशों से भारत में भी सांस्कृतिक शिष्टमंडल आ रहे हैं। कइयों ने देहातों में अपने प्रदर्शन किये हैं जिससे हमारे देहातियों को भी पता चला कि संसार में किस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां चल रही हैं। यह बड़े महत्व की बात है। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि इस प्रकार विदेशों में जाने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गयी है। १९६१–६२ में विदेशों में २८ शिष्टमंडल तो भाषणों के लिए भेजे गये। नृत्य तथा नाटक प्रदर्शन के लिए १४ शिष्टमंडल गये। इन सब बातों का निर्णय विदेशों से आई हुई मांग के अनुसार किया जाता है। नृत्य अथवा नाटकों की ओर लोग अधिक संख्या में आकर्षित होते हैं। १९५९ में रूस के सांस्कृतिक मंत्री ने मुझे मास्को में कहा था कि आप नर्तकों अथवा कलाकारों को भेज कर हमारे देश का हृदय जीत सकते हैं। नत्य और नाटक का प्रभाव तुरन्त होता है। मेरा यह निवेदन है कि यह जो टेगौर शताब्दी समारोह संसार भर में हुए हैं इस से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मामले भारत को बहुत लाभ पहुंचा है। विदेशों में हमारी संस्कृति को अधिक अच्छा समझने में सहायता मिली है। काफी सुलझे हुए लोगों पर इसका प्रभाव हुआ है।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : क्या नाचना ही इंडियन कल्चर है?

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : उसके महत्व को देखिये।

†**श्री हुमायून् कबिर** : नृत्य नाटक तो उसका एक अंश है, विश्व की बन्धु भावना को जो बात अपील करती है वास्तविक प्रभाव तो वह है जो टैगोर की रचनायें मानव हृदय पर पैदा करती हैं। इसलिए मेरे माननीय मित्र केपहिले टैगोर का अध्ययन करके फिर उसके बारे में बात करनी चाहिए। टैगोर का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में भी हुआ है। अतः यह कहना उचित नहीं कि नृत्य संगीत के लिए बहुत संख्या में विदेशों में जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : डान्स आदि क्या कमी पूरी करेंगे देश की ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : भारतीय भाषाओं के विकास की दिशा में गत चार वर्षों में हम ने एक नया अध्याय आरम्भ किया है । दूसरी योजना के अन्तर्गत हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के विकास के लिए २० लाख की व्यवस्था थी । हिन्दी के लिए शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत अलग से व्यवस्था थी । पहले १५ मास में केवल ५००० खर्च किया गया था । प्रथम वर्ष में भारतीय भाषाओं की सहायता के लिए १ लाख खर्च किया गया । १९६१–६२ में लगभग १० लाख से ऊपर ही राशि व्यय की गयी । तीसरी योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए ९९ लाख की व्यवस्था की गयी है । सरकार इन भाषाओं के विकास को अपना उत्तरदायित्व मानती है । सरकार की यह इच्छा है कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा के विषय पर प्रत्येक भारतीय भाषा में एक पुस्तक लिखी जाय । मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में समुचित समन्वय होना चाहिए । एक भाषा का दूसरी भाषा की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए ।

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि टैगोर शताब्दी समारोह का विदेशों पर प्रभाव पड़ा है, उसी प्रकार देश के लेखकों और कलाकारों पर भी इसका प्रभाव हुआ है । उनका इस प्रकार का संगठन हुआ जैसा कि इससे पूर्व इतिहास में नहीं देखा गया था । विभिन्न प्रकार से भारतीय कला को नये नये रूप प्रदान किये गये, जिसे देख कर लोग आश्चर्यचकित थे । राज्यों की राजधानियों में कोई ऐसे औडीटोरियम नहीं थे, जहां लोग इस प्रकार के कार्यों के लिए मिल सकते । जहां बैठकों तथा सांस्कृतिक समारोहों की व्यवस्था हो सकती । जहां कि रंगमंच आन्दोलन को समुचित प्रोत्साहन मिल सकता । टैगोर शताब्दी पर लगभग हर राज्य की राजधानी में इस प्रकार के रंग मंच और औडीटोरियमों का निर्माण हुआ । आने वाले १८ मासों में इस दिशा में बहुत सा कार्य पूरा हो जायेगा । यह स्थायी लाभ है जो कि सारे देश को टैगोर शताब्दी पर प्राप्त हुआ है । भारत की एकता पर भी इसका प्रभाव हुआ है तथा विश्व में भी भारत का नाम हुआ है ।

अजायब घरों के विकास की ओर भी समुचित ध्यान दिया गया है । सालारजंग अजायब घर को 'राष्ट्रीय अजायब घर' के रूप में मान लिया गया है । दिल्ली के अजायब घर को भी समुचित ढंग से विकसित किया गया है । चार पांच वर्ष पूर्व इसे मज़ाक समझा जाता था, परन्तु आज इसे राष्ट्रीय अजायब घर होने का गौरव पूर्ण रूप में प्राप्त है । दिल्ली मे आज राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है और राष्ट्रीय अजायब घर भी ।

राष्ट्रीय रंग मंच के निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है । हमें पूर्ण विश्वास है कि तीसरी योजना के अन्त तक हम पूर्ण रूप में राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण का कार्य पूरा कर लेंगे । हम संसद् के पुस्तकालय को देश के इस भाग का राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । इस प्रकार हम भारत के विभिन्न लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करने का पूरा प्रयत्न करते रहे हैं । भारत उस संस्कृति का विकास करने के मामले में पूर्ण रूप से जागरूक है जिस पर कि प्रत्येक देशवासी को नाज़ रहा है । हमारी महान् संस्कृति एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमे प्रत्येक फूल का अपना स्थान है और वह अपने सौरभ से देश को कृत्यकृत्य करता रहता है ।

अब मैं विज्ञान, विज्ञान कार्य से सम्बन्धित संस्थायें तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के कार्य की ओर आता हूं । इस दिशा में गत चार वर्षों में बहुत गौरव पूर्ण प्रगति हुई है और सफलतायें प्राप्त हुई हैं । ३५ वर्ष से भी कम आयु के युवक वैज्ञानिक बन कर निकल रहे हैं । ४ समर स्कूल खोले गये हैं, जो

†मूल अंग्रेजी में

कि अपने अपने विषय का विकास कर रहे हैं। आशा है शीघ्र ही और भी समर स्कूल स्थापित होंगे। हम यह भी करते हैं कि अन्य देशों के वैज्ञानिकों को अपनी संस्थाओं को देखने के लिये निमन्त्रित करते हैं ताकि हमारे वैज्ञानिक इससे समुचित रूप से उनकी प्रगति से शिक्षा ग्रहण कर सके। इसी प्रकार भारतीय सर्वेक्षण विभाग को और सुदृढ़ किया गया है। अब सीमान्त के समस्त सर्वेक्षण तथा सीमांकन कार्यों पर एक से अधिक संस्था का नियन्त्रण है : मेरा निवेदन है कि सर्वेक्षण को सैनिक अथवा असैनिक भागों में बंटना बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसे प्रतिक्रियावादी कदम कहा जा सकता है।

वनस्पतिक सर्वेक्षण का भी पुनर्गठन किया जा रहा है। मैं यह पुनः कहने का साहस कर रहा हूं कि जिस मामले में हम १०० वर्ष से सफल नहीं हुये थे उसमें हम गत वर्ष सफल हो गये हैं। हमने प्रोफेसर महेश्वरी की अध्यक्षता में काम कर रही उच्च स्तरीय समिति का परामर्श लिया है। प्रो० महेश्वरी के परामर्श पर शिवपुरी वनस्पति बाग को प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय जड़ी बूटी, राष्ट्रीय बनस्पतिक बाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रधान कार्यालयों को उस बाग के निकट ही रखा जायेगा। और उसमें की चीजों को पूरा संरक्षण दिया जायेगा। शिवपुर बनस्पतिक बाग की गणना संसार भर के बढ़िया बागों में है। कई एक ऐसी चीजें यहां हैं जो कि संसार में और कहीं नहीं मिलती। मैं यह भी सभा को बता देना चाहता हूं कि जीव विज्ञान सर्वेक्षण के लिये एक "फायर प्रूफ" इमारत का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण ३० वर्षों के प्रयत्न के बाद आरम्भ किया गया है।

मैंने अभी यह अपील की थी कि भाषाओं की परस्पर प्रतिदंद्विता नहीं होनी चाहिये हमें हर बात को भारत की एकता को दृष्टि में रख कर करना चाहिए। देश का प्रत्येक अंग हमारा अंग है और हमें सब अंगों के लिये प्यार और लगाव होना चाहिए।

मैंने प्रत्येक भाषा के विज्ञान सम्बन्धी लोकप्रिय साहित्य की आवश्यकता का भी उल्लेख किया था। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हम जब तक जनता में वैज्ञानिक भावना का प्रसार नहीं करते, तब तक वैज्ञानिक प्रगति सम्भव नहीं होगी। हमने इस दिशा में कार्य प्रारम्भ किया है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में इस तरह का साहित्य तैयार हुआ है ? 'वंडरलैंड आफ साइंस' आठ भाषाओं में प्रकाशित की जा चुकी है, तथा अन्य भाषाओं में भी की जायेगी। हम प्रयत्न करेंगे कि विज्ञान की अधिक से अधिक पुस्तकें लोकप्रिय रूप में उपलब्ध कराई जायें। लेकिन कठिनाई है लेखकों के मिलने में हम यथासम्भव इनका अनुवाद करवा रहे हैं किन्तु अनुवाद हमेशा उपयुक्त नहीं होता। प्रमापी पुस्तकों का अनुवाद तो किया जा सकता है, किन्तु लोकप्रिय पुस्तकें जिनमें स्थानीय निर्देश है, उनका अनुवाद करना बड़ा कठिन है।

दूसरा प्रश्न विज्ञान मन्दिरों की स्थापना है। १९५३ और १९५८ के बीच १८ विज्ञान मन्दिर स्थापित किये गये; १९५८ और १९६२ के बीच २३ मन्दिर और स्थापित किये गये हैं। किन्तु इस कार्य में स्थानीय उत्साह का अभाव है। यह ठीक नहीं है कि हर काम दिल्ली से ही किया जाये। मैंने विभिन्न राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से कहा है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक विज्ञान मन्दिर हो। इनके लिये हम सहायता देने के लिये तैयार हैं।

†**डा० म० श्री अणे** (नागपुर) : विज्ञान मन्दिर क्या कर रहे हैं ?

†**श्री हूमायूं कबिर** : यह एक छोटा विज्ञान संग्रहालय है। इस में एक विज्ञान पुस्तकालय और एक विज्ञान क्लब भी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें विज्ञान सम्बन्धी फिल्में दिखाई जाती हैं। बीमारियों को दूर करने के उपाय बताये जाते हैं ? यह मिट्टी का विश्लेषण भी करते हैं और इस प्रकार किसानों की सहायता करते हैं। उनमें साधारण चिकित्सा सम्बन्धी कार्य भी होता है किन्तु हम इसको

†मूल अंग्रेजी में

प्रोत्साहन नहीं देते क्योंकि इन संग्रहालयों को ऐसी शक्तियां देना उचित नहीं समझते। राष्ट्रीय एकीकरण और उत्तर तथा दक्षिण भारत में विचार विनिमय का प्रश्न भी उठाये गये हैं। इसके बारे में मैंने कहा है कि उत्तर और दक्षिण में नहीं भारत के सब भागों में इस प्रकार के विनिमय होते रहने चाहियें। साहित्य अकादमी द्वारा दिये जाने वाले पुरस्कारों के लिये 'हास्यास्पद' शब्द का प्रयोग किया गया है। अकादमी सम्बन्धित भाषा के प्रसिद्ध लेखकों और लेखकों के परामर्श करने के बाद ही निर्णय करती है। इसमें हास्यास्पद जैसी कोई बात नहीं। एक पुस्तक के बारे में कहा गया कि उस पर राज्य को अकादमी से तो पुरस्कार दिया गया किन्तु बादमें पुरस्कार नहीं दिया गया है इसलिये साहित्य अकादमी का निर्णय गलत था। प्रमाप भिन्न-भिन्न होते हैं और साहित्य के क्षेत्र में सर्वसम्मत होना कठिन है। मतभेद होना स्वाभाविक है। हम १२ या १५ और कभी कभी २० व्यक्तियों का निर्णय ले लेते हैं जो विद्वान और निष्पक्ष होते हैं। यदि किसी वर्ष किसी भाषा की पुस्तक को पुरस्कार नहीं मिलता तो वस्तुतः यह खेद का विषय है किन्तु हम अपना स्तर नीचा नहीं करते। एक सदस्य ने बताया कि पुस्तकें लिखना लाभप्रद नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यह बात नहीं है। यदि यह काम लाभप्रद होता तो मैं और मेरे अनेक मित्र किन्हीं दूसरे धन्धों में नहीं आते। माननीय सदस्य ने हिमालय आरोहण के लिये अनुदान देने का भी विरोध किया है। उन की राय में लेखकों को रुपया दिया जाना अधिक आवश्यक है। इन दोनों में प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम दोनों की ही सहायता करना चाहते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला दल आगे बढ़ रहा है और सम्भव है कि शीघ्र ही हमें उन्हें बधाई देने का अवसर मिलेगा। माननीय सदस्य साहित्यिक और कल्पना प्रधान होते हुए भी पता नहीं हिमालय आरोहण के विरुद्ध क्यों हैं।

सर्कस कला की भी चर्चा की गई है। एक सदस्य का विचार है कि इसका एक केन्द्र तेलीचेरी में होना चाहिये। पता नहीं उस स्थान में क्या विशेषता है। मैं इस विषय में कोई वचन नहीं दे सकता। लेकिन मैं एक दिलचस्प खबर बता दूं कि कि हम रूस में एक सर्कस दल भेज रहे हैं और वहां से भी एक सर्कस यहां आ रहा है। वहां का एक प्रशिक्षक भी हमारे यहां के तरीके सीखने और वहां के सिखाने के लिये आयेगा। कुछ सर्कस दल पश्चिमी एशियाई देशों में भेजने का भी विचार है। भारत में अनेक विशेषताएं हैं और हमें इन सब की महिमा विश्व को बतानी चाहिये। हम एक जादूगर भी विदेशों में भेज रहे हैं। यह जादूगर श्री पी०सी० सरकार हैं जिनकी एक्स-रे आंखें हैं। मुझे आशा है कि वे अपनी आंखों से केवल रूस की नहीं बल्कि विश्व की बहुत सी चीजें देखेंगे।

श्री प्र० के० देव ने तिब्बती ज्ञान की ओर निर्देश किया है। गंगटोक में नमग्याल संस्था स्थापित कर दी गई है, जो जो पिछले ४ सालों से चल रही है। लेह में बौद्ध ज्ञान का एक स्कूल भी है। इसके अतिरिक्त हम कुछ बूढ़े लामाओं को विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में भी नियुक्त कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी ने संगीत सम्मेलन की ओर निर्देश किया है। मैंने देखा है कि उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता। उन्हें मालूम था कि संगीत सम्मेलन ने अनुदान के लिए आवेदन पत्र दिया था, किन्तु उन्हें यह मालूम नहीं कि उसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा अभिज्ञात होने के लिए कहा गया था। यह प्रार्थना जून, १९६१ में की गई थी, किन्तु संगीत सम्मेलन ने उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा। चूंकि कोई औपचारिक आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिये, उस की प्रार्थना पर विचार नहीं हो सका।

मैं ने श्री प्रकाशवीर शास्त्री के प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि सांस्कृतिक कार्य में केवल संगीत और नृत्य आते हैं और मैं इन के सम्बन्ध में आंकड़े दे चुका हूं।

श्री प्रकाशवीर ने यह भी पूछा है कि साहित्य अकादिमी को, ललित कला अकादिमी या संगीत नाटक अकादमी से अधिक रुपया क्यों दिया गया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि यदि नृत्य को इसमें से निकाल दिया जाये, तो देश की क्या हानि हो जायेगी, उस से देश का क्या लाभ हो रहा है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** यदि वह उस अकादमी में जाना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं । वे संभवतः ड्रामा अकादमी में दाखिल हो सकते हैं आधुनिक भारतीय भाषाओं के बारे में माननीय सदस्य ने सांझी लिपि का उल्लेख किया है । इस की चर्चा राष्ट्रीय विकास परिषद् और राष्ट्रीय एकता परिषद् में की गई थी । फिर भी सभी मुख्य मंत्रियों का खयाल था कि इस मामले में धीरे धीरे चलना चाहिये । साहित्य अकादिमी ने अन्य भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि में तैयार कर के काम शुरू किया है । किन्तु यदि हिन्दी की पुस्तकें स्थानीय भाषाओं की लिपि में छापी जायें, तो इससे हिन्दी अधिक लोकप्रिय बनेगी ।

मैं अपने अनुभव की बात करता हूं । मैंने संस्कृत कभी अच्छी तरह नहीं पढ़ी । किन्तु पश्चिमी बंगाल में संस्कृत बंगाली लिपि में लिखी जाती है और मैंने इस लिपि को पढ़ते हुए बहुत सी संस्कृत समझ ली है ; अतः यदि हिन्दी अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियों में लिखी जाये, तो इस का प्रचार बढ़ेगा ।

श्री निराला और श्री राहुल सांकृत्यायन की पेंशनों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि श्री निराला को पेंशन दी गई थी, किन्तु कुछ समय बाद यह वापस कर दी गई थी, इस कारण कि अब उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है । इन की पेन्शन की राशि २०० रुपये थी । इतनी ही रकम उन्हें राज्य सरकार देती थी । श्री सांकृत्यायन के बारे में, ज्यूंही हम ने सुना कि वह बीमार हैं और वेल्लोर जाना चाहते हैं, तो अनुदान के रूप में ३८०० रुपये दे दिये गये । इस के बाद हमें कुछ मालूम नहीं हुआ । किन्तु वेल्लोर के बदले दार्जिलिंग चले गये हैं, जो एक बहुत अच्छा स्थान है ।

†**डा० रानेन सेन** (कलकत्ता पूर्व) : क्या नज़रूल इजस्लाम के लिए कुछ किया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** उनकी साहित्यिक पेन्शन काफी समय से जारी है और उन्हें या उन के परिवार को कोई शिकायत नहीं है ।

†**डा० रानेन सेन :** उन्हें बहुत कम रकम दी जा रही है ?

†**श्री हुमायूंन कबिर** : हमारे पास धन सीमित होता है और लेने वाले आदमी अधिक है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का उल्लेख किया है और कहा है कि विभिन्न राज्यों से एक प्रतिनिधियों का बोर्ड होना चाहिये । मैं नहीं जानता राज्यों का दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाये ।

कुछ प्रख्यात इतिहासकारों को डा० तारा चन्द के साथ सम्बद्ध करने के प्रश्न पर मैं विचार कर रहा हूं । ऐसा करने से बहुत सी आपत्तियां दूर हो जायेंगी ।

श्री कृ० च० शर्मा ने संस्कृति के मामले में तटस्थता के बारे में कहा था । मैं उन से सहमत हूं । हम तटस्थ हैं और तटस्थ नहीं भी हैं । हम संकीर्णता के विरुद्ध और विश्व के गहरे सत्यों के साथ हैं और यह ऐसा ही रहेगा । उन्होंने कहा है कि भारतीय नीतिशास्त्र पर कोई पुस्तकें नहीं हैं । उन्हें शायद मालूम नहीं कि भारतीय नीतिशास्त्र पर कई अच्छी किताबें हैं, जो न केवल इस देश में बल्कि बाहर भी प्रसिद्ध हैं । मैं एक उदाहरण देता हूं । एस० के० मित्रा की हिन्दी "एथिक्स" ३० वर्ष पूर्व

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हुमायून् कबिर]

प्रकाशित की गई थी, किन्तु यह आज भी प्रमाणिक है। नीतिशास्त्र भारतीय दर्शनशास्त्र का अटूट भाग है। यदि और किताबें लिखी जायें, और यदि माननीय सदस्य अपने नये दृष्टिकोण को ले कर स्वयं आगे आयें, तो मुझे बहुत हर्ष होगा।

विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचार के बारे में मैं उन से सहमत हूं कि अनुवाद का एक स्कूल आवश्यक है। हम साहित्य अकादिमी बनाना राष्ट्रीय पुस्तक प्रन्यास और मंत्रालय में अनुवादक ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु अनुवादकों की बहुत कमी है और यह समझ नहीं आता कि इस कमी को कसे पूरा किया जाये।

श्री शिवमूर्ति स्वामी के प्रश्नों के बारे में हमें करनाटक संगीत की समृद्धि और परम्पराओं का पूरा ज्ञान है और इसे बनाये रखा जायेगा।

श्री रामेश्वरानन्द : उन का भाषण तो हिन्दी में था। माननीय मंत्री हिन्दी नहीं समझते। वह कैसे उस को समझ गये ?

†**श्री हुमायून कबिर :** श्री हेम बरुआ के इस कथन से मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि भारत हमें ब्रिटेन से विरासत में मिला है। यह सत्य है कि कुछ समय के लिये अंग्रेजों का भारत पर कब्जा था किन्तु इस का अर्थ यह नहीं कि हमें भारत ब्रिटन से विरासत में मिला है। भारत हमारा रहा है और हमारा रहेगा।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं उन से सहमत हूं किन्तु यह 'स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास' के शब्द हैं।

†**श्री हुमायूंन कबिर :** यह पुस्तक मैं ने नहीं लिखी और ये मेरे शब्द नहीं हो सकते।

उन्हों ने आगे कहा था कि हमें अकादिमियों को अधिक आज़ादी देनी चाहिये और साथ ही उन के वित्त पर अधिक निगरानी रखनी चाहिये। हम यह कैसे कर सकते हैं ? यदि हम उन्हें पूरी आज़ादी दे दें, तो निगरानी कैसे रख सकते हैं ? दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकतीं। हम संतुलन रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें यथासंभव स्वायत्तता देते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि सरकारी रुपया अच्छी तरह से खर्च हो।

अब मैं प्रविधिक शिक्षा के बारे में श्री क० ला० राव के प्रश्नों का उत्तर देता हूं। माननीय सदस्य जानते हैं कि जो उन्हों ने कहा, वह पहले ही किया जा रहा है। प्रविधिक शिक्षा के लिये अखिल-भारतीय परिषद् ने सिफारिश की है कि प्रथम श्रेणी के विज्ञान स्नातकों के लिये तीन साल का छोटा इजीनियरिंग कोर्स होगा जिस में विज्ञान के मौलिक सिद्धान्तों पर बल होगा और व्यपारिक पहलू पर नहीं। इस का ब्योरा एक विशेषज्ञ समिति तैयार कर रही है।

हम चाहते हैं कि भारत में प्रविधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति तथा इंजीनियरों की संख्या भी बढ़े और साथ साथ ऐसी शिक्षा का स्तर भी ऊंचा रहे।

† **डा० मा० श्री अणे** : आप बहुत सी प्रविधिक संस्थायें खोल रहे हैं। क्या शिक्षा का स्तर नहीं गिर जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि स्तर न गिरे। इस के लिये कुछ पग उठाये गये हैं। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि पिछले दो या तीन वर्षों से हम ने इंजीनियरिंग

†मूल अंग्रेजी में

अध्यापकों के प्रशिक्षण की विशेष योजना चालू की है। जवान योग्य स्नातकों और एम० एस० सी० की डिग्री वालों को खड़गपुर या बंगलोर में दो तीन साल प्रशिक्षण दिया जाता है और पास करने के बाद उन्हें शीघ्र ही ऊंचा वेतन क्रम दे दिया जाता है और शिक्षा के स्तर को अच्छा करने के लिये उन्हें इंजीनियरिंग कालेजों में नियुक्त किया जाता है। इसी तरह से हम बहुत से नवयुवक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विशेष विदेश भेजते हैं। इस तरह से शिक्षकों के स्तर को ऊंचा करने की कोशिश की जा रही है।

हम ने प्रविधिक संस्थाओं में शिक्षकों के वेतनक्रम को अच्छा बनाने के लिये कदम उठाये हैं। जो क्रम अब हम ने दिया है वह आई० एफ० एस० और आई० ए० एस० के वेतन क्रमों के मुकाबले में बुरे नहीं हैं। अन्तर केवल इतना है कि प्रशासनीय सेवाओं में यदि कोई नवयुवक आता है, तो वह अवश्य १८०० रुपये तक पहुंचेगा और उसकी राह में कोई रुकावट नहीं होती। प्रविधिक स्नातकों के मामले में रुकावटें होती हैं। प्रशिक्षित स्नातक ४१० रुपये से शुरू करता है जबकि आई० ए० एस० में शुरू ४०० रुपये से होता है। फिर वह ८५० रुपये तक जा सकता है। इस के अतिरिक्त अन्य क्रम इस प्रकार हैं : ६००—११५०, १०००—१५००, १६००, १८००—२०००, २०००—२५०० और कुछ विशेष मामलों में ३००० रुपये का क्रम भी है। हमने ये क्रम बनाये हैं यद्यपि ये निरन्तर चलने वाले नहीं हैं। यह बात विचार करने योग्य है कि एक ही क्रम निरन्तर जारी रहे या हम कुछ अवस्थाओं पर चुनाव करें, ताकि योग्य व्यक्ति अधिक जल्दी उन्नति कर सकें।

उसके सम्बन्ध में डा० राव ने यह भी कहा था कि नमूने तैयार करने और अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। मैंने आंकड़े पेश किये हैं कि उन को प्रोत्साहित करने के के लिये कितना कुछ हम कर रहे हैं। और चार प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थाओं का काम बढ़ने पर नमूने तैयार करने के कुछ और विशेष पाठ्यक्रम भी चालू किये जायेंगे।

डा० मेलकोटे ने यह शंका प्रकट की थी कि संख्या में इतनी वृद्धि होने पर भी वह वृद्धि पर्याप्त है या नहीं। उन्होंने यह भी सुझाव रखा है कि समय-सारिणी कुछ इस तरह तैयार की जाये कि एक ही प्रतिष्ठान कहीं अधिक प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित कर सके। उन को शायद याद होगा कि १९५५-५६ में प्रविधिक संस्थाओं के विस्तार की जो विशेष योजना स्वीकृत हुई थी उस के अन्तर्गत आंशिक रूप से यही किया जा रहा है। १७ प्रतिष्ठानों में उन की प्रयोगशालाओं और वर्कशालाओं की क्षमता में थोड़ा बहुत- सुधार करके उन की क्षमता लगभग दो गुनी बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन उस की भी एक सीमा तो होती है।

डा० मेलकोटे ने कहा कि एक विरोधाभास है यह कि एक ओर तो इंजीनियरों का अभाव है और दूसरी ओर इजीनियरों को काम मिलने में काफी समय लग जाता है। यदि हम विश्लेषण करे तो देखेंगे कि काम मिलने में केवल कुछ महीने ही लगते हैं। इंजीनियरिंग पास करने वाला कोई भी ग्रेजुएट छः महीने से ज्यादा बेरोजगार नहीं रह पाता। उनकी शिकायत दूसरी है कि उनको अपनी अर्हताओं के मुताबिक काम नहीं मिल पाता। इसमें कुछ सार भी है। क्षमता से काम मिलने की बात सही है। हम उसे धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डा० मेलकोटे और डा० राव ने कहा है कि बहुत से इंजीनियर शिक्षा-संस्थाओं में इस उद्देश्य से आते हैं कि कोई और अच्छा काम तलाश कर सकें। शिक्षा संस्थाओं के लिये यह अच्छा नहीं है। इसीलिये हम उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि देश या विदेशों में इजीनियरी पास करने वाले मेधावी इंजीनियर ग्रेजुएटों को कुछ समय मिल जाये जिससे वह अपने लिये, अपने उपयुक्त काम तलाश कर सकें।

[श्री हुमायुन् कबिर]

दो तीन और भी योजनायें हैं। छात्रवृत्ति की योजना के अलावा, एक योजना यह भी है कि विदेशों के प्रशिक्षण को शिक्षा संस्थाओं के साथ सम्बन्धित किया जाये, जिससे कि शिक्षा संस्थाओं को अच्छे अध्यापकों की कमी न पड़े। मैं डा० मेलकोटे और डा० राव की इस बात से कतई सहमत हूं कि शिक्षा का स्तर गिरने नहीं देना चाहिये, अन्यथा बाद में उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रणीत प्रशिक्षण योजना का भी उल्लेख किया गया था। वह योजना प्रतिरक्षा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये शुरू की गई थी। मूल प्रस्ताव के अनुसार उसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय के १,००० कर्मचारियों के अतिरिक्त ७५ या ८० कर्मचारी ही बाहर के लिये गये थे। अब उन्होंने एक गैर-सरकारी संस्था चालू कर दी है, जो केन्द्रीय संस्था के नियंत्रण में रहते हुए, शिक्षा-संस्थायें चला सकती है। उसमें हमने पूरी सावधानी रखी है कि शिक्षा का स्तर न गिर पाये। एक तो यह कि गैर-प्रतिरक्षा कर्मचारियों को पहले अनुमति लेनी पड़ेगी और दूसरी यह कि उनको भारतीय इंजीनियर संस्था के सदस्य बन जाना चाहिये। भारतीय इंजीनियर संस्था का सदस्य बनने के लिये जरूरी है कि वह व्यक्ति उद्योग से सम्बन्धित हो और उसकी कुछ व्यवसायिक अर्हतायें भी हों। परिक्षाओं का आयोजन इंजीनियर संस्था ही करेगी। इसलिये शिक्षा का स्तर गिरने न पायेगा। प्रतिरक्षा मंत्रालय यदि अपनी शिक्षा क्षमता और अपने उपकरण का इसके लिये कुछ उपयोग करता है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा है कि १७ इंजीनियरिंग कालेज देश भर के लिये कुछ कम हैं। समय आने पर हम इसका लेखा-जोखा करेंगे। हम नहीं चाहते कि इंजीनियरों की संख्या भी, आर्ट्स के ग्रेजुएट की तरह इतनी बढ़े कि उनको काम देना कठिन हो जाये। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में यह हालत पैदा नहीं होने देनी चाहिये।

मेरे माननीय मित्र, श्री बनर्जी ने कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकीय प्रतिष्ठान का उल्लेख किया है। उनकी जानकारी पर्याप्त नहीं है। यह सही है कि कानपुर के कुछ लोग उस प्रतिष्ठान का नामकरण एक बड़े कवि के नाम पर करना चाहते थे। लेकिन यह भी सही है कि उत्तर प्रदेश के कुछ दूसरे लोग उसका नाम उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता और उत्तर प्रदेश सरकार किसी दूसरे बड़े नेता के नाम पर रखना चाहते थे। पर हमने यह निर्णय बना लिया कि इन प्रौद्योगिकीय प्रतिष्ठानों का नाम किसी बड़े आदमी के नाम पर नहीं रखा जायेगा। संसद् ने इस नियम का अनुमोदन कर दिया है। इसलिये अब किसी संसद् सदस्य को उस निर्णय को बदलने के लिये नहीं कहना चाहिये। हमने चारों प्रौद्योगिकीय प्रतिष्ठानों को उनके शहर के नाम के साथ जोड़ा है। हमें इन प्रतिष्ठानों में से बम्बई के प्रतिष्ठान के लिये सोवियत सघ, मद्रास के प्रतिष्ठान के लिये जर्मनी और कानपुर के प्रदिष्ठिान के लिये अमरीका से सहायता मिली है। इसलिये भारत के किसी अन्य क्षेत्र से उनको सहायता मिलने का जो प्रश्न श्री बनर्जी ने उठाया है वह असंगत है।

मेरे माननीय मित्र ने पालघाट के इंजीनियरिंग कालेज का भी उल्लेख किया था। इसके बारे में भी उनको पूरी जानकरी नहीं है। उनको यह नहीं मालूम कि गत वर्ष उसके लिये लगभग तीन लाख रुपये का उपकरण खरीदा गया था। पता नहीं उनको यह सूचना किसने दी कि केवल ब्लेक बोर्ड खरीदे गये थे। साथ ही उनको यह भी मालूम होना चाहिये कि चालू वर्ष में उसके लिये लगभग ८.५ लाख रुपये के उपकरण खरीदे जाने हैं।

मुझे मालूम है कि पालघाट इंजीनियरिंग कालेज के बारे में एक कुछ गुटबन्दी सी है। माननीय सदस्य जिस दल के हैं, उसकी भी एक अलग राय उसके बारे में है। हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। हमने तो वही किया केरल सरकार ने जिसकी सिफारिश की थी। केरल की पहली सरकार ने जो सिफारिश की थी, हमने उसे स्वीकार कर लिया था। और केरल की दूसरी सरकार ने उसे बदल कर जब दूसरी सिफारिश की, तो उसे भी हमने स्वीकार कर लिया। इसलिये कि तब तक कालिज शुरू नहीं हो पाया था। प्रारम्भिक अवस्था न होती, तो दूसरी सरकार की बदली हुई सिफारिश स्वीकार न की जा सकती। इसलिये अब उसमें दलगत भावनाओं को नहीं घसीटना चाहिये। पूरी सभा चाहेगी कि कालेज अधिक से अधिक समृद्ध बनता चले। मुझे इसका विश्वास है।

श्री हेम बरुआ ने कहा है कि प्रविधिक शिक्षा के कारण लोगों की जिज्ञासा बढ़नी चाहिये। इससे किसे इन्कार होगा ?

विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में केरल का उल्लेख कई बार किया गया है। माननीय मित्र को मालूम होगा कि केरल में वनिस्पतीय सर्वेक्षण के लिये ११ दौरे किये जा चुके हैं और ३२३० जातियों के लगभग २४,३०० नमूने इकट्ठे किये जा चुके हैं। केरल में सोवियत की सहायता से औषधीय जड़ी-बूटियों में अनुसंधान और रासायनिक दवायें तैयार करने का एक बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया जाने वाला है। केरल में हमने कई पौधों पर काम शुरू कर भी दिया है।

श्री प्र० के० देव ने सिबपुर उद्यान का उल्लेख किया था, और यह भी कि वहां से क्यू उद्यान को क्या भेजा गया था। गत वर्ष इसके बारे में पड़ताल की गई थी। माननीय सदस्य को शायद यह नहीं मालूम कि मूल नहीं, बल्कि उसके नमूने भेजे गये थे। इसलिये उनको वापस भगाने की कोई जरूरत भी नहीं रह जाती। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के पशु-पौधों से देशों के संग्रहालय लाभ उठा सकें। हम विदेशों को ऐसे मूल पशु-पौधे नहीं भेजेंगे जिनके कोई भी नमूने हमारे यहां न रह जायें।

उन्होंने कोहिनूर हीरे के सम्बन्ध में भी कहा था। वह कोई इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है कि आज हम उसके बारे में चिन्तित रहें। यदि माननीय सदस्य स्वयं पता लगाना चाहें, तो हम गैर-सरकारी तौर पर उसका समर्थन करेंगे। हमारे सामने अभी और भी कई महत्वपूर्ण समस्यायें पड़ी हैं।

'एलगे' (पौधा) के बारे में भावनगर की राष्ट्रीय प्रयोगशाला और भण्डपम् की अनुसंधान संस्था कार्य कर रही है।

'भारत का सर्वेक्षण' के बारे में, श्री प्र० के० देव को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 'फोटो-ग्रामैटिक' संयंत्र की स्थापना का आयोजन चल रहा है। वह १८० टन क्षमता वाला वातानुकूलन संयंत्र है। उसे विदेशों से मंगाना पड़ा है। विदेशी मुद्रा की समस्या के कारण उसे अभी तक मंगाना संभव नहीं हो पाया था।

मुझे पूछना पड़ेगा कि उसका निर्माण पूरा होने में कितना समय लग जायेगा, पर हां, निर्माण-कार्य शुरू हो चुका है। अब चूंकि विदेशी मुद्रा की मंजूरी मिल चुकी है, इसलिये उसमें कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी।

उन्होंने यह भी शिकायत की थी कि मानचित्र ठीक समय पर प्रकाशित नहीं होते। यह सही नहीं है। किसी भी महत्वपूर्ण मानचित्र के प्रकाशन में ऐसा विलम्ब नहीं होता। होता यह है कि

[श्री हुमायून् कबिर]

कभी कभी राज्य सरकारें या कुछ परियोजना अधिकारी ऐसे साधारण से मानचित्रों की मांग करते हैं, जिनको 'भारत का सर्वेक्षण' जैसी संस्था तैयार नहीं करती। वैसे मानचित्र तो राज्य सरकारों या परियोजनाओं से सम्बन्धित इंजीनियरों को ही तैयार करना चाहिये। लेकिन फिर भी, पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर, हमने इस काम पर कुछ और भी व्यक्ति लगा दिये हैं।

'राष्ट्रीय एटलस' का कार्य सम्पन्न न होने की उनकी बात समझ में नहीं आई। मेरा ख्याल है कि अभी कुछ ही दिन पहले तो हमने सभा में घोषणा की थी कि राष्ट्रीय एटलस का हिन्दी सर्वेक्षण भी प्रकाशित हो चुका है। उस पर हमें विदेशों से बधाइयां भी मिली थीं कि इतने कम समय में हिन्दी संस्करण तैयार हो गया है। अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशित के लिये १९६६ तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। १९६६ तक २०० मानचित्र प्रकाशित हो जायेंगे। १३ मानचित्र तो प्रकाशित हो ही चुके हैं--- जिसमें से १० जनसंख्या, २ भौतिक बनावट और १ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में है। ८ को प्रकाशन का आर्डर दे दिया गया है और ३१ प्रेस में है। इस प्रकार तृतीय योजना के इन डेढ़ वर्षों में हमने १३ मानचित्र प्रकाशित कर चुके हैं और ४० पूरे होने जा रहे हैं। काम समय पर पूरा हो जायेगा। कठिनाई असल में मुद्रण की है। उसके लिये कुछ ऐसी मशीनें विदेशों से मंगानी हैं जिनके लिये विदेशी मुद्रा दरकार है। आशा है सभा विदेशी मुद्रा की हमारी मांग का समर्थन करेगी। यहां सवाल प्राथमिकता का है।

श्री बनर्जी ने 'सर्वेक्षण' के तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों के वेतन क्रमों के अन्तर का उल्लेख किया था। बात एक सीमा तक ही है। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि वेतन आयोग के सामने ऐसा कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। मंत्रालय को यह प्रश्न स्वयं ही उठाना पड़ा था। उस पर अभी वार्तालाप चल रहा है। माननीय सदस्य ने स्वयं माना है कि कुछ श्रेणियों में थोड़ा सुधार तो हुआ है। आशा है कि अगले आय-व्ययक में मैं और भी ऐसी कई अनियमितताओं दूर करने में सफल हो सकूंगा।

बड़ी ऊंचाइयों पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की काम की परिस्थितियों में सुधार किया जा चुका है। श्री बनर्जी ने एकीकृत वेतन का तो उल्लेख किया पर यह नहीं बतलाया कि वह केवल प्रशिक्षण-काल के लिये है। प्रशिक्षण काल में एकीकृत वेतन देने का एक बड़ा लाभ यह होता है कि सभी प्रशिक्षार्थी कम से कम अवधि में अपना प्रशिक्षण पूरा करने की कोशिश करते हैं। इससे उनमें शिथिलता नहीं आने पाती।

पदोन्नतियों के बारे में, मेरा ख्याल है कि काम और अधिकारियों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ उसकी संभावनायें अभी भी बढ़ गई हैं और आगे और भी बढ़ने वाली हैं।

श्री बनर्जी ने मौसिमी आधार पर कुछ समय के लिये जुटाये जाने वाले काम का उल्लेख किया है। समझ में नहीं आता कि इस का क्या उत्तर दूं। एक ओर तो वह प्रशासन संबंधी व्यय घटाने की बातें करते हैं और दूसरी ओर वेतन-वृद्धि के लिये कहते हैं। इतना ही नहीं, वह चाहते हैं जो काम न करें उन को भी पूरे वेतन दिये जायें। हिमालय जैसे प्रदेश में एक मौसिम–जुलाई से सितम्बर तक ही काम हो सकता है तो क्या वहां काम करने वालों को पूरे वर्ष का वेतन दें और साथ ही प्रशासिनिक व्यय में कटौती भी करें ? ऐसा तो कोई भी नुस्खा किसी के पास नहीं मिल सकता।

माननीय सदस्य को यथार्थ परिस्थिति को देख कर ही अपने विचार बनाने चाहियें। हम उनको प्रतिधारण-भत्ता देते रहते हैं और तीन वर्ष बाद स्थान रिक्त होते ही उन को नियमित रूप से

रख लिया जाता है। कम से कम इस मामले में तो 'भारत का सर्वेक्षण' के कर्मचारी लोक निर्माण विभाग या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों से अच्छे हैं।

माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि 'सर्वेक्षण' के कर्मचारियों को कौन से लाभ हैं। उचित तो यही था कि उन का भी उल्लेख किया जाता।

श्री पोहाक्कट ने कहा है कि छात्रवृत्तियां भी रिश्तेदारों को दी जाती हैं पता नहीं किनके रिश्तेदारों को। छात्रवृत्तियां तो विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर दी जाती हैं। उन में मंत्रालयों के भी एक दो प्रतिनिधि रहते हैं। शेष सभी सदस्य माने जाने वैज्ञानिक या शिक्षाविद् होते हैं। और जिस देश में प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्ति दी जाती हैं, उस देश का भी एक प्रतिनिधि सम्बन्धित समिति रहता है। हम ने अभी तक चुनाव समितियों द्वारा की गई एक भी सिफारिश में कोई रद्दोबदल नहीं की है। । और इसपर मुझे गर्व है। इसका एक प्रमाण यह भी कि वर्षों से ये छात्रवृत्तियां दी जा रहीं हैं, पर अभी तक ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई। केवल माननीय सदस्य ने एक अस्पष्ट ढंग से ऐसा आरोप पहली बार लगाया है। इस में कोई सार नहीं। उम्मीदवारों की सूचना प्रत्येक राज्य में प्रकाशित कर दी जाती हैं।

माननीय सदस्य ने 'इंडिया आफिस लाइब्रेरी' के बारे में बड़ी आसानी से सुझाव रख दिया है कि भारत के पास मूल प्रतियां और पाकिस्तान के पास उस की प्रतियां रहें। अर्थात् ब्रिटिश सरकार का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं। वह भूल जाते हैं कि इस मामले में तीन पक्ष हैं : भारत, पाकिस्तान और ब्रिटिश सरकार। माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि १९५९ तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं की जा सकी थी। १९५५ में हम ने कोशिश की थी, पर वह निष्फल रही। १९५९ में ही हम पाकिस्तान को 'लाइब्रेरी' के लिये संयुक्त रूप से भाग करने के लिये सहमत कर पाये। माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि 'इंडिया आफिस लाइब्रेरी' अविभाजित भारत की सम्पत्ति थी। इसलिये भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों का उस पर समान अधिकार है। तो, हमारा हिस्सा पाकिस्तान से बड़ा होना चाहिये। लेकन संसद् ने गत वर्ष मेरा सुझाव मान लिया था कि हमें इंडिया आफिस लाइब्रेरी के मामले में पाकिस्तान के साथ उदारता बरतनी चाहिये। ऐसे मामलों में उदारता की नीति ही सर्वोत्तम होती है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप किताबों का बंटवारा कैसे कर सकते हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जब तक कि पाकिस्तान के साथ कोई समझौता न हो, भारत को कुछ नहीं मिलेगा। काफी बातचीत के बाद एक समझौता हुआ और एक संयुक्त मांग पेश की गई। कुछ कार्यवाही की गयी है जिसे मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन यह जाहिर है कि जब तक कि तीनों सरकारों में कोई समझौता न हो तब तक य सवाल हल नहीं हो सकता। हम उस के तरीके ढूंढ़ रहे हैं। वह कई दूसरे सवालों के साथ, जैसे इस देश में उपस्थित वातावरण और दोनों देशों के बीच के संबंध आदि के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि पड़ौसी देशों के साथ, खास कर उस देश से जो अभी हाल तक हमारे देश का एक अंग था, हमारी मैत्री बनी रही। इसलिये अपने माननीय मित्र से मेरी प्रार्थना है कि वे थोड़ा धैर्य रखें। बातचीत काफी समय से चल रही है। और यदि हम पाकिस्तान तथा ब्रिटिश सरकारों में सहयोग और सहिष्णुता की भावना पैदा कर सकें। तो हमें आशा है कि हम पुस्तकालय को यहां वापिस ला सकेंगे। लेकिन मैं उस के बारे में कोई तारीख नहीं बता सकता।

---

†नूल अंग्रेजी में

[श्री हुमायून् कबिर]

अन्त में मैं यह कहूंगा कि अपने इस विशाल देश में हम ने ऐसी समस्यायें सुलझायी हैं जो दूसरे देशों में असाध्य सिद्ध हुई हैं। भिन्न भिन्न लोगों के बीच समय समय पर मतभद और झगड़े हुए लेकिन भारत का जीवन प्रवा ; अविरल गति से बहता रहता है और वह प्रवाह शांतिपूर्ण है। अनेक समस्यायें और संस्कृतियां नष्ट हो गयी लेकिन भारत में संस्कृति का प्रवाह निरन्तर गतिशील है जिस का जोड़ दुनिया में और नहीं है। भारत जीवित रहा है और जीवित रहेगा और दुनिया को जीवित रहने का रास्ता बतायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या कोई माननीय सदस्य चाहते हैं कि कोई कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाये। . . . . .नहीं, तब मैं उन सभी को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७९	वैज्ञानिक अनुसंन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . .	२९,३१,०००
८०	पुरातत्व	९३,८०,०००
८१	भारत का सर्वेक्षण . .	२,७२,८०,०००
८२	वानस्पतिक सर्वेक्षण	२२,४७,०००
८३	प्राणिकीय सर्वेक्षण	१८,७१,०००
८४	वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य . . .	१५,८८,५९,०००
८५	वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	५२,४९,०००
१३४	वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२,३७,०७,०००

स्वास्थ्य मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करेगी।

वर्ष १९६२–६३ के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयी। :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४५	स्वास्थ्य मंत्रालय	१३,७२,०००
४६	चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य .	७,४२,२८,०००
४७	स्वास्थ्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	८७,१०,०००
१२७	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	९,१०,६१,०००

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती विमला देवी (एलुरू) : मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों पर इसलिये नहीं बोल रही हूं कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों की विशेषज्ञ हूं बल्कि इसलिये कि मैं गांवों और शहरों में लोगों को बड़ी गरीबी और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते हुए देखती हूं। जहां वे बिल्कुल प्रकृति की दया पर निर्भर रहते हैं और उन्हें कोई दवा-दारू नहीं मिलती। इसलिये मैं कुछ सुझाव रखना चाहती हूं। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय दो प्रसिद्ध डाक्टरों के हाथ में है।

प्रत्येक उन्नत देश निरोधात्मक दवाइयों को महत्व देता है। यह ठीक है कि आधुनिक औषधियों के क्षेत्र में हमारा कुछ अंशदान नहीं है लेकिन हम दूसरों के अनुसन्धान से लाभ उठा सकते हैं। स्वतन्त्रता के पन्द्रह साल बाद भी क्या हम ऐसा कोई दावा कर सकते हैं कि हम ने एक रोग भी पूरी तरह नष्ट कर दिया है ?

हर गांव और शहर में बच्चे काली खांसी और डिप्थेरिया से मर जाते हैं। इन रोगों के लिये ट्रिपल ऐन्टीगेशन नामक बड़ी अच्छी निरोधात्मक दवा है। इसे तैयार करने और सस्ते दामों पर मुहैया करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

पिछले साल आन्ध्र प्रदेश में पोलियो-नामक रोग बहुत बड़े पैमाने पर फैला। जब तक कि सरकार ने कार्यवाही की और दवा प्राप्त की तब तक बीमारी का जोर कम हो चुका था लेकिन उस से कुछ बच्चे मर गये और कुछ अपंग हो गये। हमारे देश में इस रोग का अधिक प्रसार रोकने के लिये सरकार ने क्या किया है। क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह यह टीका तैयार करे और सभी राज्यों को दे ?

बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उन के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास की समस्यायें उत्पन्न होती हैं। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उन का ठीक ठीक मार्गदर्शन करे और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दे।

यदि गर्भवती स्त्रियों को प्रसव से पहले और बाद में अच्छी चिकित्सा सहायता दी जाये तो अनेक रोगों का निवारण हो सकता है आगे चालीस साल की उम्र के बाद, कुछ नये रोगों का जोर रहता है जैसे डायाबेटिस, हाइपरटेन्शन, हृदयरोग आदि में समझती हूं कि देश में एक भी ऐसी संस्था नहीं है कि जहां बायोटिक्स के लिये आहार विषय उचित परामर्श दिया जाता हो। मुझे संदेह है कि देश में इन्सुलिन भी तैयार किया जाता है या नहीं। हृदय रोगों को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किये जाने चाहियें इस बारे में लोगों को तालीम दी जानी चाहिये। कैंसर के इलाज के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। बहुत से रोग तो ऐसे हैं जिनका जल्दी निदान ही नहीं हो पाता। अस्पतालों में एक्स-रे चिकित्सा और रेडियम चिकित्सा के लिए आधुनिक मशीनें होनी चाहियें। जो मशीनें अभी हमारे पास हैं उनसे काफी देर लगती है। हम अपने अस्पतालों में इलाज तथा अनुसन्धान के लिए आइसोटोप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वह अवश्य किया जाना चाहिये।

कुछ ऐसे भी रोग हैं, जैसे मलेरिया, पीलगांव, हैजा, चेचक, मोतीझारा, कुष्ठ, क्षय आदि, जो किसी भी व्यक्ति को किसी समय भी हो सकते है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने चेचक और मलेरिया को दूर करने की योजना बनायी है। मेरा सुझाव है कि साथ ही साथ पीलगांव रोग मिटाने के लिए भी सरकार कार्यवाही करे, चेचक के रोग के लिए एक टीका होता है जिसे

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती विमला देवी]

तैयार करने में बँदरों के गुरदों का प्रयोग किया जाता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि बन्दरों का निर्यात बन्द कर दिया जाना चाहिये ।

खासकर गँदे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हैजा और मोतीझरा के निरोध के लिए निरोधात्मक दवाएँ दी जानी चाहिये । इस सँबँध में मेरा सुझाव है कि श्री अशोक सेन की रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाये । कम से कम गंदी बस्तियां हटाने का कार्यक्रम, जैसे स्वच्छ पानी की सप्लाई, नालियों की सुविधाएँ आदि, तुरन्त कार्यान्वित किया जाये ताकि इन महामारियों पर नियंत्रण रखा जा सके ।

कुष्ट रोगियों के लिए अधिक केन्द्रों की व्यवस्था की जाये, उन्हें रहने के लिए जगह दी जाये और उपयोगी काम दिया जाये ।

इस देश में क्षयरोग का आंतक भी बढ़ता जा रहा है और यह रोग खासकर गरीबों में जिन्हें पूरा पूरा भोजन नहीं मिलता, ज्यादा दिखायी देता है । यहां मेरा यह सुझाव है कि बड़े बड़े सैनिटोरियम बनाने पर रुपया खर्च करने के बजाय देश में स्वास्थ्यप्रद स्थानों पर छोटी छोटी झोंपड़ियां बनायी जायें और वहां क्षय-रोगियों को रखा जाये । बी० सी०जी० टीका बच्चों को लगाया जाता है लेकिन क्या सरकार के पास यह बताने के लिए कोई आंकड़े हैं कि जिन बच्चों को बी०सी०जी० का टीका लगाया गया है उनमें से कितने बच्चे इसरोग से बच गये हैं ?

देश में जन संख्या के बढ़ने से हर किसी को चिन्ता हो रही है और आंकड़ों से पता चलता है कि पचास साल में वह दूनी हो गयी है । हमारी सरकार ने यह महसूस किया है कि उसे रोकना अत्यन्त आवश्यक है लेकिन जो उपाय किये जा रहे हैं उनका कोई असर नहीं हो रहा है । तीसरी योजना में परिवार नियोजन पर काफी जोर दिया गया है लेकिन जेली, टैब्लेट और गर्भ निरोधक वस्तुओं का इस कारण कोई परिणाम नहीं दिखायी पड़ता कि वह सब सर्व साधारण आदमी की समझ से परे है और न ही उन वस्तुओं को खरीदने की उसमें सामर्थ्य है । इसलिए सस्ती गर्भनिरोधक वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिए अनुसन्धान किया जाये । यह ठीक है कि कुछ धनी वर्गोंने अपने परिवारों को सीमित करना सीख लिया है लेकिन समस्या तो तब हल होगी जब कि एक साधारण व्यक्ति परिवार नियोजन का महत्व समझे । उसे अपना परिवार सीमित रखने के लिए क्या प्रोत्साहन दिया गया है ? यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी कर दी जाये तभी वह अपना परिवार सीमित रखने का महत्व समझेगा । उसे परिवार नियोजन का महत्व समझाने के लिए हमने क्या किया है ?

रोगों को रोकने और जन संख्या की वृद्धि रोकने के लिए जो उपाय किये गये हैं वे अपर्याप्त है । उसके लिए सरकार ने जो कार्यवाही की है वह ठीक ढंग से नहीं की गयी है । सर्वसाधारण व्यक्ति अपने अज्ञान, अन्धविश्वास, अच्छी दवाएँ न मिलने, अच्छी चिकित्सा न मिलने आदि जैसे बातों के कारण निरोधात्मक औषधियों का प्रयोग करने में हिचकिचाता है । मेरा तो यह सुझाव है कि देश में परिवार नियोजन की इतनी अधिक आवश्यकता है कि उसके लिए एक विशेष मंत्री भी होना चाहिये ।

इन सब बातों पर गौर करते हुए सरकार को लोगों के दिमाग से डर और अन्धविश्वास हटाने के लिए जनता को विस्तृत स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिये । इस संबंध में रेडियो, फिल्मों, चलती फिरती गाड़ियों, सार्वजनिक सभाओं आदि के माध्यमों से जनता में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये । इस प्रयोजन के लिए स्वयं सेवी सँगठनों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञ समितियों ने यह सलाह दी थी कि राजनैतिक दल जनता को लोक स्वास्थ्य

के संबंध में सुशिक्षित करे। लेकिन सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया है। शासक दल ने गैर-सरकारी समितियों में दूसरे राजनैतिक दलों के सदस्यों को शामिल नहीं किया है। स्वयं सेवी छात्र संगठनों को भी इस स्वास्थ्य कार्य में हिस्सा लेने की अनुमति दी जानी चाहिये।

भारत में डाक्टरों की संख्या भी अपर्याप्त है। हमारे यहां ६००० व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर होता है जब कि सभी उन्नत देशों में ६०० या १००० व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर होता है। जब तक कि डाक्टर लोग जनता को शिक्षित नहीं करते और थोड़ा बहुत समाजकार्य नहीं करते तब तक लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता को सफलतापूर्वक शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती। यदि सरकार उन्हें उचित ढंग से कहे तो मेरी समझ में उन्हें कुछ घंटे समाज-कार्य करने में आपत्ति नहीं होगी।

आगे मुझे इसी से संबंधित विषय पर अर्थात् औषधि उद्योग पर खास जोर देना है। सरकार को खुद ही औषधियां तैयार करनी चाहिये और सस्ते दाम पर बांटनी चाहिये। हम बहुत ही थोड़ी औषधियां तैयार करते हैं लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ विदेशी लोग उन्हें भी खरीद लेते हैं और उन पर अपने व्यापार-चिह्न लगाकर हमारी जनता को ही बहुत ऊँची कीमतों पर बेचते हैं। यह एक फौजदारी का जुर्म समझा जाना चाहिये और उन लोगों को ठीक सजा दी जानी चाहिये। हमें इस बात पर जोर देना चाहिये कि सभी लोगों द्वारा जीवनाशक (ऐन्टीबायोटिक) दवाओं के खुले प्रयोग पर रुकावट लगायी जाये। दूसरी चिकित्सा प्रणालियों के डाक्टर उनका प्रयोग न करें। लेकिन इससे यह भी चिल्लाहट मचती है कि ऐलोपैथिक डाक्टर मकरध्वज जैसे औषधियों का भी प्रयोग न किया करें। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि ऐसा कोई अधिनियम पास किया जाये जिससे ऐलोपैथिक डाक्टरों द्वारा मकरध्वज के प्रयोगों पर पाबन्दी लगायी जाये।

देश में कई चिकित्सा प्रणालियां हैं। मैं किसी विशेष प्रणाली के विरुद्ध नहीं हूँ लेकिन किसी भी अवैज्ञानिक प्रणाली के विरुद्ध अवश्य हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि प्राचीन स्मारकों की तरह प्राचीन औषधियां भी उसी मूल रूप में कायम रहनी चाहियें। ऐसी धारणा से हम प्रगति नहीं कर सकते। दुनिया के किसी भी भाग में जो अनुसन्धान या खोज होती है, उससे यदि हम दूर रहें तो हमारी ही हानि होगी। इसलिए प्रत्येक प्रणाली के समर्थकों से मेरी यह प्रार्थना है कि वे अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसन्धान कर उसका और अधिक विकास करें। एक दूसरे की प्रणाली से वृणा करने से कोई अर्थ नहीं है। इसलिए और अधिक अनुसन्धान संस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिये। मेडिकल कालेजों में पढ़ाई का स्तर बहुत काफी गिर गया है जिससे मेडिकल ग्रैजुएटों का स्तर भी गिर गया है। मेडिकल कालेजों के अध्यापकों के लिए अखिल भारतीय पदावलि कायम की जानी चाहिये और उन्हें अच्छा वेतन दिया जाना चाहिये और उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। स्वास्थ्य-नीतियों के मामले में सरकार को इंडियन मेडिकल असोसियेशन से राय लेनी चाहिये और उसके प्रतिनिधि योजना आयोग में शामिल किये जाने चाहिये।

अस्पतालों के संबंध में, मैं मंत्रालय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि धन की कमी आदि की वजह से हम चाहे और अधिक अस्पताल न खोलें लेकिन मौजूदा अस्पतालों में कार्यकुशलता बढ़ा दी जाये। हमें अच्छी तरह मालूम है कि सरकारी अस्पतालों में लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और वहां की दवाएं रोगियों को नहीं बांटी जातीं और वे बाजारों में बेच दी जाती हैं। इस तरह की कार्यवाही को एक अपराध समझा जाना चाहिये और इसे रोका जाना चाहिये।

[श्रीमती विमला देवी]

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना सभी राज्यों में लागू की जानी चाहिये। मैं स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की ओर भी स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ही जनता के लिए कार्यकुशलता स्वास्थ्य सेवा का एकमात्र उपाय है ? सरकार को मेरी सलाह है कि सभी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के चिकित्सकों से स्वास्थ्य के राष्ट्रीयकरण के संबंध में मतदान ले लें जैसा कि एन्यूरिन बेवन के नेतृत्व में किया गया था। मुझे विश्वास है कि उस कार्यवाही का स्वागत होगा। अधिकांश उन्नत देशों ने स्वास्थ्य सेवा का राष्ट्रीयकरण किया है। हमने जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया और अब अगला कदम स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीयकरण का है।

†डा० श्री निवासन् (मद्रास उत्तर) : मेडिकल कालेजों में भरती के लिए इतनी अधिक भीड़ होती है कि हर दस में से एक को चुना जाता है इसलिए और अधिक मेडिकल कालेज खोले जाने चाहिये या इन कालेजों में भरती की और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहियें।

आगे, शहरों के अस्पतालों की यह स्थिति है कि जहां १००० रोगियों के लिए व्यवस्था की मंजूरी है वहां २००० रोगी भरती किये जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय को इस संबंध में भी कुछ करना चाहिये ताकि उनकी ओर यथोचित ध्यान दिया जा सके।

मलेरिया, पीलपांव, चेचक और छूत के दूसरे रोगों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ ध्यान दिया है और बहुत कुछ सुधार किया गया है लेकिन उन मच्छरों से होने वाली तकलीफ की ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय को बताना चाहता हूँ कि एक प्रकार के मच्छरों से कालजार रोग फैलता है। मद्रास में यह रोग बहुत है। मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस स्थिति का सामना करने के लिए एक अलग शाखा खोले।

परिवार नियोजन के बारे में, रिपोर्ट के पृष्ट ११८ में यह बताया गया है कि मृत्यु दर २७·४ प्रतिशत से घटकर २१·६ प्रतिशत हो गया है। मैं उससे सहमत हूं। विदेशों में वह दर २ प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस ओर अधिक ध्यान दे कि यह दर काफी कम हो जाये।

आगे सारे मद्रास शहर में पानी की सप्लाई के बारे में मुझे यह कहना है कि वहां प्रति व्यक्ति के लिए लगभग १५ गैलन पानी उपलब्ध होता है। मुझे विश्वास है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री तथा उपमंत्री इस बात से सहमत होंगे कि प्रत्येक के लिए कम से कम ३० गैलन पानी जरूरी होता है। लेकिन हमें वह भी नहीं मिल रहा है। हमारे शहर में पानी सप्लाई की समस्या ऐसी है कि हमें वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए मंत्रालय को हमारी सहायता करनी चाहिये और हमारे लिए कुछ दूसरी व्यवस्था भी करनी चाहिये।

अभी आज ही सुबह मैंने एक तारांकित प्रश्न पूछा था कि क्या मद्रास शहर में कावेरी नदी का पानी लाने की कोई योजना है लेकिन माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि सामान इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन मेरी उनसे यह अपील भी है कि मद्रास शहर को पानी उपलब्ध किया जाये। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता दूं कि वह प्रति व्यक्ति १५ गैलन पानी भी मद्रास शहर के दूर दूर के हिस्सों में नहीं पहुंच रहा है। मेरा निर्देश उत्तर में तोन्डियारपेठ, दक्षिण में अड्यार, और पश्चिम में सेन्थियम से है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब १९५९ में मैं मद्रास निगम का पार्षद चुना गया था तब इस समस्या को सुलझाने के लिए मैंने निगम के जलकल इंजीनियर से परामर्श किया था और उसके सुझाव पर निगम की ओर से २५,००० रुपये की लागत से एक कुंआ खुदवाया लेकिन वह पानी खारा था। मैं ने कमिश्नर और वाटर वर्क्स इंजीनियर से प्रार्थना की थी कि सप्लाई को उत्तर मद्रास मेन्स के साथ जोड़ दिया जाये ताकि लोगों को पानी मिल सके। हम यही खारा पानी पी रहे हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर विचार करेगा और इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय की वर्ष १९६१-६२ की रिपोर्ट के पृष्ठ १५१ में "स्वास्थ्य योजनाओं" के अध्याय में, जलपूर्ति तथा सफाई (शहरी और ग्रामीण) के लिए १०५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। शहरी क्षेत्रों को छोड़ कर क्या संपूर्ण भारत में, १०५ करोड़ रुपये की रकम से ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी हो जायगी ? मैं ऐसे स्थान जानता हूं कि जानवर और आदमी एक ही पानी पीते हैं।

शहरी क्षेत्रों के सम्बन्ध में, यदि कावेरी का पानी मद्रास शहर में लाया जाये तो लगभग ३० करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। लेकिन मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए मद्रास निगम और मद्रास राज्य को कोई विशेष सहायता देने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय आगे आ कर योजना आयोग से बातचीत करे और यह रकम १०५ करोड़ रुपये से बढ़ा कर २१० करोड़ रुपये कर दें ताकि मद्रास शहर को पानी का पानी मिलने लगे।

श्री मोहन नायक (भंजनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम हेल्थ मिनिस्ट्री की डिमांड पर विचार करते हैं तो एक बात बराबर हमारे सामने आती है कि जो लोग अपना जीवन कुर्बान कर के दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, उन लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं। जब कभी हम मेहतरों की बात कहते हैं तो एक मजाक सा हो जाता है। अगर हेल्थ डिमांड के सम्बन्ध में उन के लिये बोलें तो हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि यह होम मिनिस्ट्री का कंसर्न है, और अगर होम की डिमांड पर उन के लिये कहते हैं तो वह कहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट का विषय है। मुझे बहुत दुःख होता है कि उन के बारे में न तो हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ सोचता है और न होम डिपार्टमेंट ही कुछ सोचता है। दोनों ही उन की बात को ठीक से नहीं सोचते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है यह देख कर कि इस समय हम को हेल्थ मिनिस्टर के रूप में एक ऐसा व्यक्ति मिला हुआ है जो बहुत दिन तक गांधी जी के साथ रहा था। जिस समय गांधी जी मेहतरों के सम्बन्ध में बोलते थे उस को उन्होंने सुना होगा। इस लिये मैं आशा करता हूं कि मेहतरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कुछ ठोस कदम उठाये जायेंगे।

जब पहली बार म सन् १९५७ में दिल्ली आया था तब मैं ने घूम घूम कर जहां भी मेहतरों की बस्तियां हैं उन की अवस्था को देखा। मैं ने तालकटोरा गार्डन देखा, रीडिंग रोड देखा, मेहरौली देखा और पास के गांव चिराग दिल्ली को देखा। छः साल पहले जैसी उन की अवस्था थी वैसी ही अवस्था उन की आज भी है। उस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस लिये मैं कहता हूं कि जो लोग अपने जीवन को कुर्बान कर के दूसरों के हेल्थ की रक्षा करते हैं, उन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कुछ काम नहीं हो रहा है।

मैं एक बात और कहूंगा उड़ीसा के बारे में। आप लोग देखेंगे कि जो उड़ीसा की आंचलिक एरिया हैं उन में पंद्रह पंद्रह बीस बीस मील तक कोई अस्पताल नहीं है। मेरी कांस्टिट्यूएन्सी भंजनगर है जो कि एक शेड्यूल्ड एरिया है। वहां पर भी दस दस और पंद्रह पंद्रह मील के भीतर एक भी अस्पताल नहीं है। मैंने एक बार एक आदमी को बुखार में देखा तो उससे कहा कि भाई तुमको

[श्री मोहन नायक]

बुखार है तुम अस्पताल जाओ। उसने कहा कि अस्पताल यहां से दस मील दूर है, अगर वहां जाऊंगा तो रास्ते में ही मर जाऊंगा। यह हालत है। आज हमारी स्वाधीन सरकार है, कोई विदेशी सरकार नहीं है कि हम उस पर दोष लगा दें कि विदेशी शासन है इसलिए हमारा खयाल नहीं करता। अभी तो हमारा देशी शासन है। उसका फर्ज है लोगों को स्वास्थ्य रक्षा करना, उनको शिक्षा देना और उनके लिए मकानों का प्रबन्ध करना। इसलिए मैं बोलूंगा कि जो गरीब प्राविंस हैं उधर के लोगों के लिए औषधि की व्यवस्था जरूर की जाये। दिल्ली में तो हजारों डाक्टर हैं। हमारा तरीका यह हो गया है कि जहां शिक्षित लोग रहते हैं जो ज्यादा चिल्लाते हैं और प्रेस करते हैं, उधर तो पूरी सुविधा दी जाती है। मगर देहातों में जहां के लोग मुंह नहीं खोलते हैं उन लोगों की तरफ हम कुछ नहीं देखते। उधर दृष्टि भी नहीं डालते कि उन लोगों को क्या चाहिए।

मैं एक बात और बोलूंगा। पिछली पंचवर्षीय योजना में बहुत से चाइल्ड वैलफेयर और मैटरनिटी सेंटर खोले गये। मैं ने देखा है कि चाइल्ड वैलफेयर और मैटरनिटी सेंटर को बने हुए, पांच सात साल हो गये, मगर उन में अभी तक ताला लगा हुआ है। हमें प्लान करते वक्त देखना चाहिए कि जो चीज हम स्टार्ट करें उसे पूरी तरह स्टार्ट करें। अगर इस काम के लिए मकान बनाया है तो मकान बनाना खत्म होने के साथ उस में डाक्टर और नर्स जो भी चाहिए उसे भी वहां पहुंचा देना चाहिए। नहीं तो हम ने रिपोर्ट में तो कह दिया कि इतने चाइल्ड वैलफेयर और मैटरनिटी सेंटर बनाये गये हैं, मगर बनाने के बाद वह कैसे चलेंगे इसकी कोई स्कीम नहीं दिखायी देती। मैं उड़ीसा की बात कहना चाहता हूं कि जहां बहुत से चाइल्ड वैलफेयर सेंटर और मैटरनिटी सेंटर बने हुए पांच सात साल हो गये। उनके लिए हम ने ५० पर सेंट कंट्रीब्युशन दिया मगर उनमें ताला लगा हुआ है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। जिस वक्त कालेरा या विसूचिका का एपीडैमिक फैलता है तो मेहतर लोगों को उधर एंगेज किया जाता है। अगर कोई मेहतर कालरा से इन्फेक्टेड हो कर मर जाये तो उसको कोई कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाता। यह बड़े दुःख की बात है क्योंकि वह गवर्नमेंट की ड्यूटी पर मरा है। जिसकी मृत्यु ड्यूटी पर होती है उसकी फैमिली के मेनटिनेन्स के लिए कम्पेन्सेशन देना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी अवस्था में मेहतरों को भी कम्पेन्सेशन देना चाहिए।

एक बात आप और देखें कि जो मेहतर अस्पतालों में और गन्दी बस्तियों में काम करते हैं उनको हाथों को साफ करने के लिए सोप भी नहीं दिया जाता और उन के लिए ठीक प्रकार का कपड़े का भी प्रबन्ध नहीं है।

मैं आप को एक बात और बोलूंगा। मेहतर की उन्नति के लिए चाहे होम डिपार्टमेंट भी कुछ काम करे लेकिन यह मुख्य समस्या हेल्थ डिपार्टमेंट की है। हरिजन का टोटल प्राबलम तो होम डिपार्टमेंट देखेगा ही। पर मेहतर की समस्या केवल हेल्थ विभाग पर आ जाती है। जो मेहतर गांवों में और देहात में काम करते हैं उनकी समस्या सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पर आती है।

मैं देखता हूं कि मेहतरों के लड़के लड़कियां जो कि पढ़ने योग्य हैं वे पढ़ने नहीं जाते। इसका कारण यह है कि उनके मां बाप काम पर चले जाते हैं और घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको देखने के लिए बड़े बच्चे रह जाते हैं। इसलिए वे पढ़ने नहीं जा सकते। मैं ने इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट को भी एक सजेशन दिया था और यहां भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेहतर जाति की उन्नति करना चाहते हैं तो जहां पर मेहतर बस्तियां हैं उधर एलीमेंटरी स्कूल

बनाइए और उन स्कूलों के साथ साथ क्रेशे भी बनाये जायें जिनमें छोटे बच्चों की देखभाल की जाये ताकि जो बड़े बच्चे उनकी देखभाल के लिए घर पर रह जाते हैं वे स्कूल में जा सकें। इन क्रेशेज में एक दाई या नर्स रखी जाये तो छोटे बच्चों की देखभाल करे। ऐसा होगा तभी मेहतरों के बच्चे पढ़ सकेंगे।

मैंने चार पांच म्यूनिसिपैलिटियों में जाकर देखा। वहां एलीमेंटरी स्कूल हैं मगर मास्टर बोलते हैं कि उधर कोई मेहतर के लड़के लड़कियां पढ़ने नहीं आते। अगर आते हैं तो चार छः दिन के बाद नहीं आते या दस पांच दिन में एक बार आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह हेल्थ मिनिस्ट्री की डिमांड है, ऐजूकेशन मिनिस्ट्री की डिमांड नहीं है।

श्री मोहन नायक : मैं बोलता हूं कि मेहतर का सवाल तो सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री का है।

उपाध्यक्ष महोदय : एजुकेशन मिनिस्ट्री आगे आ रहा है।

श्री मोहन नायक : मैं स्कूल की बात नहीं करता, मैं तो कहता हूं कि स्कूलों के साथ क्रेशे खोले जायें। यह काम तो हैल्थ मिनिस्ट्री का है। इन क्रेशेज में छोटे बच्चों का लालन पालन किया जाये। यह चीज तो हैल्थ मिनिस्ट्री से सम्बन्ध रखती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं यह काम एजूकेशन मिनिस्ट्री का है।

आपका समय पूरा हो गया।

श्री मोहन नायक : मैं वाटर सप्लाई के बारे में कुछ कहूंगा। हमारे देश में सब लोगों को वाटर सप्लाई करना सरकार का काम है। उड़ीसा के लिए सेंट्रल प्लान यह है कि अगर कोई कुएं के लिए १००० रुपया चाहता है तो अगर वह ५०० रुपया दे सके तो बाकी ५०० सरकार दे देगी। मेरा तजुर्बा है कि जहां घनी आबादी है वहां के लोग सहज में ५०० रुपया दे कर इस सुविधा का लाभ उठा लेते हैं, लेकिन जो ग़रीब हैं उन के पास पांच रुपया भी देने के लिए नहीं है वह पांच सौ कैसे दे सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां ग़रीब आदमी रहते हैं उस बस्ती के लिए पूरा एक हजार रुपया सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। वहां के लिए ५० पर सेंट कंट्रीब्यूशन का नियम हटा देना चाहिए। अभी यह होता है कि हरिजन बस्ती को एक कुंआं देने का प्लान है लेकिन जब वह ५०० रुपया नहीं दे सकते तो वह कुंआं उन लोगों को दे दिया जाता है जो दे सकते हैं और जो धनी हैं। तो मेरा निवेदन है कि हरिजनों के लिए यह कंट्रीब्यूशन का नियम नहीं होना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
४५	३६	श्री अ० व० राघवन	विशिष्ट और पेटेन्ट दवाओं के मूल्यों का नियंत्रण	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३	४	५
४५	३७	श्री अ० व० राघवन	डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये अधिक प्रोत्साहन देने हेतु उपबन्ध	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
४५	३८	श्री अ० व० राघवन	कुष्ठ और तत्सम रोगों के कारण, निवारण, फैलाव और चिकित्सा के सम्बन्ध में मूलभूत अनुसंधान की उपेक्षा	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
४५	३९	श्री अ० व० राघवन	अधिक मेडिकल कालेजों की स्थापना	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
४५	४०	श्री वारियर	आयुर्वेद तथा चिकित्सा की अन्य देशी प्रणालियों के प्रति उपेक्षा-पूर्ण व्यवहार	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये
४५	१	श्री शिवमूर्ति स्वामी	आधुनिक दवाओं के जरिये ग्रामीण चिकित्सा सेवा की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	भारतीय चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	५	श्री शिवमूर्ति स्वामी	सार्वजनिक अस्पतालों में कुप्रथाओं को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा करने वाले निजी अस्पतालों को उदार अनुदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	७	श्रीमती विमला देवी	परिवार नियोजन के मामले में अधिक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	८	श्रीमती विमला देवी	तपेदिक, कैन्सर, कुष्ठ, हैजा, खांसी, टिटैनस, डिप्थीरिया को रोकने के लिये अधिक प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	९	श्रीमती विमला देवी	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को अन्य शहरों में कार्यान्वित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४५	१०	श्रीमती विमला देवी	देश में अधिक मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	११	श्रीमती विमला देवी	हृद्रोगों की असाधारण वृद्धि को रोकने हेतु प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	४१	श्री रा० बरुआ	आसाम राज्य में मच्छरों के उपद्रव को समाप्त करने के लिये तेजी से आन्दोलन चलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	४२	श्री रा० बरुआ	आदिम जातियों के लोगों को होने वाले रोगों तथा उनके उन्मूलन के बारे में अनुसन्धान करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	४३	श्री रा० बरुआ	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को अन्य शहरों में कार्यान्वित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	४४	श्री वारियर	अनधिकृत तथा अयोग्य व्यक्तियों को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवसाय करने से रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	४५	श्री प० कुन्हन	तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल के पालघाट जिले में एक मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	४६	श्री वारियर	क्षय आरोग्यधामों को अधिक धन उपलब्ध करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	४७	श्री वारियर	फाइलेरिया की चिकित्सा के लिये अधिक धन उपलब्ध करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	४८	श्री वारियर	फाइलेरिया के फैलाव के बारे में कार्यवाही करने के लिये अधिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण एकक स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४५	४९	श्री वारियर	अस्पताल में भर्ती हो कर चिकित्सा कराने वाले रोगियों को स्थान देने के लिये एरणाकुलम स्थित फाइलेरिया केन्द्र के लिये अधिक उपयुक्त इमारत उपलब्ध करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	५०	श्री वारियर	कुष्ठ के उन्मूलन के लिये अधिक बुनियादी तथा निरन्तर अनुसन्धान करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	५१	श्री वारियर	कुष्ठ के फैलाव को रोकने के लिये उठाये गये कदम	१०० रुपये
४५	५२	श्री वारियर	चेचक के उन्मूलन के लिये अधिक धन उपलब्ध करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	५३	श्री वारियर	कुपोषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को हो रही हानि को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	५४	श्री वारियर	खासकर बच्चों के लिये मिलावट वाली खाने की चीजों और दवाओं के उत्पादन और वितरण के विरुद्ध कड़े कदम उठाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४५	५५	श्री वारियर	अस्पतालों में मरीजों को अधिक स्थान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	५६	श्री वारियर	सामान्य चिकित्सा व्यवसायियों के लिये प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिये राज्य सरकार तथा चिकित्सा संगठनों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	५७	श्री वारियर	कैन्सर की चिकित्सा के बारे में अनुसन्धान की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४५	५८	श्री वारियर	विकलांग चिकित्सा के लिये एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	५९	श्री वारियर	माहे में एक तपेदिक का अस्पताल व आरोग्यधाम के निर्माण की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	६०	श्री वारियर	ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाओं का व्यय तथा योग्य कर्मचारियों को रखने के लिये पर्याप्त धन का उपलब्ध करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४५	६१	श्री वारियर	प्रत्येक गांव में कम से कम एक योग्यता प्राप्त दाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	१२	श्री शिवमूर्ति स्वामी	बीमारियों को रोकने तथा स्वास्थ्य के स्तर को उन्नत करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय जल संभरण योजना	१०० रुपये
४६	१३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	चिकित्सा की आयुर्वेदिक तथा यूनानी प्रणालियों के बारे में अधिक अनुसन्धान करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	१४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	अस्पतालों में विशेषकर तपेदिक तथा महामारी के रोगों के अस्पतालों में डाक्टरों और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	१६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	परिवार नियोजन के प्रयोजन के लिये दवाओं में की गई कटौती को रद्द करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४६	१७	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	ग्रामीण जनता की सेवा के लिये ग्रामीण सेवा केन्द्रों में पर्याप्त चिकित्सक कर्मचारियों की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	१८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	सहकारी स्वास्थ्य केन्द्रों को सहायता अनुदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	१९	श्री मे० क० कुमारन .	केरल में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में तेजी लाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	२०	श्री मे० क० कुमारन .	देश में निर्मित दवाओं पर अधिक कड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	२१	श्री मे० क० कुमारन .	देश के सार्वजनिक क्षेत्र में शक्तिशाली औषधि-निर्माण उद्योग की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	२२	श्री मे० क० कुमारन .	केरल राज्य मे तपेदिक अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिये राज्य को विशेष सहायता देने की आश्वकयता	१०० रुपये
४६	२३	श्री कोया . .	भूमिगत पानी के लिये केरल में व्यवस्थित और तीव्र सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	२४	श्री कोया . .	केरल राज्य में मन्केरी, पोनबाई, बालियापटम् , बाड़गरा और तनूर में शुद्ध पानी के संभरण की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	२५	श्री कोया .	केरल राज्य में फाइलेरिया, फीलपांव, तपेदिक और कैन्सर रोगों के उपद्रव के नियंत्रण तथा उन्मूलन के लिये अधिक सक्रिय उपाय करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४६	२६	श्री कोया .	केरल राज्य में फाइलेरिया नियंत्रण योजना को तेजी से कार्यान्वित करने के लिये अधिक धन को उपलब्ध करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	२७	श्री कोया .	तपेकिद के रोगियों को निःशुल्क दवायें देने आदि की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	२८	श्री रिशांग किशिंग .	इम्फाल में मानसिक रोगों के अस्पताल की स्थापना की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	३०	श्री रिशांग किशिंग .	संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों के लिये मेडिकल कालेजों में रक्षित स्थान बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	३१	श्री रिशांग किशिंग .	मनीपुर के तमेंगलोंग क्षेत्र से गण्डमाला के उन्मूलन की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	३२	श्री रिशांग किशिंग .	इम्फाल में तपेदिक अस्पताल में सुधार व उस के विस्तार की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	६२	श्री प० कुह्लन .	केरल में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	६३	श्री प० कुह्लन .	केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में तपेदिक के अधिक अस्पताल खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	६४	श्री प० कुह्लन .	केरल के प्रत्येक जिले में कुष्ठ चिकित्सा के लिये अस्पताल खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
४६	६५	श्री प० कुह्लन .	केरल में फाइलेरिया की चिकित्सा और नियंत्रण के लिय अस्पताल खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४६	६६	श्री प० कुन्हन .	केरल के प्रत्येक जिले में मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिये गस्पताल खोलना	१०० रुपये
४७	६७	श्री प० कुन्हन .	केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यान्वित न किया जाना	१०० रुपये
१२७	३४	श्री रिशांग किशिंग .	पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में इम्फाल जल संभरण योजना कार्यान्वित न की जाना	१०० रुपये
१२७	३५	श्री रिशांग किशिंग .	मनीपुर के पहाड़ी सब डिवीजन के प्रधान कार्यालय उखरूल को तीसरी, पंचवर्षीय योजनावधि में जल संभरण करने के लिये योजना में शामिल करने की आवश्यकता	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री रामसिंह (बहराइच) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दूसरा पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के समय भारत में एक डाक्टर ४८०० व्यक्तियों पर होता था। हमारे पास कुल ८४ हजार डाक्टर थे जबकि योजना के अनुसार हमें ९० हजार डाक्टरों की आवश्यकता थी। हर बरस तीन हजार नये डाक्टर जो भारत की ५० मैडिकल संस्थाओं से पास होते हैं इस व्यवसाय में आते हैं, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार उन की संख्या एक लाख हो जायगी। परन्तु केवल संख्या वृद्धि से ही कार्य नहीं बढ़ता।

सरकार ने जो बड़े बड़े दवाखाने तथा अस्पताल खोले हैं उन में दवाओं की सप्लाई उस अंश में नहीं बढ़ाई जा रही है जिस अंश में जन संख्या बढ़ रही है। इस का नतीजा यह होता है कि डाक्टर मरीजों को देख कर मर्ज बता देता है परन्तु मरीजो को मुफ्त दवाय नहीं मिल पातीं। बहुत से छोटे छोटे अस्पतालों में जो कुछ थोड़ा सा स्टाक रहता भी है उस का भी दुरुपयोग होता है। उस से दवाइयां लोगो को नहीं मिल पातीं क्योंकि इसका अधिक से अधिक लाभ स्टाफ के लोग उठाते हैं। इसलिये अस्पतालों में दवाओं का स्टाक ज्यादा किया जाय और उस के वितरण के लिये उचित व्यवस्था रहे। बहुत सी छोटी छोटी जगहों पर जहां अस्पताल नहीं हैं आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जायें जिस से जो लोग अंग्रेजी दवाओ में अधिक धन नहीं व्यय कर सकते हैं वह भी आयुर्वेदिक औषधियों का लाभ उठायें। बहुत से ऐसे असाध्य रोग हैं जो दवाओं से ठीक नहीं होते वह भी योगिक क्रियाओं से ठीक हो जाते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसी योगिक क्रियाओ को भी प्रोत्साहन दे।

†मूल अंग्रेजी में

बाढ़ से या उन स्थानों पर जहां गन्दा पानी रुका रहता है तमाम बीमारियां फैलती हैं। ऐसे स्थानों पर पानी निकालने का प्रबन्ध होना चाहिये और नलों का प्रबन्ध किया जाना चाहिये जिस से लोगों को पीने के लिये पानी साफ मिल सके।

बहुत से स्थानों पर गन्दे नाले तथा नालियां भी बीमारी फैलने का कारण हैं। उन स्थानों के सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

गन्दी बस्तियों को साफ और खुला रखने का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिय।

भोजन की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिय क्यों कि लोगों को खाने पीने की चीजों में मिलावट होने के कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा दूध व घी न मिलने के कारण भी लोग स्वयं स्वस्थ नहीं रहते। फल भी बहुत सी जगहों पर खराब और सड़े गले बिकते हैं। इनसे भी बीमारी फैलती है। इन सब को रोकने का सरकार को समुचित प्रबन्ध करना चाहिये।

मैं अब सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के उस अपने जिले की तरफ दिलाऊंगा, जोकि तराई का इलाका है। उधर तराई वाले स्थानों में ज्यादातर नदियों में बाढ़ आती हैं। बाढ़ वाले स्थानों में अक्सर पानी जमा हो जाता है। वहां पर सरकार की तरफ से बाढ़ रोकने का प्रबन्ध किया गया था और वहां पर बंध वगैरह बांधे गये थे। बंध बांधने की बात के सिलसिले में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आज से ६, ७ साल पहले इतनी बाढ़ें नहीं आती थीं जितनी कि इधर आ रही है। इस का नतीजा यह होता है कि वहां पर पानी इतना अधिक रुका रहता है कि फरवरी तक वह पानी वहां पर सूखता नहीं है। उन बाढ़ के स्थानों में मलेरिया, फायलेरिया, चेचक और कालरा जैसी बीमारियां अक्सर मौजूद रहती हैं। मलेरिया उन्मूलन के लिए पहले सरकार की तरफ से प्रबन्ध था। पहले दवायें जो इस्तेमाल की गई उन से मलेरिया के रोक में कुछ कमी दिखाई पडी थी लेकिन इधर कुछ वर्षों से उन दवाओं का अच्छा असर होता नहीं दिखाई पड़ता है। डी० डी० टी० का प्रयोग भी अब अच्छा काम नहीं करता है। सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। या तो औषधियों में कोई मिलावट है या वह औषधियां ही बदल दी गई हैं। सरकार को ऐसे स्थानों पर अच्छी दवाओं का प्रबन्ध करना चाहिये। उन तराई के इलाकों के अन्दर अस्पताल वगैरह नहीं हैं जहां पर कि गरीबों को दवायें मिल सकें और उन का इलाज हो सके। वहां पर या तो अस्पताल खोले जायें या अगर इतना खर्च बर्दाश्त नहीं हो सकता है तो देशी औषधियों का इंतजाम किया जाय जिस से कि उन गरीब लोगों को दवायें मिल सकें।

मैं अपने जिले की तरफ फिर ध्यान दिलाऊंगा। वहां पर करीब १२ या १४ लाख रुपये की लागत से एक बड़ा अस्पताल खोला गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री महोदय ने इस वर्ष उस का उद्घाटन किया है। इतना बड़ा अस्पताल खुलने के बाद भी अभी तक उस में वही पुरानी मंजूरी चल रही है जिस के कारण लोगों को ज्यादा तादाद में दवायें नहीं मिल पाती हैं। इतने बड़े अस्पताल के लिये सरकार की तरफ से कुछ न कुछ इंतजाम जरूर होना चाहिये। ऐसी जगहों के लिये जहां पर अस्पताल वगैरह नहीं हैं वहां पर जरूर देशी या होम्योपैथिक दवाओं का इंतजाम होना चाहिये।

मैं बस और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझ बोलने का के लिये समय दिया।

श्री अ० सि० सहगल (जंगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय के खर्च की जो मांगें इस सदन में प्रस्तुत हैं उन पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

[श्री अ० सिं० सहगल]

हैल्थ सर्वे कमेटी की रिपोर्ट से मालूम होता है कि इस देश की जनता के स्वास्थ्य का स्तर दिनो दिन नीचे गिरता जा रहा है। नेशनल टी० बी० सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह नतीजा निकला है कि भारतवर्ष में शहरों में ४ से ५ फीसदी तक जनता क्षय रोग की शिकार है। संसार में सब से अधिक टी० बी० के मरीज भारतवर्ष में पाये जाते हैं। यही नहीं अंधेपन और अन्य आंखों की बीमारियां भी भारत में बहुत बढ़ रही हैं। इस से साफ मालूम होता है कि हमारे देश में जनता के स्वास्थ्य की कैसी बुरी हालत है।

युनाइटेड किंगडम, कनाडा, रूस और चीन आदि मुल्कों की तरफ़ यदि आप देखें तो पायेंगे कि वहां ७ प्रतिशत से लगा कर १० प्रतिशत रुपया जनता के स्वास्थ्य पर खर्च होता है . . . .

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह चीन का फीगर्स आप कहां से ले आये ? इस का आप को कैसे पता चला ?

श्री अ० सिं० सहगल : शर्मा साहब यह किताब पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि मैं यह फीगर्स कहां से लाया हूं ।

जबकि उन देशों में इतना खर्च हो रहा है हमारे मुल्क में जहां पर कि ५ लाख गांवों हैं हम देखते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में मुल्क भर के लिये स्वास्थ्य की खातिर केवल ६ई प्रतिशत रुपया ही रक्खा गया है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो पैसा स्वास्थ्य के लिए रक्खा गया था वह भी पूरे तौर से काम में नहीं लाया गया है। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि स्वास्थ्य और चिकित्सा यह दो अलग अलग चीजें हैं। इस में हम को दो काम करने हैं। एक तो यह कि लोगों के स्वास्थ्य का स्तर इतना ऊंचा हो कि उन पर रोग के कीटाणुओं का असर न हो और दूसरे यह कि रोगी मरीज को चिकित्सा द्वारा दुरुस्त बनाया जा सके। लेकिन अगर जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के स्थान पर यदि हम यह ख्याल करें कि हम बीमारों को ठीक करने में अपनी सारी ताकत लगा दें तो दिनोंदिन रोगों की संख्या बढ़ती जायगी और हम अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकेंगे . . . . .

†उपाध्यक्ष महोदय : मा० सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे। हमें गैरसरकारी सदस्यों का कार्य लेना है ।

लोक प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक

(धारा ७ का संशोधन)

†श्री दी० चं० शर्मा : (गुरदासपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक "प्रतिनिधान विधेयक १९५१ में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधान अधिनियम १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संसद् पुस्तकालय विधेयक

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद् के लिए एक आधुनिकतम और विशाल पुस्तकालय बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि संसद के लिये एक आधुनिकतम और विशाल पुस्तकालय बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक

(धारा २ और ३ का संशोधन)

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बाल विवाह रोक अधिनियम १९२९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"कि बाल विवाह रोक अधिनियम १९२९ में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

खान (संशोधन) विधेयक

(धारा १२, ६४, ६६, ६७, ७०, ७२ ग और ७३ का संशोधन)

†**श्री स० चं० सामन्त :** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि खान अधिनियम १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खान अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक

(धारा ३ और ४ का संशोधन)

†**श्री सिद्धया :** (चारराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम १९५५ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ को संशोधन करने वाले अधिनियम के पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री सिद्धया :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी

(धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा दंडप्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को लेगी, जिसे श्री म० ला० द्विवेदी ने ११ मई, १९६२ को प्रस्तुत किया था । श्री दातार ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** पहली बार इस प्रकार का विधेयक नहीं रखा गया । पहले दो बार और खास कर जब कि सभा के सामने व्यापक संशोधनकारी विधेयक पर विचार किया जा रहा था, उस समय लोक सभा के एक सदस्य ने ऐसा ही प्रयत्न किया था किन्तु आखिर में उसने इसे वापिस ले लिया । तदुपरान्त, उसने एक गैर सरकारी सदस्य का विधेयक पेश किया जो जनमत के लिये परिचालित किया गया था । जब १८ अप्रैल, १९५९ को वह विचारार्थ आया, तो पूरे विचार के पश्चात् मा० सदस्य ने उसको वापस ले लिया ।

जो प्रश्न उठता है वह बहुत स्पष्ट है । मा० सदस्य ने जिसने इतनी योग्यता से यह विधेयक रखा, अनुभव किया कि इस विधेयक के उपबन्धों के समर्थ की अपेक्षा इसका विरोध अधिक था । यह सही हैं कि सैद्धान्तिक दृष्टि से वह चाहते थे कि एक मामले के अभिलेख में कोई झुठे बयानों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये । नैतिक दृष्टि से यह बात अच्छी तरह समझ में आती है । जब किसी अपराधी के विरुद्ध अभियोग चलाया जाता है और जब वह न्यायालय के सामने आता है तथा मैजिस्ट्रेट जांच करता है, हमें दांडिक न्याय नियमों की विधि पर आधारित कुछ अत्यूत्तम बातों को ध्यान में रखना पड़ता है—मूल्य रूप से मानी जाने वाली बात यह है कि उसको अपने आपको बचाने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । सत्यता या झुठ के प्रश्न को ध्यान में रखना पड़ता है । किन्तु बचाव के सवाल को जो अपराधी के लिये खुला होना चाहिये, अन्य सब बातों से ऊपर प्राथमिकता मिलनी चाहिये । यही कारण है कि जहां तक अपराधी का सम्बन्ध है उसे पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । उसे किसी प्रकार की घबराहट में नहीं होना चाहिये कि वह जो कुछ बोलता है उसको विशिष्ट कार्रवाई में उसके विरुद्ध प्रयोग में नहो लाया जायेगा या उसके लिये उसे दंड नहीं दिया जाएगा । दंड मिलने की घबराहट एक ऐसा मामला है, जिसे दूर किया जाना चाहिये । इसी कारण

---

†मूल अंग्रेजी में

जब दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक इस सभा के सामने था और जब सामान्य किस्म के प्रश्न उठाये गये। संयुक्त समिति की सिफारिश यह थी कि किसी अपराधी व्यक्ति के किसी बचाव को करने के पूर्व अधिकार को खराब करने के लिये कुछ नहीं किया जाना चाहिये, चाहे और कुछ भी बातें क्यों न हों। यही कारण है कि एक टीकाकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस आधार पर संशोधन का जोरदार विरोध था कि इस परित्राण के हटाये जाने के पश्चात्, कुछ मामलों में उस आधार पर जांच, अपराधी को फंसाने के लिये, खोज पड़ताल करने के किस्म की होगी। इसलिये वह संशोधन स्वीकार नहीं किया गया था। बड़े स्पष्ट शब्दों में यह रखा गया कि अपने आपको बचाने का अपराधी का अधिकार पूर्ण था। यदि यह सिद्धान्त मान लिया जाता है, तो मेरे मित्र देखेंगे कि जो कुछ किया गया है, वह अपराधी जिस ढंग से अपने आपको बचाना चाहता है, उस के अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत को ध्यान में रखने के बाद भी सर्वथा उचित है।

दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या यह विशिष्ट छूट पूर्ण है। धारा ३४२(२) में लिखा है कि अपराधी ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से न्कार करके, या उनके गलत उत्तर देकर दंड का भागी नहीं बनेगा। यह उपबन्ध किया गया है कि यदि यह पाया जाता है कि उत्तर गलत है, उसे उस गलत बयान के लिये दंड नहीं मिलेगा।

धारा ३४२(२) के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा है अन्य उपबन्ध है जिनके अनुसार यदि एक अपराधी गलत बचाव करता है या गलत बयान देता है, तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। मुझे इस धारा की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना है।

> "अपराधी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करके या उनके गलत उत्तर देकर दंड का भागी नहीं बनेगा।"

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण उपबन्ध है। एक माननीय दस्य ने अपने भाषण के दौरान कहा कि वहां वे शब्द थे जिनसे पता चलेगा कि उसे अन्यथा पूर्ण छूट नहीं है; छूट केवल दंड न्यायालय द्वारा दंड के प्रश्न के बारे में है। इस में आगे कहा गया है:

"किन्तु न्यायालय और (यदि कोई है) तो उन इनकारी या अक्षरों से ऐसे निष्कर्ष निकाल सकती है जो वह ठीक नहीं समझती है।"

यह पूर्ण छूट पर एक रोक है। दूसरी रोक भी है —खंड ३४२(३) में कहा है:

> "अपराधी द्वारा दिये गये उत्तरों पर ऐसी जांच या मुकदमे में ध्यान दिया जा सकता है और किसी अन्य मूकदमे का अन्य किसी अपराध के लिये किसी दूसरी जांच में उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि उसने अमूक अपराध किया है।'

इसलिये आप देखेंगे कि गलत बयानों सम्बन्धी छूट एक बात के बारे में है: अपने बचाव को बचाने के लिये यदि उसके लिये गलत बयान देना आवश्यक हो जाता है। उसे उसके लिये दंड का भागी नहीं बनना पड़ेगा। उसे केवल यह छूट मिली है। दो जोरदार बातें हैं उनसे स्पष्टतः पता चलता है कि यदि अपराधी को गलत बयान देना है, उस पर ध्यान दिया जायगा। इसका यह अर्थ है कि हो सकता है कि उचित मामले में यदि जांच करने वाला न्यायालय समझता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसने अपने विशिष्ट बचाव के समय जान बुझ कर गलत बयान दिया है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। ये न्यायिक अभिव्यक्तियां हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। किन्तु न्यायालय और यदि कोई जुरी है तो वह उस इनकारी से ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो वह ठीक समझें।

[श्री दातार]

दूसरी बात है कि यदि उसके विरुद्ध कोई और अपराध या कार्रवाई आरम्भ की जाए तो उसे कोई सन्तुष्टि नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन्मुक्ति निर्बाध नहीं है' किन्तु सीमित मात्रा तक है जहां तक उस विशिष्ट कार्रवाई में दंडुसे उन्मुक्ति का सवाल है।

मा० प्रस्तावक मेरे से सहमत होंगे कि इस मामले में जहां तक उपबन्धों का सम्बन्ध है, वे अनिवार्यतः गलत बयानों को प्रोत्साहित नहीं करते। वे अनिवार्यतः जालसाजी को प्रोत्साहित नहीं करते किन्तु अपराधी के बचाव के अधिकारों को पक्का बनाने के लिये, इन अभिव्यक्तियों में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। अतः जब बचाव के प्रश्न पर विचार किया जाना है, हमें सैद्धान्तिक या राजनीतिक कारणों पर आधारित किसी अन्य अधिकार के विरुद्ध पूर्ण अधिकार हमें अभियुक्त को देना होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास जिस ढंग से वह चाहे अपने आपको बचाने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये। इसी कारण पूर्ण विचार के पश्चात् ये अभिव्यक्तियां रखी गई हैं।

गत शताब्दी में विविध न्यायिक निर्णयों के दौरान कुछ नहीं आया, क्योंकि ऐसी विधि लगभग एक शताब्दी से हमारी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे माननीय मित्र इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस धारा का जालसाजी को प्रोत्साहन देने का प्रभाव है। वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। हमारे सामने एक तुलनात्मक दृष्टिकोण भी रखना पड़ता है। यदि जैसा कि हम मानते हैं अपराधी व्यक्ति का अपने आपको जिस ढंग से वह चाहे बचाने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये, वह अधिकार सर्वोच्च होना चाहिये और अन्य बातें जो महत्वपूर्ण हों या जिनका कुछ मुल्य हो, वे मूल्य विचार के अधीन होनी चाहियें। यह धारा ३४२ के सम्बन्ध में जिस संशोधन का माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है।

विधेयक में, दूसरा संशोधन भी है जो उन्होंने धारा ५६२ के सम्बन्ध में पुरःस्थापित किया है। वहां भी, माननीय सदस्य का उद्देश्य पूर्णतया समझ में आता है। वह चाहते हैं कि यदि किसी अपराधी को धारा ५६२ के लाभ का हक है—जो सामान्यत या पहला अपराधी होता है—उसे परिवीक्षा के द्वारा बाहर निकलने का वह लाभ लेने का हक होना चाहिये, यदि जैसा कि उन्होंने कहा है, वह बिना कुछ छिपाये बिल्कुल सच्चा बयान देता है। जहां तक इन अभिव्यक्तियों का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो वे बेकार हैं, इस तथ्य के अलावा कि ऐसी अभिव्यक्तियां पूर्णतः उस किस्म की नहीं हैं जिनमें विधि सम्बन्धी अभिव्यक्तियां रखनी होती हैं। किसी जज के लिये एक विशिष्ट मामले में, धारा ५६२ के अधीन अपनी जांच करते समय इन सब प्रश्नों में पड़ना बहुत कठिन हो सकता है। उन्होंने ये शब्द प्रयोग किये हैं, "पूर्णतया सच्चा बयान" इसका यह अर्थ है कि ब्यौरे के सम्बन्ध में यह शतप्रतिशत सच्चा होना चाहिये। जहां तक ब्यौरे का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ के महत्वपूर्ण और कुछ के हल्के होने की संभावना है। किन्तु मा० प्रस्ताव चाहते हैं कि यह सच्चा पूर्णतया सच्चा बयान होना चाहिये। उन्होंने इसे "बिना कुछ छिपाये" कहते हुए अधिक स्पष्ट बनाने का भी प्रयत्न किया है।

जहां तक इन अभिव्यक्तियों का सम्बन्ध है मैं सभा को बताना चाहूंगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५६२ ने बहुत व्यापक अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया है जिसमें वे सब बातें आ जाएंगी जो माननीय सदस्य के मन में हैं। इन अभिव्यक्तियों का इस धारा में प्रयोग किया गया है। सब से पहले आयु का, फिर चरित्र का और तब अपराधी के पूर्व वृत्त का ध्यान रखा जाता है। इन तीन अभिव्यक्तियों में से अपराधी के चरित्र और उसके पूर्व वृत्त में वे सब बातें आ जाती हैं जो माननीय सदस्य के मन में हैं। चरित्र में सत्य कहना शामिल है और पूर्व वृत्त में वे क्षेत्र शामिल हैं जहां एक व्यक्ति

को, हालांकि झुठ बोलने का लोभ है, झुठ नहीं बोलता । इसलिये 'चरित्र और 'पूर्व वृत्त' शब्द पहले ही वहां हैं ।

दूसरी ओर यदि हम यह मानें कि इन शब्दों का विशिष्ट मामले में प्रयोग किया जाता है—ये शब्द स्वयं अधिनियम में हैं—और यदि किसी विशिष्ट मामले में, परामर्श या अन्य किसी परिस्थिति के कारण, व्यक्ति ऐसा बयान नहीं देता, तब, यदि मामला रिहाई के लिये या धारा ५६२ के अधीन परिवीक्षा पर अन्यथा मजबुत है, उसे हानि और बाधा होने की संभावना है । । इसलिये अपराधी के लाभार्थ, अपराधी को धारा ५६२ के अन्तर्गत परिवीक्षा पर अपने आपको रिहा करवाने के योग्य बनाने के लिये,मैं माननीय प्रस्तावक को बताना चाहता हूं कि दो शब्द अथात् चरित्र और पूर्व वृत्त पहले से विद्यमान हैं,जिसमें वह भाव आ जाएगा जो उनके मनमें है अर्थात् सत्यबोलने का उद्देश्य और अधिक बचा हो सकता है । यदि, उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति जान बुझ कर झुठ बोलता रहता है, उससे पताचलता है कि सचाई या सही चरित्र नहीं है । इसी प्रकार यदि उस व्यक्ति के पूर्व वृत्त को देखना पड़े, तो यह मालूम करना न्यायालय का हक होगा कि क्या उसने झुठ बोलने के लाभ को अपनाया है । इसमें भी पूर्व वृत्त शब्द शामिल है । इसलिये ये दो शब्द व्यापक हैं । इनमें वे बातें आ जाती हैं जो माननीय सदस्य के मन में हैं । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह मामला न्यायिक स्वविवेक पर छोड़ दिया जाए । न्यायालय सत्यभाषण के प्रश्न पर विचार करेंगे जहां तक वे समझते हैं कि यह संगत है और वे यह पता लगा सकेंगे कि क्या आदमी सच्चा था अथवा क्या उन शब्दों पर जोर देकर झुठ बोल रहा था जिसका उसे अपने न्यायिक स्वविवेक का प्रयोग करते हुए हक है । अत: मैं प्रस्ताव का इन शब्दों को रखने का उद्देश्य या प्रयोजन समझता हूं—उनका इरादा यह है कि अपराधी व्यक्ति भी झुठ न बोले । यदि वह सच्चा व्यक्ति है, इसका यह अर्थ है कि उसका चरित्र और पूर्व वृत्त अच्छे हैं । इसलिये उसे धारा ५६२ के वर्तमान शब्दों की दृष्टि से उस राहत का हक होगा जो वह वास्तविक या ठीक दोष वाले दंडित व्यक्ति को देना चाहते हैं । उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा । अत: मैं निवेदन करूंगा कि जब कि माननीय सदस्य का उद्देश्य पूर्णतया ठीक है, स्वयं अपराधी के हित में इसे करना आवश्यक नहीं है ।

यदि वह ऐसा करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि विधि आयोग दंड प्रक्रिया संहिता की जांच कर रहा है । इस समय में जो चर्चा हुई है उसे ध्यान में रखते हुए विधि आयोग को इस प्रश्न पर विचार करने का हक है और वे हमें इस सम्बन्ध में मूल्यवान सलाह दे सकते हैं । मैं आशा करता हूं कि मा० सदस्य इस आश्वासन को स्वीकार करेंगे और इसपर मत विभाजन का आग्रह नहीं करेंगे ।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने शायद मेरे इस विधेयक का उद्देश्य ठीक तरह से नहीं समझा है क्योंकि वे कहते हैं कि मैं यह चाहता हूं कि अपराधी भी केवल सत्य बात ही लाये । मेरा उद्देश्य विधेयक लाने में यह नहीं है । विधेयक में यह स्पष्ट रूप से बतला दिया गया है कि मैं केवल उन शब्दों को निकालना चाहता हूं जहां यह लिखा गया है कि वह झूठ बात भी बोल सकता है । कानून में जो आज्ञा दी गई है कि उसे झूठ बोलने का अधिकार है ही, मैं सिर्फ उस को निकालना चाहता हूं । इस लिये यह कहना कि मैं केवल यह चाहता हूं कि अपराधी झूठ न बोले, सत्य ही बोलें, यह गलत है । मैं तो केवल यह चाहता हूं कि कानून द्वारा उस को यह आज्ञा न मिली हो कि वह झूठ भी बोले । झूठ तो वह बोलता ही है, नित्य प्रति मैं देखता हूं कि कचेहरियों में लोग झूठ बोलते हैं । वहां केवल झूठ का ही व्यापार पनपता है । जहां तक आप ने कैरेक्टर या

[श्री म० ल० द्विवेदी]

एन्टिसीडेन्ट्स की बात कही, कितने हमारे देश में ऐसे सम्मानित वकील हैं जो झूठ बोलने को प्रोत्साहित नहीं करते ? उन का कितना ऊंचा कैरेक्टर है ? मैं नहीं कहता कि जो उन का चरित्र है वह ऊंचा नहीं है लेकिन क्या आप समझते हैं कि वे लोग अपराधियों को झूठ बोलने के लिये प्रोत्साहित नहीं करते, गवाहों को झूठ नहीं सिखलाते ? हम नित्य प्रति क्या देखते हैं ? जिन के चरित्र ऊंचे हैं, जो साधारणतया झूठ बोलने की बात नहीं सोचते हैं वे भी क्या अपराधियों को झूठ बोलने के लिये नहीं कहते ? हमारे मंत्री महोदय स्वयम् भी वकील रहे हैं, वे भी समझते हैं कि कितने वकील ऐसे हैं जो गवाहों को झूठ बोलने के लिये प्रोत्साहित नहीं करते ।

†**श्री दातार** : मा० सदस्य इसे क्यों इतने सामान्य तरीके से रखते हैं ? बुरी किस्म के वकील और ऐडवोकेट होते हैं जिन का उन्हों ने जिक्र किया है, किन्तु सब को बुरा नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी**: मेरा मतलब पूरे क्लास से नहीं है । उन लोगों से है जो ऐसा करते हैं । मैं समझता हूं कि ऐसे ईमान्दार लोग हैं जिन्हों ने ऐसा नहीं किया । महात्मा गांधी ने भी वकालत की । उन्हों ने कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया । उन को मैं ऐसे व्यक्तियों में शामिल नहीं करता हूं । लेकिन जो सत्य बात हो उसे कहना गलत बात नहीं है । अगर मैं सही बात नहीं कहता तो अपने देश के प्रति अपराधी होता हूं । किसी देश के जूरिस्प्रूडेन्स का मतलब यह है कि ऐसा विधि विधान तैयार किया जाय जिस से लोगों को न्याय मिल सके और अपराधी को दंड मिल सके । जिस देश में ऐसी व्यवस्था हो कि झूठ बोल कर भी अपराधी दंड से बच निकलने का अवसर पा जाता है, मैं समझता हूं कि वहां का विविध विधान और विविध विज्ञान पूरा नहीं है और वह देश न्याय देने में समर्थ नहीं है । मैं समझता हूं कि यहां जितने न्यायालय हैं उन में अधिकांश ऐसे हैं जहां पर गलत कार्रवाई होती है, झूठ के आधार पर निर्णय होते हैं और बहुत से अवसरों पर अपराधी छूट जाते हैं या गलत लोगों को सजा मिल जाती है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है हम शनैः शनैः अपने देश के विधि विज्ञान में और विधि विधान में, कानूनों में ऐसे संशोधन लायें जिस से कि सचमुच अपराधी पकड़ा जा सके और उसे दंड मिल सके, तथा झूठ बोल कर वह बचने का साधन न इकट्ठा कर सके । मेरा उद्देश्य यह है । मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है ।

झूठ तो हर अपराधी बोलता है लेकिन उस के लिये उस को सजा नहीं मिलती । अधिकांश गवाह झूठ बोलते हैं लेकिन उन्हें इस के लिये सजा नहीं दी जाती । इस का मतलब यह नहीं है कि हम उस को इजाजत दें कानून के अन्दर कि वह झूठ बोले । मेरी मंशा है कि यदि उसे झूठ बोलना ही पड़े तो वह झूठ बोले, लेकिन कानून के अन्दर ऐसी आज्ञा न हो । मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि झूठ बोलने की सजा दी ही जाय, लेकिन कानून द्वारा हम उसे ऐसा अधिकार न दें । इसलिये मंत्री महोदय ने जो दलीलें दी हैं वे उपयुक्त नहीं हैं । हम इस देश में अंग्रेजी कानून की नकल करते आये हैं और हमारे सचिवालय में अंग्रेजी कानून की ही नकल की जाती है । इसलिये वहां पर जो कुछ बना हुआ है वह हम आज भी इस देश में संजोये रखना चाहते हैं । आज हम ने स्वतंत्रता अर्जित की है, हमारे देश का पुरातन इतिहास है, हमारे देश में अपनी सभ्यता है । इस देश में अपना विधि विज्ञान था, हमारा अपना विधि विधान था । हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने विधान को इस तरह से बनायें कि वह किसी विदेशी विधान के मातहत न हो । उस में हम ऐसे संशोधन प्रस्तुत करें, हम उन की लकीर के फकीर न बने रहें । अंग्रेजी कानून में दिया है कि मैजिस्ट्रेट प्रश्न नहीं कर सकता, आप ने प्रश्न करने की व्यवस्था रक्खी लेकिन साथ ही साथ यह भी रक्खा कि अपराधी झूठ बोल कर अपना बचाव कर सकता है । आप की यह बात युक्तिसंगत नहीं है । वैसे आप मंत्री हैं, जो कुछ आप

†मूल अंग्रेजी में

को समझाया जाता है उस के मुताबिक आप उत्तर यहां पर दे देते हैं, क्योंकि आप को अपनी बचत में कुछ कहना है, लेकिन मैं जनता की बात कहता हूं, मैं ऐसी बात कहता हूं जिस से अपराधी को सजा मिल सके, मैं ऐसी बात कहता हूं जिस से हमारा विधि विधान न्याययुक्त बन सके । इसलिये जो उद्देश्य इस विधेयक का था, उस से आगे मैं और भी विधेयक लाना चाहता हूं और संसद् के सदस्यों से भी चाहता हूं कि वे इस तरह के विधेयक लाय । अगर आप चाहते हैं कि संसद् के सदस्य यह काम न करें, केवल न्यायालय पर छोड़ दें सच बुलवाने का काम, तो ऐसी संसद् की कोई आवश्यकता नहीं है ।

कानून संसद् में बनते हैं और न्यायालय उनका पालन करते हैं । न्यायालयों पर उत्तरदायित्व इस बात का है कि जो विधि हम बनायें उस का वे पालन करें । संसद् का यह अधिकार आप नहीं छीन सकते कि हम विधियों को बना कर न्यायालयों के पास भेजें और वे उन को लागू करें । जब भी न्यायालयों के न्यायाधीश ऐसे किसी कानून का गलत मतलब निकालते हैं तब हम उस पर संशोधन लाते हैं और उन को ठीक तरह से रास्ते पर ले आते हैं ।

मंत्री महोदय ने जो दूसरी बात कही उस से मैं सहमत हूं । वे कहते हैं कि यदि इस विधेयक के मूवर, यानी मैं, चाहूं तो वे इस विधेयक को ला कमिशन के पास भेज सकते हैं । मैं चाहता हूं कि यह जरूर ला कमिशन के पास भेजा जाय क्योंकि ला कमिशन में ऐसे लोग हैं जो सोच सकते हैं कि इस कानून में तरमीम करने की कहां तक गुंजाइश है, और यह कितनी अच्छी बात है । यदि वे इस नतीजे पर पहुंचें कि मेरा संशोधन उचित नहीं है और वे इस को तर्क कर दें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा । लेकिन अगर वे स्वीकार कर लें तो मंत्री महोदय को चाहिये कि वे यहां पर विधेयक प्रस्तुत करें और मेरे संशोधन को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें । अगर यह बात मंत्री महोदय स्वीकार कर लेंगे तो मैं इस सम्बन्ध में उन की बात मानने के लिये तैयार हूं ।

जहां तक दूसरे सदस्यों का सवाल है, दो, चार सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कुछ विरोध भी किया है और मंत्री महोदय ने भी कहा कि इस विधेयक का विरोध अधिक था । मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने विरोध किया वे एक पेशे के लोग थे । उन के ऊपर जो चोट की गई इस सदन में, उन्हें वह बुरी लगी और इसलिये उन्हों ने जो इस विधेयक का विरोध किया है वह कोई तर्कसंगत विरोध नहीं था । उन्होंने दूसरी बातों में बहके बहके किया । पर ऐसा अवसर आया, अध्यक्ष महोदय जो उस समय बैठे थे उन्होंने प्रश्न किया और सब बातों को उन्हों ने स्वीकार भी किया, और जो विरोध में बोलने वाले थे उन्होंने कहा कि "आई कंसीड" । जहां तक श्री डी० सी० शर्मा का सवाल है वह तो कहते हैं :

"उस के लिये सब उपाय खुले होने चाहियें ताकि वह अपने आप को छुड़ा सके ।"

उन का निशान यह है कि वह एटिक्व हो सके, चाहे उस का जुर्म कितना ही बड़ा हो लेकिन सब साधन दिये जायें जिस से वह एक्विट हो सके । मैं चाहता हूं कि ऐसे सब साधन जुटाये जायें जिस से कि अपराधी को दंड मिल सके और वे चाहते हैं कि सब साधन जुटाये जायें कि अपराधी छूट जाये । तो अपराध की वृत्ति बढ़ाने की बात जो मन में है वह कहां तक तर्कसंगत है और आप इस विरोध को कहां तक सही मानते हैं ? मैं नहीं समझता कि इस में कोई विशेष विरोध था । जो विरोध था वह वास्तविकता पर आधारित नहीं था, वह केवल कल्पना पर आधारित था । मैं समझता हूं कि श्री शर्मा को इस देश के विधि विधान का, जूरिस्प्रूडेन्स का ज्ञान नहीं है, वरना वह जरूर समझते कि जिस देश में न्याय की व्यवस्था स्थापित करनी है वहां की न्याय विधि ऐसी बननी चाहिये कि वह अपराधी को दंड दिलाने में समर्थ हो न कि झूठ बोल कर बच निकलने में ।

[श्री म० ल० द्विवेदी]

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पुनः आप के सामने रखता हूं । अव्वल तो इसे पास किया जाय, लेकिन यदि मंत्री महोदय इस को विधि आयोग के पास भेजना चाहें तो मैं इस को वापस लेने के लिए तैयार हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या विधेयक को वापिस लेने के लिये सभा मा० सदस्य को अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस ल लिया गया ।

सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक

(धारा ५ का संशोधन)

†**श्री दातार :** जहां तक श्री बिष्ट के विधेयक का संबंध है यह एक भ्रांति से आरंभ होता है। मूल अधिनियम १९५७ में पारित किया गया था । उन का मत था कि उस में उल्लिखित पांच वर्ष की अवधि इस वर्ष समाप्त होने वाली है । यह सही नहीं है । स्वयं अधिनियम में यह बात स्पष्ट की गई है कि पांच वर्ष की अवधि अधिसूचना की तारीख से है । अधिसूचना १९५९ में जारी की गई थी अतः यह १९६४ तक चलेगा और हमारे पास हिमाचल प्रदेश तथा अन्य स्थानों के बारे में इस विशेष छूट पर विचार करने का पर्याप्त समय है । इस अधिनियम द्वारा यह किया गया है कि कुछ मामलों में निवास स्थान संबंधी आवश्यकता कायम रखी जाय । मा० प्रस्तावक द्वारा इस विधेयक को विचारार्थ पेश किये जाने से पहले इस पहलू पर विचार किया जा सकता है ।

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) अधिनियम, १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

१९५७ में पारित इस विधेयक में विकास की शर्त के बिना सब भारतीयों को नौकरी मिलने का उपबंध किया गया था । कुछ राज्यों में निवास संबंधी शर्त थी, किन्तु इस अधिनियम द्वारा समान नियम सब के लिये बनाया गया । इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना क्षेत्र में पांच वर्ष तक स्थानीय लोगों में से नियुक्तियां करने की छूट दी गई है । मैं इस अवधि को दस वर्ष तक बढ़ाना चाहता हूं ।

इस उपबंध के बारे में गंभीर विचार किया गया, राज्यों से परामर्श किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन को देखा गया और सभा पटल पर गृह कार्य मंत्रालय का ज्ञापन रखा गया । पांच वर्ष की अवधि इस छूट के लिय नाकाफी है । राज्य सभा में माननीय मंत्री ने स्वीकार किया था कि कुछ लोग इस अवधि को नाकाफी समझते हैं । तब हमने इस की प्रगति को देखने के लिये यह अवधि निर्धारित कर दी थी । माननीय मंत्री ने कहा था कि कुछ पिछड़े हुए राज्यों को शैक्षिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिये इस अपवाद से प्रोत्साहन मिलेगा । इतनी छोटी अवधि में शिक्षा संबंधी उन्नति आदि होना संभव नहीं है और इस अवधि में इस की प्रगति भी आंकी नहीं जा सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उस समय जब विधेयक पारित किया गया था यह अनुभव किया गया था कि पिछड़े क्षेत्रों को उन्नत क्षेत्रों के स्तर पर आने के लिये कुछ वर्षों की छूट दी जाए। मैं इस अवधि में हुई नियुक्तियों आदि के आंकड़े एकत्र नहीं कर सका। प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने इस कक्षा का लाभ उठाया है क्या वे बिना किसी सहायता के अपनी टांगों पर खड़े होने में समर्थ हैं। यह धारा मुख्य अधिनियम में धारा ३ जोड़ी गई थीं।

यह विधेयक बड़ा नहीं, इस में विवादास्पद बातें नहीं। मैं आशा करता हूं कि इस में दिये गये संशोधनों के सुझाव स्वीकार किये जायेंगे।

क्या उनके पास स्थानीय लोगों की नियुक्तियों संबधी आंकड़े हैं विशेषकर अधीनस्थ और तहसीलदारों के पदों के बारे में। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बारे में भी समय का विस्तार किया गया था। अतः इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाए।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): आज श्री दातार ने नौकरशाही प्रवृत्ति का परिचय दिया है कि उन्होंने घटनाओं की पूर्व कल्पना नहीं की, केवल प्रतीक्षा की है। अर्थात् यदि यह अधिनियम १९६४ में ठीक है, तो हमें आज ही क्यों इस के बारे में चिन्ता करनी चाहिय। इस प्रकार विधेयकों को नहीं लेना चाहिये।

श्री बिष्ट को यह विधेयक पेश करने के लिये धन्यवाद दिया जाना चाहिये था, जिसे हमारे मंत्री १९६३ या १९६४ में लाते। किन्त वह ऐसा न करके उस समय की प्रतीक्षा में बैठे हैं।

हमें राष्ट्रीय मामलों में दूरदर्शिता से काम लेना चाहिये। मुझे खेद है कि इस मामले में मंत्री जी ने ऐसा नहीं किया बल्कि यह दृष्टिकोण अपनाया है कि चूंकि अभी कोई समस्या नहीं, अतः हमें इस पर आज विचार करने की जरूरत नहीं है। हमें समय का उपयोग उठाना चाहिये जब श्री बिष्ट ने यह विधेयक पेश किया ह।

१९५७ में पारित इस अधिनियम के अन्तर्गत १९५९ में नियम लागू किये गये। यह भी नौकरशाही प्रवृत्ति का काम है। क्या मंत्रालय दो वर्षों तक सोता रहा कुम्भकरण की निद्रा में? अतः नियम १९६४ तक प्रभावी रहेंगे। गृह कार्य मंत्रालय से इस का कारण पूछा जाना चाहिये।

मैं तीसरी बात यह बताना चाहता हूं कि इस सभा में कितनी ही बार पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में चर्चा हो चुकी हो और सरकार ने भी इन पिछड़े क्षेत्रों की जानकारी के लिए एक आधार बनाया है कि वहां पर प्रति व्यक्ति आय कम हो। रहन सहन का स्तर नीचा हो। परन्तु फिर भी मुझे खेद है कि हमारा योजना आयोग यह नहीं समझ पाया है कि पिछड़े क्षेत्र कौन कौन से हैं। उदाहरणतः यदि हम नेफा, मनीपुर, त्रिपुरा तेलंगाना आदि को लें तो मालूम हो जाता है कि वहां की स्थिति बिल्कुल सरकार द्वारा बनाये गये पिछड़े क्षेत्र के आधार के अनुसार है परन्तु इनको पिछड़े क्षेत्र में नहीं रखा गया है। मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य तथा मंत्री महोदय इस पर विचार करें और नेफा और नागालैंड को पिछड़े क्षेत्र में रखें।

मैं समझता हूं कि यह तो उपबन्ध किया जा रहा है यह बिल्कुल उचित है और हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे इन लोगों को तृतीय श्रेणी की नौकरियां, जैसे प्राइमरी स्कूल अध्यापक,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

लोअर डिवीजन क्लर्क, पटवारी आदि की मिल सकें और यह अपने क्षेत्रों में प्रभावोत्पादक रूप से काम कर सकें। हमें तहसीलदार भी इन्हीं क्षेत्र के व्यक्तियों को बनाना चाहिए क्योंकि यह राजस्व अधिकारी होते हैं और उस क्षेत्र की पूर्णतः जानकारी रखते है। वहां की भाषा समझते हैं। रीति रिवाज जानते हैं।

इन्हीं सब कारणों से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री भी इसको स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री दातार :** संविधान के अनुच्छेद १६ में दिया हुआ है कि समस्त भारत में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सभी को समान अवसर मिलेंगे। इसी कारण संविधान में राष्ट्रीय एकीकरण का महत्वपूर्ण सिद्धांत रखा गया था।

इसके अतिरिक्त संविधान लागू करते समय भारत में कुछ ऐसे अधिनियम तथा नियम लें जिनको हम अधिवास संबंधी प्रतिबन्ध कहते हैं। कुछ राज्यों में निवास अर्हता आवश्यक की गई थी। इसीलिए इस प्रश्न पर विचार करते समय संविधान के अनुच्छेद १६(३) में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस अनुच्छेद में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके द्वारा संसद यह निर्धारित करने वाला कानून बना सकेगी आदि आदि। अनुच्छेद ३५ में यह रखा गया था कि संसद चाहे तो अधिवास संबंधी प्रतिबन्ध पूर्णतः हटा दे या उनको ज्यूं का त्यूं स्वीकार कर ले। परन्तु अनुच्छेद ३५ खण्ड (क) में यह भी दिया हुआ है कि संसद को यह अधिकार होंगे तथा राज्य विधान मंडलों को यह अधिकार नहीं होगे कि अनुछेद १६(३) के अन्तर्गत कोई कानून बना सकें। इसीलिए संविधान लागू होने पर हमने भारत के राज्यों के सभी नागरिकों को नियुक्ति आदि के समान अधिकार की पहले से ही चली आ रही व्यवस्था करने दी। परन्तु १९५७ में हमने सरकारी रोजगार (विशेष निवास की आवश्यकता) अधिनियम, १९५७ बनाया था। ७ दिसम्बर, १९५७ को इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई थी।

इस अधिनियम के अनुसार यह व्यवस्था रखी गई थी कि सभी राज्यों के अधिवास प्रतिबन्ध वाले सभी कानून राष्ट्रीय एकता के हित में समाप्त किए जाने चाहिए। इसी कारण मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि १९५७ में संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम एक प्रगतिशील कार्यवाही थी।

दूसरा प्रश्न तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मनीपुर के बारे में है। मैं बताना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों के लोग चाहते थे कि कुछ और समय तक अधिवास प्रतिबन्ध इन क्षेत्रों में लगे रहें और इस लिए संसद में सामान्य नियम में अपवाद स्वरूप इन क्षेत्रों के लिए पांच वर्ष की अवधि और बढ़ा दी थी।

इस समय यह संशोधन विधेयक तीन क्षेत्रों के संबंध में है और मैं इसमें और क्षेत्रों को शामिल करना नहीं चाहता। जब शामिल करना नहीं चाहता तो उनके संबंध में उठाये गये प्रश्नों के उत्तर भी देश देना बेकार है।

मेरे मित्र ने १९५९ में लागू किए गए नियमों के बारे में शिकायतें की। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमें इसके लिए राज्य सरकारों का परामर्श लेना होगा। हमने राज्यों का परामर्श

†मूल अंग्रेजी में

लिया था तब नियम बनाये थे और उनको सभा पटल पर रखा गया था और १९५९ मार्च में लागू किया गया था । इसीलिए पांच वर्ष की अवधि १९५९ से गिनी गई थी । मेरे मित्र को यह समझना चाहिए । मैंने उस समय बताया था कि यह पांच वर्ष का समय हटाना पड़ेगा । यह केवल अपवाद है और हमें इस अपवाद का प्रभाव देखना है । इसलिए १९६४ में अधिनियम की अवधि समाप्त होने पर हमें इस पर विचार करना होगा ।

मैं समझता हूं कि माननीय प्रस्तावक ने इस विधेयक को इस लिए प्रस्तुत किया है कि संभव है वह समझ रहे हों कि यह अवधि समाप्त हो गई हो । मैं बताना चाहता हूं कि यह अवधि समाप्त नहीं हुई है । अवधि समाप्त होने पर सरकार पूरे प्रश्न पर विचार करेगी और आवश्यक होने पर समय और बढ़ा देगी ।

अधिक कुछ न कह कर मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थिति का पूरा निरीक्षण करने के बाद कोई कार्यवाही की जा सकती है । इस समय यह संभव नहीं है कि इस विधेयक को स्वीकार किया जा सके । मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस पर बल न दें ।

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इन क्षेत्रों के निवासियों की सेवाओं में भरती होने के आंकड़े इकट्ठा करें जिससे यह पता लग सके कि काम किस प्रकार आगे बढ़ा रहा है ।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने यह बताया है कि समय आने पर वह इस पर विचार करेंगे और इसी कारण मैं इस पर आग्रह नहीं कर रहा हूं । मैं विधेयक को वापस लेने की सभा की अनुमति चाहता हूं ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया

विधान परिषदें (रचना) विधेयक

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्यों की विधान परिषदों की रचना तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को, उस पर राय जानने के लिये ३० सितम्बर, १९६२ तक परिचालित किया जाये ।"

इस समय कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद् की व्यवस्था है । परन्तु कुछ छोटे राज्य ऐसे भी हैं जिनमें विधान परिषद् की व्यवस्था नहीं है । मेरे इस विधेयक का यह उद्देश्य है कि जिन राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं उन राज्यों में इनकी व्यवस्था की जाये । संविधान के अनुच्छेद १७१ (२) में दिया गया है कि जब तक संसद् कानून से व्यवस्था न करें--विधान परिषद् का गठन खण्ड ३ के अनुसार होगा । इससे स्पष्टतया मालूम हो जाता है कि संविधान निर्माताओं का विचार संसद् बन जाने के बाद अधिक विधान परिषदें बनाने का था ।

[श्री मूल चंद दुबे पीठासीन हुए]

इस सम्बन्ध में म अनुच्छेद १७१ के खण्ड का निर्देश करता हूं । उसमें दिया गया है कि माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को १/१२ प्रतिनिधित्व दिया जायेगा । मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को भी इनमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । इसी प्रकार संविधान के बनते समय

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्रीनारायण दास]

बहुत सी ऐसी संस्थायें थीं जिनका प्रतिनिधित्व करने की आवाज उस समय सभा में नहीं उठाई गई थी। इनके अतिरिक्त ज्यूं ज्यूं देश का विकास होता गया त्यूं त्यूं अन्य कई संस्थायें ऐसी सामने आईं जिनका इनसे प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिये। मैंने इसीलिये इस विधेयक को प्रस्तुत किया है जिससे इन सभी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व इनमें हो सके।

मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता केवल यहीं बार बार बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसे हित तथा संस्थाओं को जिनका प्रतिनिधित्व विधान परिषदों में नहीं है उनका प्रतिनिधित्व इनमें हो जाये। मैंने इसी बात का ध्यान रखते हुए इस विधेयक के परिचालन का प्रस्ताव किया है तथा विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। इसीलिये मैं चाहता हूं कि संसद् सर्वोच्च संस्था होने के नाते ऐसी व्यवस्था करदे जिससे विधान परिषदों में देश के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व हो जाये। मेरी माननीय सदस्यों तथा माननीय मन्त्री से प्रार्थना है कि वह मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदय, हमारे मित्र श्री नारायण दास जी ने जो विधेयक उपस्थित किया है उसका हम स्वागत करते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि जो काउंसिलों का चुनाव हुआ है उसको देखते हुए हमें अपने विधान में कुछ संशोधन करना है। यह आवश्यकता इसलिए है कि जिस अफसर क्लास को हमने लोकल बाडीज़ में स्थान दिया है ज्यादातर चुनाव उसके इनीशिएपटव पर होने लगा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अन्तरिम जिला परिषद् में कहीं कहीं १२० और १३० सदस्य हैं। उनमें एक्स आफिशियो मेम्बर की हैसियत से आफिशियल क्लास की तादाद ८० है कहीं ७० है। आफिशियल क्लास है इसकी हिम्मत रूलिंग पार्टी के खिलाफ वोट देने की नहीं हो सकती।

केवल हिन्दुस्तान में ऐसा है कि हमने अधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि वह राजनीति में भाग लें और राजनीति में हस्तक्षेप करें। एक तरफ यदि हम उनको वोट देने का अधिकार देते हैं तो लोकतन्त्र का यह तकाजा है कि अधिकारियों को भी हम अधिकार दें कि वह काउंसिलों के लिये खड़े हो सकें और वोटे मांग सकें। अभी उत्तर प्रदेश में एक चुनाव हुआ है काउंसिल का। उस चुनाव में देखा गया है कि अधिकारी वर्ग ने, चूंकि उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था, खुल कर किसी न किसी पार्टी का समर्थन किया। इस वास्ते सिद्धान्ततः मैं इस बिल का इसलिये स्वागत करता हूं कि अधिकारियों को जो वोट देने का अधिकार दिया गया है यह लोकतन्त्र की बुनियाद पर एक कुठाराघात है और इसको अविलम्ब हटाना चाहिये।

हमारे मित्र श्री नारायण दास जी ने जो विधेयक उपस्थित किया है उसको अगर देखा जाए तो हमारे कांस्टीट्यूशन की धारा १७१ के अनुसार पांच वर्गों को काउन्सिल में मत देने का अधिकार दिया गया था। श्री नारायण दास जी के बिल का यह अर्थ लगता है कि असेम्बली से जो एक तिहाई सदस्य चुन कर काउंसिल में जाते थे उनको उन्होंने हटाया है और उसको हटा कर उन्होंने एक तिहाई सदस्यों का चार वर्गों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया है। उनमें एक है पंचायत, दूसरा है कोआपरेटिव सोसाइटी, तीसरा है कामर्स और इण्डस्ट्री और चौथा है टिलर आफ दी साइल। ये चार कैटेगरीज़ आपने रखी हैं। एक तिहाई मेम्बर लेजिस्लेटिव असेम्बली कांउन्सिल में चुन कर भेजती थी उनको अधिकार न देकर इन चार कैटेगरीज़ के लोगों को वह अधिकार दिया है। लोकल बाडीज़ और सैकिंडरी स्कूल्स को आपने दो हिस्सों में कर दिया है। बारहवां हिस्सा आपने उन स्कूलों के अध्यापकों को दिया है जो सैकिंडरी स्कूलों से छोटे स्कूल हैं। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। इसी तरह से आपने लोकल बाडीज़ को दो हिस्सों में कर दिया है, एक म्युनिसिपैलिटी और दूसरा अन्तरिम जिला परिषद्। एक प्रकार से

देखा जाए तो यह भी कुछ अंशों में अच्छा है। लेकिन इस बिल में मैं एक संशोधन चाहता हूं जैसा कि मैंने कहा है, जो अधिकारी वर्ग है, जो किसी न किसी रूप में सरकार के नौकर हैं, उनको काउंसिल के चुनाव में भाग नहीं लेने देना चाहिये।

साथ ही साथ मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है इसलिये इसको जनता की राय जानने के लिये भेजा जाए, और जितनी राज्य सरकारें हैं उनसे भी राय लेकर एक अच्छे रूप में यह विधेयक उपस्थित किया जाए तो अच्छा हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री कु० चं० शर्मा** (सरधना) : हमारे ४००० से ५००० वर्षों के इतिहास में कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया है जब साधारण जनता को सर्वप्रभुता के अधिकार दिये गये हों। हमारे संविधान में भी ऐसी ही व्यवस्था है। ऐसे समय में परिषदों की मैं आवश्यकता हो नहीं समझता हूं और चाहता हूं कि इनको एक दम बन्द कर देना चाहिये क्योंकि परिषदों में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि परिषदों का निर्माण ही हमारे सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है। यह एक निरर्थक संस्था है। यह जनता की भलाई का कोई काम नहीं करती है। आप सांख्यकों देखिये। बहुत कम विधेयक आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें राज्य परिषदों ने कोई परिवर्तन किया हो। इसलिये मैं समझता हूं कि यह परिषदें एक दम बेकार सिद्ध हो गई हैं। इनको समाप्त किया जाना चाहिये क्योंकि इनका कोई उपयोग नहीं है ; इन शब्दों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस बात से सहमत हूं कि इन परिषदों का कोई महत्व नहीं है। मेरी राय है कि ये परिषदें अथवा उच्च सभा, अथवा राज्य सभा आदि समाप्त कर देनी चाहियें। और ऐसा करना देश के हित में ही होगा। ये बहुत थोड़ा काम करती हैं। मेरा विचार है कि राज्यों में इन परिषदों एवं केन्द्रों में राज्य-सभा का कोई उपयोग नहीं है। इन पर वैसे ही धन व्यय हो रहा है।

अभी हाल में जो निर्वाचन हुए हैं उनसे प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति जो उल्टा सीधा काम करके निर्वाचन में मत पा सकता है वह इन परिषदों अथवा राज्य सभा का सदस्य हो सकता है।

देश में जितने भी उद्योगपति हैं वे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इन परिषदों एवं राज्य सभा के सदस्य हो जाते हैं और सदस्य बन कर सरकार की नीति में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं।

मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि विधान सभाओं के सदस्य एक तिहाई सदस्य इन परिषदों के लिये चुने। मेरा विचार है कि इनका भी चुनाव होना चाहिये। और इनमें सभी वर्गों के लोग आयें।

इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि यह विधेयक अच्छा है। वर्तमान पद्धति के अनुसार तो वे लोग ही इन परिषदों एवं राज्य सभा के सदस्य बनते हैं जिन्हें किसी दल विशेष का समर्थन मिलता है। अधिकतर लोग इन परिषदों एवं राज्य सभा में हेरा फेरी करके ही आते हैं।

हमारे देश में अतः राज्य सभा और इन परिषदों की बिलकुल भी आवश्यकता नहीं है। इन पर वैसे ही काफी धन व्यय होता है। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि इनको समाप्त कर देना चाहिये और यदि इनको समाप्त नहीं कर सकते तो कम से कम इतना अवश्य करना चाहिये कि इनका गठन इस ढंग से हो ताकि इसमें सभी वर्गों के लोग आयें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं कि कम से कम सभा इस विधेयक की भावना का आदर करेगी और उसे स्वीकार करेगी।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** (रायगंज) : वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत जिसमें एक ही दल का दोनों सदनों मे बहुमत है, उच्च सदन की उपयोगिता समाप्त हो गई है।

यदि अध्यापकों को व्यवसायिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उनके समस्त वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। विधेयक में कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के प्रतिनिधित्व के लिये भी उपबन्ध होना चाहिये था। साथ ही राजनीति में भाग लेने वाले अध्यापकों के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये।

पत्रकारों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। विधेयक में सहकारी समितियों के लिये निर्वाचन एवं नामांकन द्वारा प्रतिनिधित्व का उपबन्ध है। विधेयक के प्रस्तावक को स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहिये।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारासाट) : इस विधेयक का इस रूप में तो मै समर्थन नहीं करता बल्कि इतना अवश्य करता हूं कि इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता है और प्रस्तावक महोदय निश्चय ही बधाई के पात्र हैं।

राज्यों में दूसरी सभा रखने की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। सभी राज्यों में दूसरी सभा है भी नहीं। कुछ ही राज्यों में है। वर्तमान परिषदों की रचना समयानुकूल नहीं है। यदि कुछ राज्यों में बिना परिषदों के काम चल सकता है तो यह बात समझ में नहीं आती कि अन्य राज्य उसके बिना अपना काम क्यों नहीं चला सकते हैं।

परिषदों मे अध्यापकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली से शिक्षा पद्धति और समाज को बहुत हानि हुई है। उनको राजनीति से अलग रखा जाना चाहिये था। इस सम्बध में विधेयक में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। अध्यापकों का प्रतिनिधित्व सर्वथा खत्म कर देना चाहिये। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व को विधान सभाओं में स्थान नहीं मिलना चाहिये।

हमारे देश में पंचायतों की स्थापना की जा रही है। हमारा उद्देश्य इन पंचायतों के द्वारा प्रशासन करना है। यदि राज्यों में उच्च सदन को रखना ही है तो उसका आधार केवल पंचायतों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये अन्य किन्हीं भी निकायों का नहीं विकेन्द्रीकरण योजना के पूर्व क्रियान्वयन पर नगर पालिकाएं और जिला बोर्ड सर्वथा खत्म हो जायेंगे वाणिज्य मण्डलों, वकीलों, पत्रकारों तथा अन्य व्यवसायों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

जहां तक दोनों सदनों में एक ही दल के बहुमत की बात है वह हमेशा सम्भव नहीं है। कभी ऐसा समय आयेगा जबकि एक या दो राज्यों के दोनों सदनों में एक ही दल का बहुमत नहीं होगा।

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि विधेयक को परिचालित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

†**श्री प्र०र० चक्रवर्ती :** (धनबाद) : इस विधेयक से दो प्रश्न उठते हैं। एक तो यह है कि राज्यों तथा केन्द्र में जो परिषद् एवं राज्यसभा है क्या वे इसी रूप में रहे अथवा इनका कोई दूसरा रूप हो। यह

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रथा पुरानी परम्परा पर आधारित है। इस समय केन्द्र और राज्यों के उच्च सदन सर्वथा निरर्थक है। यदि उनमें जनता के प्रतिनिधित्व का दावा किया जाता है तो वह प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष रूप में है। यदि द्वितीय सदन के सिद्धान्त पर चर्चा करने का उद्देश्य है तो वह विस्तारपूर्वक की जानी चाहिये।

इस विधेयक को परिचालित किया जाना चाहिये। इससे यह लाभ होगा कि हमें यह कहने का अवसर मिलेगा कि द्वितीय सदन की आवश्यकता है या नहीं और क्या उनका रखना उपयुक्त भी है अथवा नहीं। जहां तक परिषदों में व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, पंचायतों, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। श्रमिकों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। अन्त में मैं यही सुझाव दूंगा कि यह विधेयक जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : इस विधेयक के उद्देश्य एवं लक्ष्यों से मैं सहमत नहीं हूं। अतः मैं इसका विरोध करता हूं। आजकल सत्ता जनसाधारण के हाथ में है। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि यह सत्ता जनसाधारण के हाथ में न रह कर कुछ धनीमानी लोगों के पास भी आये। बस इसी उद्देश्य को सामने रख कर उन्होंने इन परिषदों की स्थापना की।

मेरे विचार में ये परिषदें तथा ऊपरी सदन अनावश्यक हैं। ये प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और सुनोयोजित अर्थ व्यवस्था में बाधक हैं। वे सर्वथा व्यर्थ संस्थाएं हैं तथा उनके कायाकल्प का विचार करना भी निरर्थक है। वे केवल कुछ निहित स्वार्थों को प्रतिनिधित्व देने के लिये हैं जो यह नहीं चाहते कि जनसाधारण को सत्ता मिले। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक का विरोध किया जाना चाहिये। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इन परिषदों का रूप फिर से ठीक किया जाये। आज हर आदमी इन परिषदों से असन्तुष्ट है। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि सरकार को प्रशासन का विकेन्द्रीकरण समाप्त करना चाहिये। योजना के क्रियान्वयन के लिये शक्ति एवं जिम्मेदारी जिला प्राधिकारियों में विनिहित की जाये।

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

†**श्री लहरी सिंह** (रोहतक): सभापति महोदय, आम आदमियों का ख्याल है और तमाम जनता का ख्याल यह है कि अपर हाउस जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसका तोहफा होता है और जो भी पार्टी एलेक्शन में मदद करती है उसको रूलिंग पार्टी कहती है कि तुम्हें एम० एल० सी० बनवा देंगे। तुम्हें राज्य सभा में भिजवा देंगे और तुम्हें यह कर दिया जायेगा और वह कर दिया जायेगा। दरअसल यह अपर हाउस रूलिंग पार्टी ने अपने उन मेम्बरों को खुश करने के लिये रक्खा है जिनको कि डाईरेक्टली नहीं ला सकी है। उनको जैसे अंग्रेजों के वक्त कह दिया जाता था कि जाओ तुम्हें मुरब्बे मिल जायेंगे, तुम्हें यह तोहफा मिल जायेगा, उसी तरह से जो कोई भी रूलिंग पार्टी होती है वह अपने आदमियों को जहां कहीं भी यह अपर हाउस हैं वहां पर इनको एकोमोडेट कर लेती है। दरअस्ल यह अपर हाउस रूलिंग पार्टी ने अपने आदमियों को एकोमोडेट करने के लिये ही बनाये हुए हैं। लेकिन आम जनता की आवाज का जहां तक ताल्लुक है जितनी भी असेम्बलीज हैं उनमें हर एक मेम्बर की स्पीच आप उठा कर देख लें हर एक सैशन में हर एक की यही डिमांड रहती है कि खुदा के वास्ते इस अपर हाउस को तोड़ दो। हमारे काफी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं और थर्ड फाइव इयर प्लान में काफी रुपया लगने वाला है और इस पर कहते हैं कि सफेद हाथी बांध लो। अब इसका नतीजा क्या होता है? काफी खर्चा उस पर होता है। पब्लिक रोती है उस पर आये दिन स्ट्राइक लगते हैं। अभी पंजाब में लगे हैं और अन्य जगहों में लगे। सब कहते हैं कि खुदा के वास्ते इस सफेद हाथी को हटा लिया जाये। अपर हाउस को एबौलिश करने की सब की मांग है और अगर इसको एबौलिश कर दिया जाता तो मैं तो इसे वैलकम करता ही, पब्लिक भी वैलकम करती और दूसरे लोग भी वैलकम करते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लहरी सिंह]

मैं श्री नारायण दास को इसके लिये मुबारकबाद देता हूं कि वह यह प्रस्ताव हाउस के सामने लाये। रूलिंग पार्टी के होते हुए भी एम० एल० एज० को कौंसिल के बारे में जो राइट नहीं दिया है और उनसे उसको छीनना चाहा है उससे मैं बड़ा खुश हूं और यह वाकई उन्होंने एक बड़ा कदम यह सुझाव देकर उठाया है। लेकिन मुझे अंदेशा है कि कहीं आखिरी वक्त में यह अपने इस प्रस्ताव को वापिस न ले लें क्योंकि फैसला उन्हीं की पार्टी को करना है, फायदा उन्हीं को होना है, किसी अपोजीशन के आदमी का फायदा नहीं होने वाला है। यह जो उन्होंने कदम उठाया है कि इन के एम० एल० एज० जोकि हर एक सूबे में अकसीरियत में हैं वह कौंसिल में एलेक्ट करके किसी को न भेज सकें, यह वाकई बड़ा भारी कदम हैं और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हुं। मैं चाहूंगा कि वह अपने कदम को पीछे न हटायें लेकिन मुझे अंदेशा है कि आखिरी वक्त में जब लीडर आफ दी हाउस उनको समझायेंगे तो मेरा ख्याल यह है कि वह इसको वापिस ले लेंगे और अपना कदम पीछे हटा लेंगे।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां देखो बस एलेक्शन ही एलेक्शन है। देहातों और शहरों में सब जगह एलेक्शन की ही धूम मची हुई है। किसान खेती न करें, दुकानदार दुकानदारी न करें बस एलेक्शन के चक्कर में पड़े रहें। पहले तो पंचायतों के एलेक्शन्स होंगे, और उसके बाद कुछ दिनों में ब्लाक समितियों के एलेक्शन्स होंगे। सारे देश में चक्कर हो जायेगा। फिर ब्लाक समिति के बाद जिला परिषदों का चुनाव होगा, जिला परिषद् के बाद विधान सभा का चुनाव होगा और उसके बाद में यह अपर हाउस का होगा। लोग कहते हैं कि भाई हर रोज एलेक्शन ही एलेक्शन है आखिर यह क्या गवर्नमेंट है।

जहां इतने एलेक्शन्स रक्खे हैं तो जो सम्बन्धित क्लाजेज हैं उनको गौर से पढ़ा जाये। बी० सी० और डी० क्लाज इस बारे में हैं। बी० और सी० क्लाजेज तकरीबन एक हैं क्योंकि आजकल डिस्ट्रिक्ट बोर्डस तो रहे नहीं। जिला परिषद् भी हैं और ब्लाक समिति भी हैं। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं, अब मालूम नहीं कि हाउस के मेम्बर्स छिपा रहे हैं या इनके नोटिस में नहीं आया कि इस इनडायरैक्ट एलेक्शन्स से कितनी रिश्वत बढ़ी है। इस इनडाइरैक्ट एलेक्शन से एम० एल० एज० का कितना एखलाक गिरा है। कम से कम मैं अपने सूबे के बारे में कह सकता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे यहां जो पंचायतें बनीं ब्लाक समिति में जो आदमी बने वहां खुल्लमखुल्ला १०० रुपये की रिश्वत देकर उनमें चले गये। उनसे कहा गया कि अगर ब्लाक समिति में आना चाहते हो तो १०० रुपये दो और रुपया मिलने पर राय दे दी। एक बड़ा भारी सेठ था। वहां से दिल्ली ले आया। होटल में ठहराया और अपनी राय दे गया। अब आम जनता का यह ख्याल है कि रिश्वत ले लेकर इनडारैक्ट एलेक्शन्स से ब्लाक समिति बनी हैं।

एक बड़ी दिलचस्प मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक आदमी ने कोशिश की खड़ा हुआ तो उसकी एक राय भी न हुई। लोगों ने पूछा कि तेरी राय अपनी तो थी तो वह कहने लगा कि लोगों ने मेरी तो हां भर रक्खी थी कि देंगे देंगे। मुझे ५०० रुपया मिल गया। कहता था कि ३०० रुपया मिल गया। मैंने सोचा ३०० रुपया ले लो राय तो मेरी हो जानी ही हैं तो उन्होंने दो नहीं और उसने भी अपनी खुद नहीं दी। यह फीचर इन्डाइरैक्ट इलेक्शन का आ रहा है। इससे इस तरह करप्शन बढ़ रहा है। जिस बोडी को हम इतनी इज्जत देना चाहते हैं जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन करके इतनी पावर देना चाहते हैं उसमें तो यह कितने अफसोस की बात है। रिश्वत चले, वह रिश्वत मांगे और रिश्वत दिया करें। जिला परिषदों में भी रुपये दिये गये। ब्लाक समितियों के इलैक्शन के लिये और एम० एल० सीज० के एलेक्शन के लिये खुले आम पंजाब में और दूसरे सूबों में रिश्वत चलीं। अब क्या यह हमारे लिये शर्म की बात नहीं है? दरअसल वाकया यह है कि जहां भी इनडाइरैक्ट इलेक्शन है वहां करप्शन का बाजार गर्म है और यह इनडाइरैक्ट इलेक्शन करप्शन को लीड

करता है। वहां फेवरटिज्म इस तौर पर बर्त्ती जा रही है कि न पार्टी का ख्याल है और न आदमी का ख्याल है वहां तो पेस मेम्बरी के लिये कैश मेमेंट होता है और उसी के आधार पर यह इलेक्शन्स हो रहे हैं। अब लोग इसको देख कर हंस रहे हैं कि यह भी एक अजीब मजाक हो रहा है। इसलिये मैं तो अर्ज करना चाहता हूं कि अपर हाउस बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिये और अगर रखना भी है तो इसका इलैक्शन सिर्फ पंचायतों तक ही महदूद रखिये लेकिन यह जो ट्रेडर्स,कामर्स, इण्डस्ट्रीज और साहूकारों को आप वहां ला रहे हैं तो यह तो बाबा रात रात में लोगों को खरीद लेंगे। इनकी ताकत तो इतनी है कि ज्यादा तादाद में न होते हुए भी यह एम० पीज० को विन ओवर कर लेते हैं, उनको रुपया दे देते हैं कि हमारा केस प्लीड करना। इसलिये आपको इन साहूकारों को इसमें नहीं लाना है। अगर कहीं आप ने बिड़ला या टाटा को यहां पर बिठा दिया तो यह पैसे के बल पर और रोज दावतें खिला कर कभी मैडेंस होटल में तो कहीं किसी होटल में दावत खिला कर लोगों को खरीद लेंगे। इसलिये इसमें कामर्स, इण्डस्ट्री, और ट्रेड को बिल्कुल न आने दो। अब चैम्बस चेम्बर आफ कामर्स आदि में बड़े बड़े साहूकार हैं और यह बड़े बड़े कामों में अपना असर डालते हैं और इनका असर इतना है कि थर्ड फाइव इयर प्लान में इन की बहुत सी बातें मानी जाती हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि कामर्स, इण्डस्ट्री और ट्रेड को इसके पास बिल्कुल न फटकने देना चाहिये अन्यथा इससे बड़ा भारी नुकसान होगा और मुल्क को बड़ा भारी धक्का पहुँचेगा। रिश्वत अगर पँचायत को दोगे तो पँचायतों के मेम्बर्स इतनी लम्बी तादाद में हैं कि वहां यह रिश्वत नहीं चल सकती। ब्लाक समिति में रिश्वतें चलती हैं। रिश्वत जिला परिषदों में चल जायेगी। जहां तादाद थोड़ी होगी वहां कम्पीटीशन होगा। इनडाइरेक्ट एलेक्शन से रिश्वतसतानी बढ़ेगा और आपका मुल्क बदनाम होगा। आपकी पब्लिक डिमौरेलाइज होगी। आज लोगों में इसको लेकर बड़ी भारी नुक्ताचीनी है। अब हमारे लीडर्स कहते हैं कि रिश्वत नीचे की तरफ है लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि आप और चीजों को छोड़ दीजिये जो आपके पँचायत के मेम्बर्स हैं जो आपकी ब्लाक समिति के मेम्बर्स हैं वह रिश्वत में बिकते हैं और जहां ऐसी हालत हो तो उस मुल्क का क्या हाल होगा। इसलिये यह रिश्वतसतानी और करप्शन की सारी लानत को जो कि इनडाइरैक्ट एलेक्शन्स की वजह से चल रही है इसको खत्म करने के लिये अपर हाउसेज को तोड़ दिया जाय। लेकिन अगर यह न टूटे तो कम से कम इतना तो कर ही दें कि सिवाय इन दो जमातों के यानी पंचायतों के और टीचर्ज जो कि पांचवीं जमात को पढ़ाते हैं, प्राइमरी को पढ़ाता हो या कालिज में पढ़ाता हो इन दो जमातों को ही यह इलेक्शन करने का हक देना चाहिये और बाकी लोगों को नहीं देना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २६ मई, १९६२/५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, २५ मई, १९६२

४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३११५—४०
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१०३८	पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक टेलीफोन	३११५—१७
१०३९	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर पुल	३११७—१८
१०४०	हुगली में नौवहन	३११८—१९
१०४२	हुगली नदी द्वारा कटाव	३११९—२१
१०४३	कृषि फार्म के लिये जापानी सहायता	३१२१—२३
१०४५	विद्युत् परियोजनायें	२१२३—२५
१०४७	गेहूं सम्बन्धी समझौता	३१२५—२६
१०४८	सतपुरा तापीय विद्युत् केन्द्र से राजस्थान को विद्युत् का सम्भरण	३१२६—२७
१०४९	टिसुआ रेलवे स्टेशन पर डकैती	३१२८—३०
१०५०	रेलवे क्रासिंग की मंजूरी	३१३०—३१
१०५२	मद्रास नगर को कावेरी नदी का पानी	३१३१—३३
१०५३	ग्राम्य क्षेत्रों में पीने के पानी का सम्भरण	३१३२—३४
१०५४	पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिये बिजली का संयुक्त "पूल"	३१३५
१०५५	कोठागुडियम तापीय केन्द्र	३१३६
१०५६	ढिलवां में इमारती लकड़ी के डिपो में आग	३१३६—३७
१०५८	कलकत्ता के "चालू लाइन" कर्मचारियों का बिलासपुर को स्थानान्तरण	३१३७—३८
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
११	दिल्ली में पानी की दरें बढ़ाना	३१३८—४०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३१४०—८७
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१०४१	सड़क द्वारा माल का परिवहन	३१४०
१०४४	कलकत्ता के समीपवर्ती हैजा क्षेत्र में जल सम्भरण	३१४०—४१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०४६ पशु . . . ३१४१
१०५१ स्वचालित ट्रंक पद्धति . . ३१४१
१०५७ कृषि जन्य वस्तुओं सम्बन्धी मन्त्रणा समिति ३१४२
१०५९ बेपुर पत्तन ३१४२
१०६० त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा . . ३१४२–४३
१०६१ नैनीताल जिले में ग्राम विश्वविद्यालय कालिज . ३१४३
१०६२ रेलवे जोन पद्धति . . ३१४३
१०६३ रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था . ३१४४
१०६४ रेलवे के लेवल क्रासिंग्स पर दुर्घटनायें . ३१४४–४५
१०६५ भारतीय मालवाही जहाज में आग ३१४५
१०६६ पहले दर्जे के नये डिब्बे ३१४६
१०६७ कलकत्ता पोस्टल जोन ३१४६
१०६८ नई दिल्ली के स्कूल के बच्चों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन ३१४७
१०६९ अमरीका में डीज़ल इंजनों का क्रय . ३१४७

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९१९ बीकानेर और चूरू जिले में राष्ट्रीय राजपथ ३१४७–४८
१९४० ऊन और भेड़ सम्बन्धी अनुसन्धान संस्था . ३१४८
१९४१ इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की नई शटल सेवायें . . ३१४८
१९४२ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में संचार साधनों का सुधार ३१४९
१९४३ केरल में कृषि विश्वविद्यालय . . ३१४९
१९४४ क्विलोन के निकट राष्ट्रीय राजपथ का मार्ग-निर्धारण . ३१४९
१९४५ हृदय रोग ३१५०
१९४६ टेलीफोन के कनेक्शन ३१५०
१९४७ उत्तर प्रदेश में बीज फार्म ३१५०–५१
१९४८ बलिया-सिकन्दरपुर सड़क पर पुल . . ३१५१
१९४९ उत्तर प्रदेश मे सिंचाई और विद्युत् योजनायें ३१५१
१९५१ राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्था, मसूरी . . . ३१५२–५३
१९५२ उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आने-जाने वाली डाक . ३१५३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९५३	खाद्यान्न .	३१५३–५४
१९५४	कृषि आयोग	३१५४
१९५५	भाखड़ा बांध	३१५४–५५
१९५६	तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश और पंजाब में नई रेलवे लाइनें	३१५५
१९५८	हरद्वार में कुम्भ मेला . .	३१५५
१९५९	दिल्ली-मास्को जेट उड़ान का रिकार्ड	३१५५–५६
१९६०	उत्तर रेलवे के कर्मचारी (बीकानेर डिवीजन) .	३१५६
१९६१	चावल का निर्यात	३१५७
१९६२	त्रिपुरा में मैडिकल अफसर	३१५७
१९६३	त्रिपुरा की रैयत .	३१५८
१९६४	गोलन्थारा के पान व्यापारी	३१५८
१९६५	इलाहाबाद में स्टेशन की नई इमारत	३१५८–५९
१९६६	उत्तर प्रदेश में बिजली शुल्क .	३१५९
१९६७	जम्मू तथा काश्मीर में आलू अनुसन्धान उपकेन्द्र	३१५९
१९६८	दिल्ली में परिवहन .	३१५९–६०
१९६९	दिल्ली जल सम्भरण	३१६०
१९७०	दिल्ली में पानी का रुकाव	३५६०–६१
१९७१	दिल्ली में विकास मेले . .	३१६१
१९७२	चीनी का उत्पादन .	३१६२
१९७३	कोयला ढोने के लिये माल डिब्बे . .	३१६२–६३
१९७४	कल्कालीघाट से धर्मनगर तक रेलवे लाइन	३१६३
१९७५	शिक्षित डाक्टरों के बिना डिस्पैंसरियां	३१६३
१९७६	गन्ना .	३१६४
१९७७	रेलवे में कोयले की चोरी	३१६४–६५
१९७८	ग्राम जल सम्भरण . . .	३१६५
१९७९	भूतपूर्व नार्थ वैस्टर्न रेलवे की रेलवे उधार समितियां	३१६६
१९८०	डाक घरों के निरीक्षकों की परीक्षा	२१६६–६७
१९८१	अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के डाक तार कर्मचारी	३१६७
१९८३	खेती की भूमि का अर्जन	३१६७–६८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६८४	कृषि तथा पशु-उत्पाद	३१६८
१६८५	तीसरी श्रेणी के सोने के डिब्बों का डिज़ाइन तैयार करना .	३१६६
१६८६	अपाहिज लोग	३१६६
१६८७	मद्रास और मंगलौर के बीच विशेष गाड़ियों को चलाना . .	३१६६–७०
१६८८	बेतूल (मध्य प्रदेश) में चीनी का कारखाना .	३१७०
१६८९	आन्ध्र प्रदेश में मेडिकल कालिज	३१७०–७१
१६९०	राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना	३१७१
१६९१	मध्य प्रदेश में स्कूल आफ केटरिंग . .	३१७१
१६९२	भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन . .	३१७१–७२
१६९३	लखनऊ के उत्तर रेलवे अस्पताल की दाइयां .	३१७२
१६९४	मार्ग में खोये सामान के दावे	३१७२
१६९५	केरल राज्य के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	३१७३
१६९६	बम्बई-विजयवाडा जनता एक्सप्रेस .	३१७३
१६९७	नंद्याल-काटपाडी रेलवे लाइन . .	३१७३
१६९८	नेल्लोर से मेदुकूर तक बड़ी लाइन . . .	३१७४
१६९९	समितियों और परिषदों का गठन	३१७४
२०००	भूमिहीन कृषि श्रमिकों को मकानों के लिये स्थान .	३१७४–७५
२००१	लक्कदीव और मिनिकाय द्वीपसमूह में डाक सुविधायें	३१७५
२००२	विपणन समितियां . .	३१७५—७७
२००३	सहकारी खेती . .	३१७७–७८
२००४	तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित डि-लक्स सवारी डिब्बे .	३१७८
२००५	मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस .	३१७९
२००६	ऊपरी पुलों का निर्माण	३१७९
२००७	सैलम में मेडिकल कालिज . . .	३१७९–८०
२००८	मद्रास-दिल्ली प्रातःकालीन विमान सेवा . .	३१८०
२००९	पठानकोट कुलु काज़ा कोगिक रोड . . .	३१८०
२०१०	रेलवे में अपराध . .	३१८०–८१
२०११	राजपुरा का ऊपरी पुल	३१८१
२०१२	मद्रास राज्य में मेडिकल कालिज	३१८१

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०१३	दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें का कार्यान्वय	३१८१–८२
२०१४	टिड्डियों का आक्रमण .	३१८२
२०१५	रामगुंडम् में तापीय विद्युत् केन्द्र .	३१८२–८३
२०१६	मुकेरियां तलकरे रेलवे लाइन . .	३१८३
२०१७	पहाड़ी क्षेत्रों मे डाक तथा तार सुविधायें .	३१८३
२०१८	खण्ड विकास केन्द्रों में तार और टेलीफोन सुविधायें .	३१८३–८४
२०१९	वन विकास	३१८४–८५
२०२०	मद्रास राज्य में मध्यम सिंचाई योजनायें .	३१८५
२०२१	मद्रास राज्य के छोटे पत्तन . .	३१८५–८६
२०२२	मद्रास राज्य में परिवार नियोजन केन्द्र	३१८६
२०२३	हिमाचल प्रदेश में बसों के मार्ग .	३१८६–८७
२०२४	होशियारपुर को रेल द्वारा दसूआ से मिलाना . . .	३१८७
२०२५	फिरोजपुर और दिल्ली डिवीजन में रेलवे के चौथी श्रेणी के अनुसूचित जाति के कर्मचारी . .	३१८७
स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में		३१८८–८९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		३१८९–९१

श्री स० मो० बनर्जी ने मद्रास-गुन्टा कल सेक्शन के शिवरामपुरम् स्टेशन पर मालगाड़ी और एक मिलिट्री वहिकल स्पेशल के बीच हुई टक्कर की ओर रेलवे मन्त्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र .		३१९१–९२

(१) ट्रंक कालों के लिये रियायती शुल्क और समय को बदलने के बारे में एक वक्तव्य ।

(२) ट्रंक शुल्कों के वैज्ञानीकरण के बारे में एक वक्तव्य ।

(३) मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० अगस्त, १९६१ के अन्दमान और निकोबार गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १७३/एफ/६=

विषय पृष्ठ

१२०/६०—पव, जिस में अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह (सरकारी गाड़ियों के कन्डक्टरों को लाइसेंस देना) नियम, १९६१ दिये हुए हैं।

(ख) दिनांक ५ सितम्बर, १९६१ के मनीपुर गजट में प्रकाशित मनीपुर मोटर गाड़ी नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या २५/२०/६०—१ (परिवहन)।

(४) मोटर गाड़ी एक्ट १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १६ नवम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ १२/५३/६०—परिवहन।

(ख) दिनांक १४ दिसम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ २१/३/६०—परिवहन।

(ग) दिनांक १८ जनवरी, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ १०/३८/५७—६१ परिवहन।

(५) वित्तीय समितियां (१९६१–६२)—एक समीक्षा की एक प्रति।

समितियों के लिये निर्वाचन ३१९२–९३

(१) खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीन सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(२) डा० राम सुभग सिंह ने यह भी प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की मांगें . . . . . ३१९३—३२२६

(१) वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई तथा मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

(२) स्वास्थ्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित . . . ३२२६—२८

(१) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन)

विषय पृष्ठ

(२) संसद् पुस्तकालय विधेयक **[श्री वी० चं० शर्मा का]**

(३) बाल विवाह ोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन) **[श्री वी० चं० शर्मा का]**

(४) खान (संशोधन) विधेयक (धारा १२, ६४, ६६, ६७, ७०, ७२ग और ७३ का संशोधन) **[श्री स० चं० सामन्त का]**

(५) अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) **[श्री सिद्दय्या का]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक वापस लिये गये . ३२२८—३७

(१) ११ मई, १९६२ को श्री म० ला० द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन) के विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। श्री म० ला० द्विवेदी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। विधेयक सभा की अनुमति मे वापिस लिया गया।

(२) श्री जं० ब० सिं० विष्ट ने प्रस्ताव किया कि सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन) पर विचार किया जाये। उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर दिया। विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक विचाराधीन ३२३७—४३

श्री श्रीनारायण दास ने प्रस्ताव किया कि विधान परिषद् (रचना) विधेयक पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शनिवार, २६ मई, १९६२/५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिए कार्यावलि।

स्वास्थ्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा।

शिक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा।

विषय सूची (क्रमशः)

पृष्ठ

विधेयक पुरःस्थापित ३२२६—२८

(१) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)** . . ३२२६–२७

(२) संसद् पुस्तकालय विधेयक **(श्री दी० चं० शर्मा का)** ३२२७

(३) बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)** ३२२७

(४) खान (संशोधन) विधेयक (धारा १२, ६४, ६६, ६७, ७०, ७२ग और ७३ का संशोधन) **(श्री सं० चं० सामन्त का)** ३२२७–२८

(५) अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) **(श्री सिद्धय्या का)** ३२२८

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन) **(श्री म० ला० द्विवेदी का)**—वापस लिया गया . ३२२८—३४

विचार करने का प्रस्ताव . ३२२८—३४

श्री दातार . . ३२२८—३२

श्री म० ला० द्विवेदी . . . . ३२३२—३४

सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन—विधेयक . ३२३४—३७

(धारा ५ का संशोधन) **(श्री जं० ब० सिं० बिष्ट का)**—वापिस लिया गया .

विचार करने का प्रस्ताव . . ३२३४—३७

श्री ज० ब० सिं० बिष्ट . ३२३४–३५

श्री दी० च० शर्मा ३२३५–३६

श्री दातार . . ३२३६–३७

विधान परिषद् (रचना) विधेयक (श्री श्रीनारायण दास का) . . ३२३७—४३

परिचालन करने का प्रस्ताव . . ३२३७—४३

श्री श्रीनारायण दास . ३२३७–३८

श्री रघुनाथ सिंह ३२३८–३९

श्री कृ० च० शर्मा ३२३९

श्री स० मो० बनर्जी . . ३२३९–४०

श्री च० का० भट्टाचार्य ३२४०

श्री अ० च० गुह . ३२४०

श्री प्र० र० चक्रवर्ती . ३२४०–४१

श्री वारियर . . ३२४१

श्री लहरी सिंह . ३२४१–४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . २४४४—५०

समेकित विषय सूची (१२ से २५ मई, १९६२ / २२ वैशाख से ४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) . . . . .

P.L.S. 41: III. 30-62
150.

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।